

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वर्ष 2021 की प्रतिवेदन सं. 2

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वर्ष 2021 की प्रतिवेदन सं. 2**

विषय सूची			
क्रम सं.	विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ
1.	प्राक्कथन		v
2.	कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय-1: विहंगावलोकन			
3.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की रूपरेखा	1.1	1
4.	रा.रा.क्षे. दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	2
5.	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार एवं दृष्टिकोण	1.2	3
6.	प्रतिवेदन संरचना	1.3	4
7.	सरकारी लेखा संरचना तथा बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.4	5
8.	वित्त का आशुचित्र	1.4.1	7
9.	सरकार की संपत्ति और देयताओं का आशुचित्र	1.4.2	8
10.	अधिशेष/घाटे में प्रवृत्तियां	1.5	8
अध्याय-2: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त			
11.	2018-19 की तुलना में वि.व. 2019-20 में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में मुख्य बदलाव	2.1	11
12.	निधियों के स्रोत तथा उपयोग	2.2	11
13.	रा.रा.क्षे. दिल्ली के संसाधन	2.3	12
14.	रा.रा.क्षे. दिल्ली की प्राप्तियाँ	2.3.1	13
15.	रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	13
16.	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां तथा वृद्धि	2.3.2.1	14
17.	रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं के संसाधन	2.3.2.2	16
18.	भारत सरकार से सहायता अनुदान	2.3.2.3	23
19.	पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.3.3	24
20.	संसाधनों के उपयोग	2.4	25
21.	व्यय की वृद्धि तथा संघटन	2.4.1	25
22.	राजस्व व्यय	2.4.2	27
23.	राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव	2.4.2.1	29
24.	प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2.2	29
25.	राष्ट्रीय पेंशन योजना	2.4.2.3	30
26.	सब्सिडी	2.4.2.4	31
27.	स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा वित्तीय सहायता	2.4.2.5	31
28.	पूँजीगत व्यय	2.4.3	33
29.	पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन	2.4.3.1	33

30.	निवेश तथा प्रतिफल	2.4.3.2	34
31.	सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता	2.4.4	35
32.	ऋण प्रबंधन	2.5	36
33.	ऋण रूपरेखा: घटक	2.5.1	36
34.	ऋण धारणीयता	2.6	37
35.	निष्कर्ष	2.7	38
अध्याय-3: बजटीय प्रबंधन			
36.	बजटीय प्रक्रिया	3.1	39
37.	वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों एवं बचतों का संक्षिप्त विवरण	3.1.1	40
38.	प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण	3.1.2	40
39.	विनियोग लेखे	3.2	41
40.	बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर टिप्पणियाँ	3.3	41
41.	अनावश्यक या आधिक्य अनुपूरक अनुदान	3.3.1	41
42.	अनावश्यक या आधिक्य पुनर्विनियोग	3.3.2	42
43.	अव्ययित राशि एवं समर्पित विनियोग और/या बड़ी बचत/समर्पण	3.3.3	44
44.	बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ	3.4	47
45.	एकमुश्त बजटीय प्रावधान	3.4.1	47
46.	बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	3.5	48
47.	अपेक्षा तथा वास्तविक के बीच बजट प्रक्षेपण एवं अंतर	3.5.1	48
48.	बजट में प्रमुख नीतिगत खरीद एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण	3.5.2	50
49.	पुनर्विनियोग के संबंध में वित्तीय शक्तियों का हनन	3.5.3	50
50.	व्यय का द्रुतप्रवाह	3.5.4	51
51.	अनुदान सं. 7 - 'चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य' का परिणाम	3.5.5	54
52.	अनुशासण	3.6	55
अध्याय-4: लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यप्रणाली			
53.	प्राप्तियों को सरकारी खातों में स्थानांतरित करने में देरी के कारण निधि रा.रा.क्षे. दिल्ली की समेकित निधि से बाहर रह गई	4.1	57
54.	निधियां सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित	4.2	58
55.	उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	4.3	58
56.	अनुदानग्राही संस्था को 'अन्य' के रूप में दर्ज करना	4.3.1	61
57.	सार आकस्मिक बिल	4.4	61
58.	व्यक्तिगत जमा खाते	4.5	65
59.	लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग	4.6	67
60.	नकद शेषों का मिलान	4.7	69

61.	लेखा मानकों का अनुपालन	4.8	69
62.	स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति	4.9	70
63.	अनुशंसाएँ	4.10	71
अध्याय-5: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम			
64.	सरकारी कंपनियों की परिभाषा	5.1	73
65.	लेखापरीक्षा अधिदेश	5.2	73
66.	रा.सा.क्षे.उ. तथा राज्य के स.रा.घ.उ. में उनका योगदान	5.3	73
67.	रा.सा.क्षे.उ. में निवेश तथा बजटीय सहायता	5.4	75
68.	रा.सा.क्षे.उ. से रिटर्न	5.5	76
69.	ऋण सेवाएँ	5.6	77
70.	रा.सा.क्षे.उ. का निष्पादन	5.7	77
71.	रा.सा.क्षे.उ. में हानियों का होना	5.8	82
72.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा	5.9	83
73.	नि.म.ले.प. द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	5.10	84
74.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	5.11	84
75.	नि.म.ले.प. की निरीक्षण-लेखों की लेखापरीक्षा तथा पूरक लेखापरीक्षा	5.12	86
76.	नि.म.ले.प. की निरीक्षण भूमिका का परिणाम	5.13	87
77.	प्रबंधन पत्र	5.14	93
78.	निष्कर्ष	5.15	94
79.	अनुशंसाएँ	5.16	95

परिशिष्ट		
परिशिष्ट 1.1	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त पर समय क्रमांक आंकड़े	97
परिशिष्ट 3.1	योजनाओं का विवरण जिसके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किए गए थे लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया था	99
परिशिष्ट 3.2	उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया था लेकिन संशोधित परिव्यय में वापस ले लिया गया था	101
परिशिष्ट 3.3	अनुपूरक अनुदानों से पुनर्विनियोजन	103
	पारिभाषिक शब्दावली	105

प्राक्कथन

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानमंडल के समक्ष रखा जा सके।

अध्याय 1 प्रतिवेदन के लिए आधार और दृष्टिकोण तथा अंतर्निहित आंकड़ों का वर्णन करता है, सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाएं, प्रमुख सूचकांकों के सूक्ष्म-वित्तीय विश्लेषण तथा घाटा/अधिशेष सहित रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

अध्याय 2 राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों एवं 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों तथा राज्य के वित्त लेखों पर आधारित राज्य एवं प्रमुख लोक लेखा के लेन-देन की ऋण रूपरेखा का विश्लेषण करता है।

अध्याय 3 राज्य के विनियोजन लेखों पर आधारित है तथा राज्य सरकार के विनियोजन और आवंटित प्राथमिकताओं एवं बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदनों की समीक्षा करता है।

अध्याय 4 राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

अध्याय 5 सरकारी कंपनियों, वैधानिक निगमों तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (रा.सा.क्षे.उ.) के वित्तीय विवरणों के पूरक लेखापरीक्षा के परिणाम के रूप में जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव के वित्तीय निष्पादन की चर्चा करता है।

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लेखापरीक्षित लेखों तथा अनेक स्रोतों जैसे आर्थिक सर्वेक्षण, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय विवरण एवं जनगणना, 2011 से संगृहित अतिरिक्त आंकड़ों पर आधारित यह रिपोर्ट पाँच अध्यायों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा करती है।

अध्याय-1 रा.रा.क्षे. दिल्ली की वित्तीय स्थिति का एक विहंगावलोकन है।

अध्याय-2 रा.रा.क्षे दिल्ली के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समूहों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों एवं 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली के वित्त लेखों पर आधारित समग्र प्रवृत्तियों तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली की ऋण रूपरेखा का विश्लेषण करता है।

अध्याय-3 रा.रा.क्षे दिल्ली की विनियोजन लेखा पर आधारित है तथा यह रा.रा.क्षे.दि.स. के विनियोजन एवं आवंटित प्राथमिकताओं एवं तरीका जिनमें आवंटित संसाधनों का विभिन्न सेवा विभागों द्वारा प्रबंधन किया जाता था, का अनुदान-वार विवरण उपलब्ध कराता है।

अध्याय-4 रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखों की गुणवत्ता पर टिप्पणी करता है तथा निर्धारित वित्तीय नियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों एवं लेखों के गैर-प्रस्तुतीकरण पर प्रकाश डालता है।

अध्याय-5 सरकारी कंपनियों, वैधानिक निगमों तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (रा.सा.क्षे.उ.) के वित्तीय विवरणों के पूरक लेखापरीक्षा के परिणाम के रूप में जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव के वित्तीय निष्पादन की चर्चा करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय-1 विहंगावलोकन

- रा.रा.क्षे. दिल्ली का 2019-20 में ₹ 7,499 करोड़ का राजस्व अधिशेष इंगित करता है कि राजस्व व्यय को करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त राजस्व प्राप्तियाँ थीं। 2018-19 में स.रा.घ.उ. के 0.81 प्रतिशत के प्रति 2019-20 में राजस्व अधिशेष स.रा.घ.उ. का 0.88 प्रतिशत हो गया। रा.रा.क्षे. दिल्ली, भारत सरकार द्वारा वहन की जा रही रा.रा.क्षे.दि.स. के कर्मचारियों की पेंशन देयताओं के कारण राजस्व अधिशेष को बनाए रखने में सक्षम है।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस का व्यय भी गृह मंत्रालय, भारत सरकार वहन करता है।

(पैराग्राफ 1.5)

- रा.रा.क्षे. दिल्ली का राजकोषीय अधिशेष 2015-16 में ₹ 1,332 करोड़ था जो कि 2016-17 के दौरान ₹ 1,051 करोड़ के घाटे में परिवर्तित हो गया तथा पुनः 2017-18 में ₹ 113 करोड़ के अधिशेष में परिवर्तित हो गया। 2018-19 के दौरान राजकोषीय अधिशेष ₹ 2,237 करोड़ था, जो 2019-20 के दौरान पुनः ₹ 416 करोड़ के घाटे में परिवर्तित हो गया।

(पैराग्राफ 1.5)

अध्याय-2

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त

- राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 4,023 करोड़ (9.33 प्रतिशत) बढ़ गईं। वर्ष 2019-20 में, रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से राजस्व प्राप्तियाँ लगभग 79.90 प्रतिशत थी जबकि सहायता अनुदान का अंश 20.10 प्रतिशत था। कुल राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं कर राजस्व का अंश 2015-16 में 86.36 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 77.58 प्रतिशत तक हो गया।

(पैराग्राफ 2.3.2.1)

- गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ 2018-19 में ₹ 1,644 करोड़ से 49.94 प्रतिशत तक घट कर 2019-20 में ₹ 823 करोड़ हो गईं। ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ पिछले वर्षों की तुलना में भा.स. से ऋणों तथा अग्रिमों में 65.45 प्रतिशत अधिक वृद्धि के कारण 2018-19 में ₹ 2,880 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 4,765 करोड़ हो कर 65.45 प्रतिशत तक बढ़ गईं।

(पैराग्राफ 2.3.3)

- पूँजीगत व्यय वर्ष के मध्य में ₹ 3,243 करोड़ से ₹ 5,472 करोड़ के बीच उतार-चढ़ाव प्रदर्शित करता है जबकि राजस्व व्यय 2015-20 के दौरान लगातार बढ़ा। पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 में ₹ 3,266 करोड़ से (67.54 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 5,472 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय कुल व्यय का 81.94 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2019-20 के लिए पूँजीगत व्यय तथा ऋणों और अग्रिमों का संवितरण क्रमशः 11.31 प्रतिशत तथा 6.75 प्रतिशत था।

(पैराग्राफ 2.4.1 एवं 2.4.3)

- राजस्व व्यय 2015-16 में ₹ 26,343 करोड़ से 50.47 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में ₹ 39,637 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय 2018-19 में ₹ 36,852 करोड़ से 7.56 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में ₹ 39,637 करोड़ हो गया। कुल राजस्व व्यय में समर्पित व्यय का अंश पिछले पांच वर्षों की तुलना में 34.41 प्रतिशत से 35.81 प्रतिशत तक रहा।

(पैराग्राफ 2.4.2 एवं 2.4.2.2)

- सब्सिडी पर व्यय 2015-16 में ₹ 1,867.61 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 3,592.94 करोड़ (92.38 प्रतिशत) हो गया। 2019-20 में सब्सिडी पर व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 41.85 प्रतिशत बढ़ गया। स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता 2018-19 में ₹ 15,087.22 करोड़ से 7.59 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में ₹ 16,232.97 करोड़ हो गई।

(पैराग्राफ 2.4.2.4 एवं पैराग्राफ 2.4.2.5)

- 2019-20 में किए गए निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 150 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में किए गए निवेश के कारण थी। 2019-20 में निवेश पर प्रतिफल 0.08 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2019-20 के दौरान अपने ऋण पर 8.14 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया था।

(पैराग्राफ 2.4.3.2)

- रा.रा.क्षे.दि.स. को खुले बाजार से ऋण जुटाने का अधिकार नहीं है। भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम में रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण प्राप्तियाँ शामिल हैं। सरकार का ऋण 2015-16 के आरंभ में ₹ 32,497.91 करोड़ से ₹ 2,268.93 करोड़ (6.98 प्रतिशत) बढ़कर 2019-20 के अंत में ₹ 34,766.84 करोड़ हो गया।

(पैराग्राफ 2.5 एवं 2.5.1)

अध्याय-3

बजटीय प्रबंधन

- 2019-20 के दौरान ₹ 64,180.68 करोड़ (कुल बजट का 19.74 प्रतिशत) के कुल अनुदान एवं विनियोजन के प्रति ₹ 12,670.65 करोड़ की कुल बचत थी।

(पैराग्राफ 3.1 एवं पैराग्राफ 3.3.3)

- 11 मामलों में ₹ 810.86 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुआ। चार अनुदानों के तहत 13 उप-शीर्षों में अंतिम बचत ₹ पाँच करोड़ से अधिक थी। पुनर्विनियोग अनावश्यक रूप से किया गया था, क्योंकि विभाग

अपने मौजूदा अनुदानों का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम नहीं थे और ₹ 326.19 करोड़ के पुनर्विनियोग की तुलना में ₹ 455.77 करोड़ का संचयी गैर-उपयोग (बचत) हुआ।

(पैराग्राफ 3.3.1 एवं पैराग्राफ 3.3.2)

- तीन अनुदानों के अंतर्गत कुल ₹ 422.46 करोड़ के एकमुश्त बजटीय प्रावधान में से ₹ 317.82 करोड़ व्यय किए गए।

(पैराग्राफ 3.4.1)

- ₹ 12,670.65 करोड़ की कुल बचत में से मार्च में ₹ 3,289.96 करोड़ (25.97 प्रतिशत) की बचत को अभ्यर्पित कर दिया गया था।

(पैराग्राफ 3.5.1)

- सात अनुदानों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) के अंतर्गत 39 उप-शीर्षों में, ₹ 196.76 करोड़ का सम्पूर्ण प्रावधान विभागों द्वारा अनुपयोगी रहा अथवा वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति से पहले सरकार को वापस भेज दिया गया।

(पैराग्राफ 3.5.2)

- 2019-20 के दौरान ₹ 51,186.26 करोड़ के कुल व्यय में से (₹ 323.77 करोड़ की वसूली के अलावा) ₹ 16,207.83 करोड़ (31.66 प्रतिशत) का व्यय अंतिम तिमाही में किया गया जबकि अंतिम तिमाही के ₹ 2,355.21 करोड़ (14.53 प्रतिशत) मार्च 2020 के दौरान व्यय किए गए थे। आगे, दो अनुदानों के अंतर्गत आठ उप-शीर्षों में ₹ 428.53 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय मार्च 2020 में किया गया।

(पैराग्राफ 3.5.4)

अध्याय-4

लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यप्रणाली

- परिवहन विभाग में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विभिन्न अवधियों के लेन-देन की नमूना जांच से पता चला कि सरकारी प्राप्तियाँ सरकारी खाते में समय पर जमा नहीं की गईं। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 1,005.65 करोड़ की राशि 4 से 61 दिनों के बीच की देरी के साथ जमा की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.81 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। साथ ही उक्त अवधि के लिए राशि राज्य की समेकित निधि से बाहर रही।

(पैराग्राफ 4.1)

- लेखापरीक्षा ने जाँच में पाया कि वर्ष 2011-12 से पूर्व ₹ 134.52 करोड़ की राशि के 1,126 उपयोगिता प्रमाणपत्र (56.33 प्रतिशत) बकाया थे जबकि 2011-12 से 2018-19 तक ₹ 6,722.45 करोड़ की राशि के 873 उपयोगिता प्रमाणपत्र (43.67 प्रतिशत) बकाया थे।

(पैराग्राफ 4.3)

- मार्च 2020 तक ₹ 774.47 करोड़ के कुल 5,225 सा.आ. बिल बकाया थे। 49 सरकारी विभागों ने वित्त वर्ष 2019-20 के खाते बंद होने से पहले ₹ 266.27 करोड़ की राशि के 730 वि.आ. बिल जमा नहीं किए और इसलिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वित्त वर्ष के दौरान ₹ 266.27 करोड़ का व्यय वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा अधिकृत किया गया था।

(पैराग्राफ 4.4)

- 2019-20 के दौरान ₹ 45,108.86 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 6,019.29 करोड़ के व्यय को लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जो कुल व्यय का 13.34 प्रतिशत था। 2019-20 के दौरान ₹ 37,662.76 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से ₹ 677.07 करोड़ की प्राप्तियों को लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जो कुल प्राप्तियों का 1.80 प्रतिशत था।

(पैराग्राफ 4.6)

- नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और 20 के अंतर्गत 12 निकायों/ प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. को सौंपी गयी है। लेखापरीक्षा द्वारा 2019-20 तक देय 12 निकायों/प्राधिकरणों के वार्षिक लेखे सितम्बर 2020 तक प्राप्त नहीं हुए थे। हालांकि वर्ष 2019-20 तक 12 निकायों/प्राधिकरणों के 30 वार्षिक लेखे 30 सितम्बर 2020 को लंबित थे।

(पैराग्राफ 4.9)

अध्याय -5

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (रा.सा.क्षे.उ.)

- 31 मार्च 2020 को, भा.नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली में दो सांविधिक निगमों तथा 16 सरकारी कंपनियों सहित 18 रा.सा.क्षे.उ. थे।

(पैराग्राफ 5.3)

- 2018-19 में आठ लाभ अर्जन-रा.सा.क्षे.उ. की तुलना में 2019-20 में 10 लाभ अर्जन रा.सा.क्षे.उ. थे। लाभ कमाने वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित लाभ 2018-19 में ₹ 894.74 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 1,123.10 करोड़ हो गया। 2019-20 के दौरान, ₹ 1,066.29 करोड़ के निवल लाभ जो 10 रा.सा.क्षे.उ. के कुल लाभ का 94.94 प्रतिशत था, में पाँच रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अंशदान किया गया।

(पैराग्राफ 5.5.1)

- सात रा.सा.क्षे.उ. ऐसे थे जिसमें उनके नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार मार्च 2020 के अंत में हानियाँ हुई थीं। उनके नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार इन हानि वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा होने वाली हानियाँ 2017-18 में ₹ 3,859.78 करोड़ तथा 2018-19 में ₹ 4,386.79 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 5,294.16 करोड़ हो गईं। 2019-20 के दौरान इस सात हानि-वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा की गई ₹ 5,294.16 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 5,280.55 करोड़ (99.74 प्रतिशत) की हानि अकेले दिल्ली परिवहन निगम द्वारा की गई थी।

(पैराग्राफ 5.8.1)

- 31 मार्च 2020 को दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड एवं दिल्ली परिवहन निगम के निवल मूल्य (-) ₹ 37,124.89 करोड़ था जो पूर्ण रूप से इन रा.सा.क्षे.उ. की संचित हानि द्वारा समाप्त हो गया।

(पैराग्राफ 5.8.2)

- 31 मार्च 2020 को नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा की परिधि के अंतर्गत 16 सरकारी कंपनियां थीं। इनमें से वर्ष 2019-20 के लिए 16 सरकारी कंपनियों के लेखे बकाया थे। हालांकि, केवल 11 सरकारी कंपनियों ने अपने लेखे 31 दिसम्बर 2020 तक नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए। पाँच सरकारी कंपनियों के लेखे बकाया थे।

(पैराग्राफ 5.11.2)

अध्याय - 1

विहंगावलोकन

अध्याय-1

विहंगावलोकन

1.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की रूपरेखा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिनियम, 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) के रूप में घोषित किया गया था। दिल्ली के पास दोहरा अधिकार क्षेत्र अर्थात् संघ सरकार एवं राज्य सरकार जैसी एक मिश्रित प्रशासनिक संरचना है। दिल्ली में 11 जिले तथा 33 उप मंडल हैं। रा.रा.क्षे. दिल्ली 1,483 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें से 1,114 वर्ग कि.मी. शहरी तथा 369 वर्ग कि.मी. ग्रामीण क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली की भौगोलिक एवं सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा तालिका 1.1 में दी गयी है:

तालिका 1.1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की रूपरेखा

क्र.स.	विवरण	आंकड़े
1	क्षेत्र	1483 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या	
	क. जनसंख्या (2011 जनगणना)	₹ 1.70 करोड़
	ख. जनसंख्या 2020	₹ 2.04 करोड़
3	जनसंख्या का घनत्व (2011जनगणना) (अखिल भारत का घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या (बीपीएल) 2011-12 (अखिल भारत का औसत = 21.9 प्रतिशत)	39.30 प्रतिशत
5	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारत का औसत= 73.0 प्रतिशत)	86.20 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर (2017) (प्रति 1000 जन्म पर) (अखिल भारत का औसत= प्रति 1000 जन्म पर 33)	16
7	जन्म के समय जीवन की उम्मीद (2013-17) (अखिल भारत का औसत = 69.4 वर्ष)	75.3
8	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलु उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2019-20	₹ 8,56,112 करोड़
9	प्रति व्यक्ति स.घ.उ./स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2011-12 से 2019-20)	रा.रा.क्षे.दिल्ली 9.81 प्रतिशत अखिल भारत 9.84 प्रतिशत
10	स.घ.उ./स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर.(2011-12 से 2019-20)	रा.रा.क्षे.दिल्ली 12.08 प्रतिशत अखिल भारत 11.14 प्रतिशत
11	जनसंख्या वृद्धि (2011 से 2020)	11.09 प्रतिशत (अखिल भारत) 20.03 प्रतिशत (रा.रा.क्षे. दिल्ली)

स्रोत: एमओएसपीआई वेबसाइट, आर्थिक सर्वे 2019-20, एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन सारणी 2014-18, मानव विकास रिपोर्ट 2019 तथा मानव विकास रिपोर्ट 2020 एवं भारत की जनसंख्या अनुमान 2011 तथा 2011-2036 तक भारत के राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या प्रक्षेपण।

1.1.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) एक दी गई समयावधि में राज्य की सीमाक्षेत्र के अन्दर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की अर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह समय के साथ राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली के स.रा.घ.उ. में प्रवृत्तियां, स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय योगदान तथा स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय वृद्धि में परिवर्तन क्रमशः तालिका 1.2, चार्ट 1.1 तथा चार्ट 1.2 में दिये गये हैं

तालिका 1.2: राष्ट्रीय स.घ.उ. की तुलना में स.रा.घ.उ. में प्रवृत्तियां


(₹ करोड़ में)

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
अखिल भारत स.घ.उ.	1,37,71,874	1,53,91,669	1,70,98,304	1,89,71,237	2,03,39,849
विगत वर्ष के साथ स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.46	11.76	11.09	10.95	7.21
रा.रा.क्षे. दिल्ली का स.रा.घ.उ. (2011-12 अनुक्रम)	5,50,804	6,16,085	6,86,824	7,74,870	8,56,112
विगत वर्ष के साथ स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.32	11.85	11.48	12.82	10.48

स्रोत: भा.स. का आर्थिक सर्वेक्षण (2019-20) एवं आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.


स.रा.घ.उ. के क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन अर्थ-व्यवस्था के बदलते स्वरूप को समझने में भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को आम तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होता है।

चार्ट 1.1: स.रा.घ.उ. के लिए क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन (2015-16 से 2019-20)



स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

चार्ट 1.2: स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय वृद्धि



स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार एवं दृष्टिकोण

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानमंडल के समक्ष रखा जा सके।

रा.रा.क्षे. दिल्ली के वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे इस प्रतिवेदन के मुख्य आंकड़ों को तैयार करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- रा.रा.क्षे. दिल्ली का बजट: अनुमानों की तुलना में राजकोषीय मापदंडों और प्राथमिकताओं का आकलन करने के लिए, साथ ही साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए;
- आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय तथा अन्य राज्यों से संबंधित सांख्यिकी से संगृहीत स.रा.घ.उ. आंकड़े;
- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के परिणाम; और
- भारत के नि.म.ले.प. के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार को मसौदा प्रतिवेदन 4 मार्च 2021 को टिप्पणी हेतु अग्रेषित कर दिया गया था। सरकार के उत्तर, जहां प्राप्त हुए हैं, उन्हें उपयुक्त स्थानों पर इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

1.3 प्रतिवेदन संरचना

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संरचना निम्नलिखित पाँच अध्यायों में की गई है:

अध्याय- 1	<p>विहंगावलोकन</p> <p>यह अध्याय प्रतिवेदन के लिए आधार और दृष्टिकोण तथा अंतर्निहित आंकड़ों का वर्णन करता है, सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाएं, प्रमुख सूचकांकों के सूक्ष्म-वित्तीय विश्लेषण तथा घाटा/अधिशेष सहित रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।</p>
अध्याय- 2	<p>राज्य वित्त</p> <p>यह अध्याय रा.रा.क्षे. दिल्ली के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों एवं 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली के वित्त लेखों पर आधारित रा.रा.क्षे. दिल्ली की ऋण रूपरेखा का विश्लेषण करता है।</p>
अध्याय- 3	<p>बजटीय प्रबंधन</p> <p>यह अध्याय रा.रा.क्षे. दिल्ली के विनियोजन लेखों पर आधारित है तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के विनियोजन और आवंटित प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है एवं बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर विवरण प्रस्तुत करता है।</p>
अध्याय - 4	<p>लेखों की गुणवत्ता तथा वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार</p> <p>यह अध्याय रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखों की गुणवत्ता और रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।</p>
अध्याय - 5	<p>राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम</p> <p>यह अध्याय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र-उपक्रमों के कामकाज पर टिप्पणी करता है।</p>

1.4 सरकारी लेखा संरचना तथा बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लेखों को दो भागों में रखा जाता है:

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि (रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 46)

इस निधि में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त किए गए सभी ऋण, अनुदान तथा ऋण के पुनर्भुगतान में रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त सभी धन शामिल हैं। इस निधि के अतिरिक्त कानून के अनुसार तथा उन उद्देश्यों और तरीकों के जैसा कि अधिनियम में प्रदत्त है, कोई भी धन विनियोजित नहीं किया जा सकता है।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकस्मिक निधि (रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 47)

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा बनाये गये कानून द्वारा स्थापित किया जाता है, और यह उपराज्यपाल के नियंत्रण में होता है जो उन अग्रिमों को स्वीकृत करने के लिए, जो किसी ऐसे अप्रत्याशित व्यय जिनका राज्य विधानमंडल द्वारा उन व्यय को अधिकृत किया जाना लंबित हो, को पूरा करने हेतु सक्षम बनाता है।

उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखा में जमा किया जाता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली के लिए अलग से कोई लोक लेखा नहीं है। लोक लेखे से संबंधित लेन-देन (जमा, अग्रिम, प्रेषण और उचंत) का केन्द्रीय सरकार के लोक लेखे में विलय हो जाता है। रा.रा.क्षे.दि.स. का अंतिम शेष केन्द्र सरकार के सामान्य नगद शेष में समायोजित होता है और सरकार के पास जमा राशि के रूप में माना जाता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय देयताओं में बड़े पैमाने पर लघु बचत संग्रह का हिस्सा शामिल है।

दिल्ली, केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत नहीं आती है और केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के अंश के बदले में केवल विवेकाधीन अनुदान प्राप्त करती है।

राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. दिल्ली के कर तथा गैर-कर राजस्व एवं भारत सरकार (भा.स.) से सहायता अनुदान शामिल होते हैं।


राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। यह

सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (यद्यपि कुछ अनुदान संपत्ति निर्माण के लिए हो सकता है) के लिए किए गए खर्चों से संबंधित है।

पूँजीगत प्राप्तियाँ में रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण और अग्रिम की वसूली, भारत सरकार से ऋण के माध्यम से प्राप्तियाँ और विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं।

पूँजीगत व्यय में मशीनरी, उपकरण, शेरों में निवेश पर व्यय तथा सरकार द्वारा सा.क्षे.उ. तथा अन्य पार्टियों को दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

चार्ट 1.3: रा.रा.क्षे.दि.स. के सरकारी लेखे की संरचना



बजटीय प्रक्रियाएं

रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम 1991, की धारा 27 के अनुसार, रा.रा.क्षे.दि.स. के उपराज्यपाल, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, विधानमंडल के समक्ष, उस वर्ष के लिए पूँजी की अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय का विवरण एक वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रस्तुत कराएगा।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 28 के अनुसार, अनुदानों की मांग/विनियोजन के रूप में विवरण राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाता है और उसके अनुमोदन के पश्चात, अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत संचित निधि से आवश्यक धनराशि के विनियोजन के लिए विनियोजन विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है।

बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम तथा राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहलों के क्रियान्वयन का विवरण इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में दिया गया है।

1.4.1 वित्त का आशुचित्र

तालिका 1.3 वास्तविक वित्तीय परिणाम, वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान तथा 2018-19 के वास्तविक का तुलनात्मक विवरण प्रदान करता है।

विगत पाँच वर्षों के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ-साथ संपूर्ण राजकोषीय स्थिति का विवरण परिशिष्ट 1.1 में दिया गया है।

तालिका 1.3: बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणाम

क्र. स.	संघटक	(₹ करोड़ में)				
		2018-19 (वास्तविक)	2019-20 (बजट अनुमान)	2019-20 (वास्तविक)	ब.अ. से वास्तविक का प्रतिशत	स.रा.घ.उ. से वास्तविक का प्रतिशत
1	कर राजस्व	36,625	42,500	36,566	86.04	4.27
2	गैर-कर राजस्व	644	800	1,097	137.13	0.13
3	सहायता अनुदान तथा अंशदान	5,844	6,717	9,473	141.03	1.11
4	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	43,113	50,017	47,136	94.24	5.51
5	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	1,644	750	823	109.73	0.10
6	अन्य प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
7	उधार एवं अन्य देयताएं (क)	(-756)	1,455	1,954	134.30	0.23
8	पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	888	2,205	2,777	125.94	0.32
9	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	44,001	52,222	49,913	95.58	5.83
10	राजस्व व्यय, जिसका	36,852	44,781	39,637	88.51	4.63
11	ब्याज भुगतान	2,867	3,178	2,752	86.60	0.32
12	पूँजीगत व्यय (ख) जिसका	5,668	11,888	8,738	73.50	1.02
13	पूँजीगत परिव्यय	3,266	9,647	5,472	56.72	0.64
14	ऋण एवं अग्रिम	2,402	2,241	3,266	58.61	0.38
15	कुल व्यय (10+12)	42,520	56,669	48,375	80.63	5.65
16	राजस्व अधिशेष (4-10)	6,261	5,236	7,499	143.22	0.88
17	राजकोषीय घाटा {(4+5+6)-15}	2,237	(-5,902)	(-416)	7.05	(-0.05)
18	प्राथमिक अधिशेष (17+11)	5,104	5,795 ¹	2,336	40.31	0.27

(क) उधार तथा अन्य देयताएं: सार्वजनिक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण)

(ख) पूँजीगत लेखों पर व्यय में पूँजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

¹ स्रोत: रा.रा.क्षे.दि.स. के बजट 2019-20 एक नजर में

1.4.2 सरकार की संपत्ति और देयताओं का आशुचित्र

मौजूदा सरकारी लेखांकन प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि और भवनों जैसी अचल संपत्तियों का व्यापक लेखा-जोखा नहीं किया जाता है। हालांकि, सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित संपत्ति शामिल होती हैं। संपत्तियों में मुख्य रूप से पूँजी परिव्यय और रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा आरंभिक नगद शेष शामिल हैं। देयताओं में केवल भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। संपत्ति और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति तालिका 1.4 में दी गई है:

तालिका 1.4: संपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)


देयताएं				परिसंपत्तियां					
	2018-19	2019-20	प्रतिशत वृद्धि		2018-19	2019-20	प्रतिशत वृद्धि		
समेकित निधि									
क	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	32,812	34,767	5.96	क	सकल पूँजीगत परिव्यय	64,813	70,285	8.44
ख	1994-95 के दौरान ले.म.नि. से लिए गए पूँजीगत परिव्यय का शेष	1,588	1,588	0	ख	ऋण व अग्रिम	64,570	67,014	3.79
ग	1994-95 के दौरान ले.म.नि. से लिए गए ऋण एवं अग्रिम का शेष	3,356	3,356	0	ग	भारत सरकार के सामान्य नगद शेष में अंतिम नगद शेष का विलय	4,463	6,001	34.46
घ	राजस्व लेखा में अधिशेष	96,090	1,03,589	7.80					
कुल		1,33,846	1,43,300	7.06	कुल		1,33,846	1,43,300	7.06

नोट: 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 को क्रमशः ₹ 64,813 करोड़ तथा ₹ 70,285 करोड़ की संपत्ति में सकल पूँजीगत परिव्यय शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,588 करोड़ की राशि शामिल है जिसे 1994-95 के दौरान लेखा महानियंत्रक से लिया गया था। इसी प्रकार, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 को संपत्ति के पक्ष में दर्शाए गए ऋण और अग्रिम क्रमशः ₹ 64,570 करोड़ और ₹ 67,014 करोड़ थे जिसमें 1994-95 के दौरान ले.म.नि. से ली गई ₹ 3,356 करोड़ शामिल थे।


1.5 अधिशेष/घाटे में प्रवृत्तियां

चार्ट 1.4 एवं 1.5 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान अधिशेष/घाटे के संकेतकों तथा स.रा.घ.उ. से संबंधित अधिशेष/घाटे की प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं।

चार्ट 1.4: 2015-16 से 2019-20 की समाप्ति पर अधिशेष/घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियां



चार्ट 1.5: 2015-16 से 2019-20 की अवधि की समाप्ति पर स.रा.घ.उ. से संबंधित घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियां



राजस्व अधिशेष राजस्व व्यय के प्रति राजस्व प्राप्तियों की अधिकता को दर्शाता है। 2019-20 में ₹ 7,499 करोड़ का राजस्व अधिशेष इंगित करता है कि राजस्व व्यय को करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त राजस्व प्राप्तियाँ हैं। 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली में लगातार राजस्व अधिशेष रहा है।

2015-16 में राजकोषीय अधिशेष ₹ 1,332 करोड़ था जो कि 2016-17 के दौरान ₹ 1,051 करोड़ के घाटे में परिवर्तित हो गया तथा पुनः 2017-18 में ₹ 113 करोड़ के अधिशेष में परिवर्तित हो गया। 2018-19 के दौरान

राजकोषीय अधिशेष ₹ 2,237 करोड़ था, जो कुल व्यय में ₹ 42,520 करोड़ से ₹ 48,375 करोड़ की वृद्धि तथा उसी अवधि के दौरान ऋण एवं अग्रिमों की वसूली में ₹ 1,644 करोड़ से ₹ 823 करोड़ की कमी के कारण 2019-20 के दौरान ₹ 416 करोड़ के घाटे में परिवर्तित हो गया।

2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली के पास प्राथमिक अधिशेष था जो 2018-19 में ₹ 5,104 करोड़ की तुलना में 2019-20 में ₹ 2,336 करोड़ हो गया। प्राथमिक अधिशेष में कमी मुख्यतः कुल व्यय में वृद्धि के कारण थी।

2018-19 में स.रा.घ.उ. के 0.81 प्रतिशत के प्रति 2019-20 में राजस्व अधिशेष स.रा.घ.उ. का 0.88 प्रतिशत हो गया। 2018-19 में स.रा.घ.उ. के 0.29 प्रतिशत के राजकोषीय अधिशेष के प्रति 2019-20 में स.रा.घ.उ. के (-) 0.05 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा हो गया। रा.रा.क्षे. दिल्ली, भा.स. द्वारा वहन की जा रही रा.रा.क्षे.दि.स. के कर्मचारियों की पेंशन देयताओं के कारण राजस्व अधिशेष को बनाए रखने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस का व्यय भी गृह मंत्रालय, भा.स. वहन करता है। 2019-20 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. के कर्मचारियों की ₹ 1,315.72 करोड़ की पेंशन देयताओं तथा दिल्ली पुलिस के ₹ 8,208.51 करोड़ के राजस्व व्यय का वहन भा.स. द्वारा किया गया था।

अध्याय - 2

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त

अध्याय-2

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त

यह अध्याय वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली सरकार के वित्त का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान संपूर्ण प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

2.1 2018-19 की तुलना में वि.व. 2019-20 में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में मुख्य बदलाव

इस भाग में पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली के प्रमुख राजकोषीय संचयन में प्रमुख बदलावों को सरसरी तौर पर दिया गया है। इन सभी संकेतकों का आगामी पैराग्राफों में विश्लेषण किया गया है। वि.व. 2018-19 की तुलना में वि.व. 2019-20 में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में मुख्य बदलावों को तालिका 2.1 में दिया गया है।

तालिका 2.1: वि.व. 2018-19 की तुलना में वि.व. 2019-20 में रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रमुख राजकोषीय संचयनों में बदलाव

राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none">✓ राजस्व प्राप्तियाँ 9.33 प्रतिशत तक बढ़ गईं।✓ स्वयं की कर प्राप्तियाँ 0.16 प्रतिशत तक घट गईं।✓ गैर-कर प्राप्तियाँ 70.34 प्रतिशत तक बढ़ गईं।✓ भारत सरकार से सहायता अनुदान 62.10 प्रतिशत तक बढ़ गया।
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ राजस्व व्यय 7.56 प्रतिशत तक बढ़ गया।✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय 6.86 प्रतिशत तक घट गया।✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 2.22 प्रतिशत तक बढ़ गया।✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 25.12 प्रतिशत तक बढ़ गया।✓ सहायता अनुदान पर व्यय 64.02 प्रतिशत तक बढ़ गया।
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ पूँजीगत व्यय 67.54 प्रतिशत तक बढ़ गया।✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 116.11 प्रतिशत तक बढ़ गया।✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 103.53 प्रतिशत तक बढ़ गया।✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 13.52 प्रतिशत तक बढ़ गया।
ऋण तथा अग्रिम	<ul style="list-style-type: none">✓ ऋण तथा अग्रिमों का संवितरण 35.97 प्रतिशत तक बढ़ गया।✓ ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ 49.94 प्रतिशत तक घट गईं।
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none">✓ लोक ऋण प्राप्तियाँ 65.45 प्रतिशत तक बढ़ गईं।✓ लोक ऋण का पुनर्भुगतान 22.69 प्रतिशत तक घट गया।

2.2 निधियों के स्रोत तथा उपयोग

यह भाग पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली के निधियों के स्रोतों तथा उपयोग के संघटकों की तुलना करता है। 2018-19


तथा 2019-20 के दौरान निधियों के स्रोतों तथा उपयोग के विवरणों को तालिका 2.2, चार्ट 2.1 तथा चार्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान निधियों के स्रोतों तथा उपयोग के विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2018-19	2019-20	वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
स्रोत	आरंभिक शेष	2,982	4,463	49.66
	राजस्व प्राप्तियाँ	43,113	47,136	9.33
	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	1,644	823	(-)49.94
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	(-) 756	1,954	358.47
	कुल	46,983	54,376	15.73
उपयोग	राजस्व व्यय	36,852	39,637	7.56
	पूँजीगत व्यय	3,266	5,472	67.54
	ऋण तथा अग्रिमों का संवितरण	2,402	3,266	35.97
	अंतिम शेष	4,463	6,001	34.46
	कुल	46,983	54,376	15.73

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



2.3 रा.रा.क्षे. दिल्ली के संसाधन

रा.रा.क्षे. दिल्ली के संसाधनों को नीचे वर्णित किया गया है:

1. राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और भारत सरकार (भा.स.) से सहायता अनुदान निहित होती है।


2. पूँजीगत प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋण तथा अग्रिम की वसूलियाँ, भा.स. से ऋण द्वारा प्राप्तियाँ तथा विभिन्न पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल होती हैं।

राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों ही रा.रा.क्षे. दिल्ली के समेकित निधियों का अंश होती हैं।

2.3.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली की प्राप्तियाँ

समग्र प्राप्तियों की संरचना को चार्ट 2.3 में नीचे दिया गया है।

चार्ट 2.3: 2019-20 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली की प्राप्तियों की संरचना



*आरंभिक शेष तथा आकस्मिक निधियों को छोड़कर

2.3.2 रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. दिल्ली के कर, गैर-कर राजस्व तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान निहित होती हैं।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां तथा वृद्धि

राजस्व प्राप्तियों, स.रा.घ.उ. के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियाँ एवं उत्पादावकता अनुपात की वृद्धि में प्रवृत्तियां तथा राजस्व प्राप्तियों की संरचना तालिका 2.3 एवं चार्ट 2.4 में दी गई है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.) (₹ करोड़ में)	34,999	34,346	38,667	43,113	47,136
रा.प्रा. की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	18.30	-1.87	12.58	11.50	9.33
स्वयं का कर राजस्व	30,226	31,140	35,717	36,625	36,566
गैर-कर राजस्व	515	381	766	644	1,097
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (स्वयं का कर तथा गैर-कर राजस्व) (प्रतिशत)	12.86	2.54	15.74	2.15	1.06
भा.स. से सहायता अनुदान	4,258	2,825	2,184	5,844	9,473
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011-12 क्रम)	5,50,804	6,16,085	6,86,824	7,74,870	8,56,112
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	11.32	11.85	11.48	12.82	10.48
रा.प्रा./सं.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	6.35	5.57	5.63	5.56	5.51
उत्पलावकता अनुपात ¹					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्पादावकता सहित	1.62	-0.16	1.10	0.90	0.89
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में रा.रा.क्षे. दिल्ली की स्वयं के राजस्व उत्पादावकता	1.14	0.21	1.37	0.17	0.10

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय तथा संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


राजस्व प्राप्तियाँ 9.97 प्रतिशत वार्षिक औसत वृद्धि दर से 2015-16 में ₹ 34,999 करोड़ से 34.67 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में ₹ 47,136 करोड़ हो गई, जिसमें से रा.रा.क्षे दिल्ली के स्वयं कर राजस्व तथा सहायता अनुदान में उक्त अवधि के दौरान क्रमशः ₹ 6,340 करोड़ (20.98 प्रतिशत) तथा ₹ 5,215 करोड़ (122.48 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2019-20 के दौरान, राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 9.33 प्रतिशत तक बढ़ गई, जो विशेष रूप से जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से उत्थित राजस्व की कमी के बदले में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 3,254 करोड़ (77.80 प्रतिशत) तक मुआवजे की प्राप्ति एवं ₹ 3,629 करोड़ (62.10 प्रतिशत) के सहायता अनुदान की वृद्धि के कारण हुआ था।

¹ उत्पादावकता अनुपात मूल विभिन्नताओं में दिए गए बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय विभिन्नताओं की जवाबदेही की शिथिलता तथा मात्रा को दर्शाती है। उदाहरणार्थ, 1.85 पर स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्पादावकता का तात्पर्य है कि राजस्व प्राप्तियाँ प्रवृत्ति 1.85 प्रतिशत प्वाइंटस तक बढ़ जाती, यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत तक बढ़ती।

कुल राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं कर राजस्व का अंश 2015-16 में 86.36 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 77.58 प्रतिशत तक हो गया। 2015-16 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से राजस्व प्राप्तियाँ लगभग 87.83 प्रतिशत तक थी जबकि सहायता अनुदान अंशदान 12.17 प्रतिशत था। वर्ष 2019-20 में, रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से राजस्व प्राप्तियाँ लगभग 79.90 प्रतिशत तक थीं जबकि सहायता अनुदान अंशदान 20.10 प्रतिशत था।

चार्ट 2.4: 2015-2020 के दौरान स.रा.घ.उ. से संबंधित राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां




रा.रा.क्षे. दिल्ली का स.रा.घ.उ. 2015-16 में ₹ 5,50,804 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 8,56,112 करोड़ (55.43 प्रतिशत) हो गया। 2018-19 की तुलना में, स.रा.घ.उ. (₹ 7,74,870 करोड़) में वृद्धि होकर 2019-20 में ₹ 8,56,112 करोड़ (10.48 प्रतिशत) हो गई। स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ 2015-16 में 6.35 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 5.51 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2017-18 को छोड़कर स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ लगातार वर्ष-वार आधार पर गिरावट को दर्शा रही थी। स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता 2019-20 में 0.89 पर थी जिसका तात्पर्य है कि राजस्व प्राप्तियाँ 0.89 प्रतिशत बिन्दुओं तक बढ़ गईं, यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत तक बढ़ गई। 2019-20 में रा.रा.क्षे. दिल्ली की

स.रा.घ.उ. के संदर्भ में स्वयं की राजस्व उत्पलावकता 0.10 थी, इसका तात्पर्य है कि रा.रा.क्षे. दिल्ली की स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ 0.1 प्रतिशत बिंदु तक बढ़ गई, यद्यपि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत तक बढ़ गई थी। इसका तात्पर्य यह है कि रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं के राजस्व में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान स्थिर रही।

राजस्व प्राप्तियों के संघटकों की प्रवृत्तियों को चार्ट 2.5 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.5 : राज्य की राजस्व प्राप्ति में संघटकों की प्रवृत्तियां



स्वयं कर राजस्व 2015-16 से 2018-19 तक बढ़ी हुई प्रवृत्तियों को दर्शा रहा था परंतु 2019-20 में अंशतः घट गया। हालांकि, भा.स. से स.अ. 2015-16 से 2017-18 तक घटी हुई प्रवृत्ति को दर्शा रहा था परंतु 2017-18 से 2019-20 तक लगातार वृद्धि हो रही थी। पिछले पाँच वर्ष की तुलना में गैर-कर राजस्व मिश्रित प्रवृत्तियों को दर्शा रहा था।


2.3.2.2 रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं के संसाधन

संसाधनों के संग्रह में रा.रा.क्षे. दिल्ली का निष्पादन उसके अपने संसाधनों के मूल्यांकन, जिसमें स्वयं कर एवं गैर-कर शामिल है, से होता है।

स्वयं कर राजस्व

रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं कर राजस्व में राज्य जी.एस.टी., राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क, भू-राजस्व इत्यादि सम्मिलित होते हैं। 2015-16 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे दिल्ली के स्वयं कर राजस्व के संघटकों की प्रवृत्ति को तालिका 2.4 तथा चार्ट 2.6 में दिखाया गया है।

चार्ट 2.6: 2015-16 से 2019-20 के दौरान स्वयं कर राजस्व की वृद्धि



तालिका 2.4: रा.रा.क्षे दिल्ली के स्वयं कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राज्य वस्तु तथा सेवा कर (रा.व.से.क.)	-	-	13,621	19,187	19,465
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	20,246	21,144	11,149	5,886	5,475
राज्य उत्पाद शुल्क	4,238	4,251	4,453	5,028	5,068
वाहनों पर कर	1,607	1,809	2,116	2,055	1,948
स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क	3,433	3,144	4,117	4,459	4,606
भू राजस्व	1	2	2	0	3
अन्य कर ²	701	790	259	10	1
कर राजस्व	30,226	31,140	35,717	36,625	36,566

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वस्तु तथा सेवा कर (व.से.क.)

जी.एस.टी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017, के अनुसार पाँच साल की अवधि के लिए आधार वर्ष (2015-16) से 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को

² मनोरंजन कर, बैटिंग कर, विलासिता कर तथा केबल कर को शामिल करते हुए अन्य कर

ध्यान में रखते हुए वस्तु तथा सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण उत्थित राजस्व में हुई कमी के लिए राज्यों को मुआवजा दिया जायेगा। केन्द्र वस्तु तथा सेवाओं की अन्तर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत अन्तर्राज्यीय जी.एस.टी. उद्गृहीत करता है तथा राज्यों को कर के अंश बांटता है जहां वस्तुएं अथवा सेवाओं का उपभोग किया जाता है। एस.जी.एस.टी. संग्रहण में प्रवृत्तियों को तालिका 2.5 तथा चार्ट 2.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: प्राप्त किया गया राज्य एस.जी.एस.टी. तथा मुआवजा

(₹ करोड़ में)


महीना	प्रक्षेपित किया जाने वाला राजस्व	संग्रहित किया गया पूर्व जी.एस.टी. कर	संग्रहित किया गया एस.जी.एस.टी.	आई.जी.एस.टी. का अंतिम विभाजन तदर्थ आई.जी.एस.टी. निधि से निपटान	अन्य कर ³	प्राप्त की गई कुल राशि	प्राप्त किया गया मुआवजा
अप्रैल 2019	2,362.25	39.96	1,118.08	913.13	1.82	2,072.99	1,043
मई 2019	2,362.25	36.56	934.94	276.47	1.83	1,249.80	
जून 2019	2,362.25	31.39	895.89	529.72	2.17	1,459.17	1,525
जुलाई 2019	2,362.25	(-)21.19	891.95	1,048.99	1.28	1,921.03	
अगस्त 2019	2,362.25	55.43	897.84	586.65	0.73	1,540.65	2,324
सितम्बर 2019	2,362.25	7.45	885.23	113.62	0.69	1,006.99	
अक्टूबर 2019	2,362.25	27.16	911.72	630.40	1.40	1,570.68	1,372
नवम्बर 2019	2,362.25	60.19	1,112.55	635.65	1.51	1,809.90	
दिसम्बर 2019	2,362.25	25.34	995.57	730.24	0.21	1,751.36	1,419.68
जनवरी 2020	2,362.25	59.72	1,089.88	1,046.66	0.10	2,196.36	
फरवरी 2020	2,362.25	89.39	966.05	655.75	1.22	1,712.41	
मार्च 2020	2,362.25	34.23	868.47	729.49	1.23	1,633.42	740.32
कुल	28,347	445.63	11,568.17	7,896.77	14.19	19,924.76	8,424*

- वित्त लेखों के अनुसार वि.व. 2019-20 के दौरान प्राप्त किए गए ₹ 7,436 करोड़ जिसमें फरवरी/मार्च 2019 (वि.व. 2018-19) के लिए मई 2019 के महीने में प्राप्त हुए ₹ 1,172 करोड़ शामिल हैं तथा वि.व. 2019-20 के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 2,160 करोड़ प्राप्त हुए (₹ 7,436 करोड़ - ₹ 1,172 करोड़ + ₹ 2,160 करोड़ = ₹ 8,424 करोड़)

वर्ष 2019-20 के लिए प्रक्षेपित राजस्व 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के अनुसार ₹ 28,347 करोड़ था। इसके विपरीत वर्ष 2019-20 के दौरान जी.एस.टी. के अंतर्गत रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 19,924.76 करोड़ थी तथा प्राप्त किया गया मुआवजा ₹ 8,424 करोड़ था जैसा कि तालिका 2.5 में विस्तृत किया गया है। इस प्रकार, कुल मिलाकर 31 मार्च 2020 तक मुआवजे की प्राप्ति में कमी नहीं थी।

³ अन्य कर में मनोरंजन कर, विलासिता कर, केबल कर इत्यादि शामिल हैं।

चार्ट 2.7 एस.जी.एस.टी. संग्रहण में प्रवृत्तियां



एस.जी.एस.टी. संग्रहण 2018-19 में ₹ 19,187 करोड़ से ₹ 278 करोड़ बढ़ कर 2019-20 में ₹ 19,465 करोड़ हो गया। वस्तु एवं सेवा कर विभाग ने कहा कि एस.जी.एस.टी. संग्रहण मार्केट के उतार-चढ़ाव के कारण बढ़ गया।

एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर (आई.जी.एस.टी.)

रा.रा.क्षे.दि.स., भारत सरकार से आई.टी.सी. तथा एस.जी.एस.टी./यू.टी.जी.एस.टी. के उपयोग किए जाने के आधार पर केंद्र द्वारा संग्रहित आई.जी.एस.टी. के निपटान के प्रति निधियां प्राप्त करती है जिसको एस.जी.एस.टी. के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाता है। वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान प्राप्त की गई निधियों के विवरणों को तालिका 2.6 में दिया गया है।

तालिका 2.6: 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए आई.जी.एस.टी. प्रवृत्तियां

शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20
इनपुट टैक्स क्रेडिट	3,302.81	2,419.42	3,500.84
आई.जी.एस.टी. का विभाजन	1,622.13	3,606.66	4,238.94
आई.जी.एस.टी. का अग्रिम विभाजन	735.00	2,582.20	157.00

राजस्व के बकाये

राजस्व के बकाये, सरकार द्वारा राजस्व की वसूली में की गई देरी को दर्शाता है। व्यापार तथा कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार मुख्य शीर्ष- 0040 बिक्री पर कर, व्यापार इत्यादि के अंतर्गत 31 मार्च 2020 तक राजस्व के बकाये ₹ 62,199 करोड़ के थे जिसमें से ₹ 12,068 करोड़ पिछले पाँच वर्षों से अधिक समय के बकाये थे।

निर्धारण के बकाये मामले

निर्धारण के बकाये मामले संभावित राजस्व को दर्शाते हैं जो कि विलम्बित निर्धारण के कारण अवरूद्ध थे। वर्ष के आरंभ में लम्बित मामले, निर्धारण के

लिए देय मामले, वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामले तथा वर्ष के अंत में अंतिमकरण किए जाने के लिए लंबित मामलों की संख्या को तालिका 2.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7 निर्धारण के बकाये मामले

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	मामले के प्रारंभिक शेष	2019-20 के दौरान निर्धारण के लिए देय नये मामले	कुल देय निर्धारण	2019-20 के दौरान निपटान किए गए मामले	वर्ष के अन्त में शेष	निपटान की प्रतिशतता
0040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर	-	3,53,788	3,53,788	3,53,788	0	100

स्रोत: व्यापार तथा कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन, वापसी के मामले इत्यादि का विवरण

उत्पाद तथा कर विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामले, अंतिमकरण किए गए मामले तथा उदघृत किए गए अतिरिक्त कर हेतु मांग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण के प्रयत्नों का महत्वपूर्ण संकेतक है। कर वापसी मामले के निपटान में तत्परता विभाग के निष्पादन का महत्वपूर्ण संकेतक है। वापसी मामले का अधिक लंबन लालफीताशाही, निहित स्वार्थ, अतिरिक्त मुद्रा के प्रचलन इत्यादि के संकेतक है। वर्ष 2019-20 के लिए पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामले तथा वापसी मामलों के विवरणों को तालिका 2.8 तथा तालिका 2.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8: पता लगाए गए कर के अपवंचन

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2019 तक लंबित मामले	2019-20 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	कुल मामले की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूरी की गई तथा अतिरिक्त मांग के साथ उदघृत किए गए जुर्माने इत्यादि		31 मार्च 2020 तक अपील के अंतर्गत लंबित मामले की संख्या
				मामले की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
जी.एस.टी.	3	845	848	848	15.67	7

स्रोत: व्यापार एवं कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

तालिका 2.9: वर्ष 2019-20 के लिए वापसी मामलों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	जीएसटी		बिक्री कर /वैट	
		मामले की संख्या*	राशि (₹ करोड़ में)	मामले की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	-	-	29,444	1,843.01
2	वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावे	18,182	6,368.51	5	4.02
3	वर्ष के दौरान वापसी	7,922	521.67	11,690	462.00
4	वर्ष के दौरान अस्वीकृत प्रतिभागी/समायोजित वापसियां	#	#	5,015	40.44
5	वर्ष के अंत में बकाया शेष	-	-	17,759	1,344.59

*विवरण में 2019-20 में सभी ऑनलाइन वापसी की स्थिति शामिल है तथा जुलाई 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 की अंशतः अवधि के लिए ऑफलाइन डाटा उपलब्ध नहीं है।

#सूचना प्रतीक्षित

गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व में ब्याज-प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ, विभागीय प्राप्तियाँ इत्यादि शामिल होते हैं। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के गैर-कर राजस्व के संघटकों तथा प्रवृत्तियों को तालिका 2.10 तथा चार्ट 2.8 में दिया गया है।

तालिका 2.10: रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के गैर-कर राजस्व के संघटक


(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
ब्याज प्राप्तियाँ	82	82	396	113	404
लाभांश तथा लाभ	12	11	16	15	16
अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ	421	288	354	516	677
क. लोक निर्माण	19	22	14	18	13
ख. शिक्षा	22	24	26	29	27
ग. चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	126	60	89	103	112
घ. उर्जा	42	21	26	53	87
ड. अन्य इत्यादि	212	161	199	313	438
कुल गैर-कर राजस्व	515	381	766	644	1,097

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


गैर-कर राजस्व 2015-16 में ₹ 515 करोड़ से 113 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में ₹ 1,097 करोड़ हो गया। गैर-कर राजस्व जो कि 2019-20 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 47,136 करोड़) का 2.33 प्रतिशत था पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज प्राप्तियों, लाभांशो तथा लाभों में 228.13 प्रतिशत की वृद्धि के कारण पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 453 करोड़ (70.34 प्रतिशत) तक बढ़ गया। ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ में वृद्धि हुई क्योंकि ऊर्जा विभाग ने रा.रा.क्षे.दि.स. की ओर से दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (दि.ट्रा.लि.), दिल्ली पॉवर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (दी.पॉ.जे.क.लि.) तथा प्रगति पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (प्र.पॉ.कॉ.लि.) को कार्यशील आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान किया था। वित्तीय वर्ष 2018-19 के आगामी वर्षों में आई.पी.जी.सी.एल. और पी.पी.सी.एल. वित्तीय संकट का सामना कर रही थी इसलिए ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ थी। हालांकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में पी.पी.सी.एल. ने रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से लिए गए ऋणों पर ब्याज के कारण लगभग ₹ 354.25 करोड़ का भुगतान किया था।

चार्ट 2.8: गैर-कर राजस्व शीर्ष में प्रवृत्तियाँ



अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ 2015-16 से 2019-20 के दौरान ₹ 256 करोड़ (60.81 प्रतिशत) तक बढ़ गई। पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान ₹ 161 करोड़ (31.20 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से सामान्य सेवाओं के अंतर्गत शीर्ष जैसे लोक सेवा आयोग, पुलिस, जेल तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं में गैर कर प्राप्तियों में 136.77 प्रतिशत वृद्धि के कारण हुई थी। अन्य गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियों को चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.9: अन्य गैर-कर प्राप्त शीर्षों में प्रवृत्तियाँ



2.3.2.3 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार ने 2017-18 के दौरान राज्यों को सहायता अनुदान (स.अ.) उपलब्ध कराए जाने के लिए योजना तथा गैर-योजना वर्गीकरण को बंद कर दिया था। भा.स. से स.अ. के विवरण तालिका 2.11 में है।

तालिका 2.11: भारत सरकार से सहायता अनुदान


(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (के.प्रा.यो.)	866.55	1,156.28	527.27	807.03	1,169.48
सामान्य केन्द्रीय योजना सहायता (ब्लॉक अनुदान)	394.98	462.89	412.98	449.99	472.00
अन्य अनुदान (एन.पी.)	2,580.02	793.71	706.30	79.75	70.56
केन्द्रीय करों में अंश के बदले अनुदान	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00
जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से उत्थित राजस्व की हानि का मुआवजा	-	-	157.00	4,182.00	7,436.00
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (रा.सा.स.का.)	27.15	81.73	54.59	रा.सा.स.का. 2018-19 से के.प्रा.यो. में शामिल कर दी गई।	रा.सा.स.का. 2018-19 से के.प्रा.यो. में शामिल कर दी गई थी।
केन्द्रीय सड़क निधि (के.स.नि.)	14.59	5.54	1.16	-	-
अन्य अनुदान (योजना)	50.00	-	-	-	-
कुल	4,258.29	2,825.15	2,184.30	5,843.77	9,473.04
स.अ. से राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	12.17	8.23	5.65	13.55	20.10

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

भा.स. से स.अ. 2015-16 में ₹ 4,258 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 9,473 करोड़ (122.48 प्रतिशत) तक हो गया। भा.स. से स.अ. पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 में ₹ 3,629 करोड़ (62.10 प्रतिशत) तक बढ़ गया। इसमें जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से उत्थित राजस्व की हानि के बदले 2019-20 में ₹ 7,436 करोड़ का मुआवजा भी शामिल है जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 3,254 करोड़ (77.81 प्रतिशत) तक बढ़ गया था। दिल्ली, केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत नहीं आती है और केन्द्रीय कर तथा शुल्कों के राज्य अंश के बदले में केवल विवेकाधीन अनुदान प्राप्त करती है जो कि 2001-2002 से ₹ 325 करोड़ पर स्थिर हो गये हैं, यद्यपि केन्द्रीय कर संग्रहण 2001-02 से पर्याप्त रूप से बढ़ गया है। 2015-16 से 2019-20 तक की अवधि के लिए स.अ. में प्रवृत्तियों को चार्ट 2.10 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.10: सहायता अनुदान में प्रवृत्ति



2.3.3 पूँजीगत प्राप्तियाँ

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की पूँजीगत प्राप्तियों में भा.स. से ऋणों तथा अग्रिमों (गैर-ऋणों) की वसूलियां तथा ऋणों तथा अग्रिमों (ऋण) की प्राप्तियाँ समाहित होती हैं। पाँच वर्षों के दौरान (2015-16 से 2019-20 तक) पूँजीगत प्राप्तियों का विवरण तालिका 2.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.12: पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटकों में प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

रा.रा.क्षे. दिल्ली की प्राप्तियों के स्रोत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पूँजीगत प्राप्तियाँ (ऋण तथा गैर-ऋण)	2,324	1,908	2,597	4,524	5,588
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां (गैर-ऋण)	83	212	691	1,644	823
निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ	806	41	224	(-756)	1,954
आंतरिक ऋण ⁴	-	-	-	-	-
वृद्धि दर	-	-	-	-	-
भा.स. से ऋण तथा अग्रिम (ऋण)	2,241	1,696	1,906	2,880	4,765
वृद्धि दर	27.04	(-24.32)	12.38	51.10	65.45
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की दर (प्रतिशत)					
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि की दर	27.04	(-24.32)	12.38	51.10	65.45
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि की दर	(-63.60)	155.42	225.94	137.92	(-49.94)
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर	11.32	11.85	11.48	12.82	10.48
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	16.67	(-17.90)	36.11	74.20	23.52

स्रोत: वित्त लेखों तथा स.रा.घ.उ. के लिए आर्थिक तथा सांख्यिकी संगठन, भा.स. की कार्यालयी वेबसाइट (www.esop.gov.in)

गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ 2018-19 में ₹ 1,644 करोड़ से 49.94 प्रतिशत तक घट कर 2019-20 में ₹ 823 करोड़ हो गई। ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ पिछले वर्षों की तुलना में भा.स. से ऋणों तथा अग्रिमों में 65.45 प्रतिशत अधिक वृद्धि के कारण 2018-19 में ₹ 2,880 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 4,765 करोड़ हो कर 65.45 प्रतिशत तक बढ़ गई।

⁴ रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की कोई आंतरिक ऋण नहीं है।

2.4 संसाधनों के उपयोग

राज्य सरकार का राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के अंतर्गत व्यय करने की जिम्मेदारी के साथ निहित है, जो कि उसी समय यह सुनिश्चित करती है कि राज्य में चल रहे वित्तीय सुधार तथा समेकन प्रक्रिया पूँजीगत बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में व्यय की लागत पर नहीं है। यह पैराग्राफ उप-पैराग्राफ के साथ राज्य में व्यय के आवंटन का विश्लेषण करता है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि तथा संघटन

पिछले पाँच वर्षों (2015-16 से 2019-20) की तुलना में कुल व्यय की प्रवृत्तियाँ तथा संघटन तालिका 2.13 तथा चार्ट 2.11 में दर्शाया गया है।


तालिका 2.13: कुल व्यय तथा उनके संघटक

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय (कु.व्य.)	33,750	35,609	39,245	42,520	48,375
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	26,343	29,302	33,754	36,852	39,637
पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.)	4,723	3,754	3,243	3,266	5,472
ऋण तथा अग्रिम	2,684	2,553	2,248	2,402	3,266
स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में					
कु.व्य./स.रा.घ.उ.	6.13	5.78	5.71	5.49	5.65
रा.व्य./स.रा.घ.उ.	4.78	4.76	4.91	4.76	4.63
पूँ.व्य./स.रा.घ.उ.	0.86	0.61	0.47	0.42	0.64
ऋण तथा अग्रिम/ स.रा.घ.उ.	0.49	0.41	0.33	0.31	0.38

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.11: कुल व्यय: प्रवृत्तियाँ तथा संघटक



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट से यह देखा जा सकता है कि पूँजीगत व्यय वर्ष के मध्य में ₹ 3,243 करोड़ से ₹ 5,472 करोड़ के बीच उतार-चढ़ाव प्रदर्शित करता है जबकि उसी अवधि की


तुलना में राजस्व व्यय मुख्य रूप से सामाजिक सेवाओं के व्यय में वृद्धि के कारण 2015-20 के दौरान लगातार बढ़ा।

इसके अतिरिक्त ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण भी वर्ष के मध्य में ₹ 2,248 करोड़ से ₹ 3,266 करोड़ के बीच उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।

व्यय के संघटकों के अंश में प्रवृत्तियां

कुल व्यय के संघटकों में प्रवृत्तियों को चार्ट 2.12 में दिखाया गया है। राजस्व व्यय कुल व्यय का 81.94 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2019-20 के लिए पूँजीगत व्यय तथा ऋणों और अग्रिमों का संवितरण क्रमशः 11.31 प्रतिशत तथा 6.75 प्रतिशत था।

चार्ट 2.12: कुल व्यय: इनके संघटकों के अंश में प्रवृत्तियां



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

व्यय के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अंश

व्यय के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अंशों को तालिका 2.14 में दर्शाया गया है। कुल व्यय (लोक ऋण को छोड़कर) में सामान्य सेवाओं के अंश 2018-19 में 18.31 प्रतिशत से 2019-20 में 15.45 प्रतिशत तक घट गए।


तालिका 2.14: कुल व्यय (लोक ऋण को छोड़कर) में से व्यय के विभिन्न क्षेत्रों के संबंधित अंश

मापदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सामान्य सेवाएं	20.16	19.49	18.92	18.31	15.45
सामाजिक सेवाएं	48.94	52.54	53.96	55.08	53.16
आर्थिक सेवाएं	20.11	17.93	18.61	15.40	16.62
अन्य (सहायता अनुदान एवं अंशदान तथा ऋण तथा अग्रिम)	10.79	10.04	8.51	11.21	14.77

सामाजिक सेवाओं के अंश 2018-19 में 55.08 प्रतिशत से घट कर 2019-20 में 53.16 प्रतिशत हो गए। आर्थिक सेवाओं के अंश भी 2018-19 में

15.40 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 16.62 प्रतिशत हो गए। ऋणों तथा अग्रिमों और स्थानीय निकायों के अनुदानों के संवितरण पर कुल व्यय 2018-19 में 11.21 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 14.77 प्रतिशत हो गया। कुल व्यय- गतिविधियों को चार्ट 2.13 में दर्शाया गया है।

चार्ट: 2.13: कुल व्यय-गतिविधियों द्वारा व्यय



रा.रा.क्षे. दिल्ली द्वारा कुल संवितरणों के संघटकों को चार्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

2.4.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पिछले अनुबंधों के लिए भुगतान पर किया जाता है। इस प्रकार, राज्य अवसंरचना तथा सेवा नेटवर्क की किसी वृद्धि में इसका कोई परिणाम नहीं होता। तालिका 2.15 पाँच वर्षों (2015-16 से 2019-20) की तुलना में राजस्व व्यय को प्रस्तुत करती है। राजस्व व्यय 2015-16 में ₹ 26,343 करोड़ से 50.47 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में ₹ 39,637 करोड़ हो गया। स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय 2015-16 में 4.78 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 4.63 प्रतिशत हो गया। राजस्व व्यय 7.56 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में ₹ 36,852 करोड़ से 2019-20 में ₹ 39,637 करोड़ हो गया जो मुख्य रूप से आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में वृद्धि के कारण 2018-19 में ₹ 5,219 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 6,530 करोड़ (25.12 प्रतिशत) तथा सहायता अनुदान एवं अंशदान में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 2,365 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 3,878.70 करोड़ (64 प्रतिशत) हो गया।

तालिका 2.15: राजस्व व्यय-मूल मापदंड

(₹ करोड़ में)


मापदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय (कु.व्य.)	33,750	35,609	39,245	42,520	48,375
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	26,343	29,302	33,754	36,852	39,637
रा.व्य. में वृद्धि की दर (प्रतिशत)	12.05	11.23	15.19	9.18	7.56
राजस्व व्यय कु.व्य की प्रतिशतता के रूप में	78.05	82.29	86.01	86.67	81.94
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 क्रम)	5,50,804	6,16,085	6,86,824	7,74,870	8,56,112
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	11.32	11.85	11.48	12.82	10.48
रा.व्य./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	4.78	4.75	4.91	4.76	4.63
रा.प्रा. की प्रतिशतता के रूप में रा.व्य.	75.27	85.31	87.29	85.48	84.09
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व व्यय उत्प्लावकता (अनुपात)	1.06	0.95	1.32	0.72	0.72
राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में राजस्व व्यय उत्प्लावकता (अनुपात)	0.66	(-).6.01	1.21	0.80	0.81

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2019-20 में स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व व्यय की उत्प्लावकता 0.72 दर्शाती है कि राजस्व व्यय स.रा.घ.उ. में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि के लिए 0.72 प्रतिशत बढ़ गया। 2019-20 में राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष 0.81 की राजस्व व्यय की उत्प्लावकता दर्शाती है कि राजस्व प्राप्तियों में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि के लिए 0.81 प्रतिशत तक राजस्व व्यय बढ़ गया। राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में 2015-16 में 75.27 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 84.09 प्रतिशत बढ़ गया।

2019-20 अवधि के लिए राजस्व व्यय के क्षेत्र-वार संवितरण को चार्ट 2.14 में दिखाया गया है।

चार्ट 2.14: 2019-20 के लिए राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार संवितरण



2.4.2.1 राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव

लेखों के मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान राजस्व व्यय में विभिन्नताओं को तालिका 2.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.16: 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान मुख्य शीर्षों की तुलना में राजस्व व्यय में विभिन्नताएं

(₹ करोड़ में)

लेखों के मुख्य शीर्ष	2018-19	2019-20	वृद्धि(+)/कमी (-) (प्रतिशत में)
2040-बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	108.85	41.38	(-)61.98
2215-जल आपूर्ति तथा स्वच्छता	1,349.50	1,415.35	4.88
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछले वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण	211.08	265.22	25.65
2236 पोषण	113.13	149.42	32.08
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	4.14	6.39	54.35
2075-विविध सामान्य सेवाएं	11.37	9.67	(-)14.95
2216-गृह	481.81	102.61	(-)78.70
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	8.16	7.67	(-)5.88

राजस्व व्यय के मुख्य शीर्षों में प्रतिशत बदलाव ने दो वर्षों की अवधि की तुलना में बहुत अधिक भिन्नताएं दर्शायीं। राजस्व व्यय शीर्ष '2216- गृह' के अंतर्गत पिछले वर्ष से 78.70 प्रतिशत तक घट गया जबकि जी.एस.टी के कार्यान्वयन के कारण पिछले वर्ष की तुलना में शीर्ष '2040- बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर' के अंतर्गत व्यय 61.98 प्रतिशत तक घट गया।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखा पर रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रतिबद्ध व्यय में वेतन और मजदूरी, पेंशन और ब्याज भुगतान पर व्यय शामिल है। सरकारी संसाधनों पर इसका पहला प्रभार है। प्रतिबद्ध व्यय पर वृद्धि की प्रवृत्तियों के कारण सरकार के पास विकास क्षेत्र के लिए लचीलापन कम रहता है। प्रतिबद्ध व्यय के घटकों को तालिका 2.17 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.17: प्रतिबद्ध व्यय के घटक


(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वेतन एवं मजदूरी	6,251.17	7,515.26	9,089.60	10,324.66	11,070.04
पेंशन पर व्यय*	3.57	5.43	3.84	3.31	3.56
ब्याज भुगतान	2,809.81	2,882.52	2,870.67	2,867.11	2,751.87
कुल	9,064.55	10,403.21	11,964.11	13,195.08	13,825.47
राजस्व प्राप्तियों (रा.प्रा.) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	17.86	21.88	23.51	23.95	23.49
पेंशन पर व्यय	0.010	0.016	0.010	0.008	0.008
ब्याज भुगतान	8.03	8.39	7.42	6.65	5.84
कुल	25.90	30.29	30.94	30.61	29.33
राजस्व व्यय (रा.व्य.) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	23.73	25.65	26.93	28.02	27.93
पेंशन पर व्यय	0.014	0.019	0.011	0.009	0.009
ब्याज भुगतान	10.67	9.84	8.50	7.78	6.94
कुल	34.41	35.50	35.44	35.81	34.88

*दिल्ली में पूर्व विधायकों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन। रा.रा.क्ष.दि.स. के कर्मिकों की पेंशन देयता भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है।

कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय के अंश चार्ट 2.15 में दर्शाये गये हैं।

चार्ट 2.15: कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय के घटक के अंश



2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन योजना

राज्य सरकार के कर्मचारी जिनकी भर्ती 1 जनवरी 2004 को या उसके पश्चात् हुई है, राष्ट्रीय पेंशन योजना (रा.पें.यो.) के पात्र हैं। योजना की शर्तों के अनुसार, कर्मचारियों को अपने मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत का अंशदान देना होता है, हालांकि नियोक्ता का अंशदान 1 अप्रैल 2019 से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। पूरी राशि नेशनल सिक्यूरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक द्वारा निर्दिष्ट निधि प्रबंधक को हस्तांतरित कर दी जाती है।

प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 2019-20 के दौरान, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा कर्मचारियों के अंशदान के ₹ 289.34 करोड़ तथा नियोक्ताओं के अंशदान के ₹ 396.44 करोड़ के प्रति कुल ₹ 685.78 करोड़ एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक में जमा कराये गये थे। इस प्रकार, रा.पें.यो. के अंतर्गत 2019-20 के दौरान कर्मिकों के साथ-साथ नियोक्ताओं के प्रति कोई बकाया नहीं था।

2.4.2.4 सब्सिडी

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा सब्सिडी पर व्यय को तालिका 2.18 में दिखाया गया है। सब्सिडी पर व्यय 2015-16 में ₹ 1,867.61 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 3,592.94 करोड़ (92.38 प्रतिशत) हो गया। 2019-20 में सब्सिडी पर व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 41.85 प्रतिशत बढ़ गया।

तालिका 2.18: 2015-16 से 2019-20 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सब्सिडी	1,868	2,160	2,497	2,533	3,593
राजस्व प्राप्तियाँ	34,999	34,346	38,667	43,113	47,136
राजस्व व्यय	26,343	29,302	33,754	36,852	39,637
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी (प्रतिशत में)	5.34	6.29	6.46	5.88	7.62
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी (प्रतिशत में)	7.09	7.37	7.40	6.87	9.06

राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी 2018-19 में 5.88 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 7.62 प्रतिशत हो गई। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी 2018-19 में 6.87 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 9.06 प्रतिशत हो गई।

2.4.2.5 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अनुदान और ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई। विवरण तालिका 2.19 में दिखाया गया है तथा वित्तीय सहायता में प्रवृत्तियों को चार्ट 2.16 में दर्शाया गया है।


तालिका 2.19: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(क) स्थानीय निकाय					
नगर निगमों और नगर पालिकाओं	5,477.95	6,057.07	6,241.68	6,337.30	6,221.62
कुल (क)	5,477.95	6,057.07	6,241.68	6,337.30	6,221.62
(ख) अन्य					
दिल्ली छावनी बोर्ड	26.46	25.16	26.27	23.08	14.52
दिल्ली जल बोर्ड	1,718.97	1,384.65	1,930.00	2,315.98	2,855.46
दिल्ली परिवहन निगम	1,150.00	1,550.00	2,007.00	1,825.00	2,030.00
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	311.83	307.00	255.53	506.70	378.89
अन्य (दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, उच्चतर शिक्षा, अस्पताल, सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, तकनीकी शिक्षा आदि)	3,168.54	3,138.88	2,962.37	4,079.16	4,732.48
कुल (ख)	6,375.80	6,405.69	7,181.17	8,749.92	10,011.35
कुल (क+ख)	11,853.75	12,462.76	13,422.85	15,087.22	16,232.97
राजस्व व्यय	26,343.00	29,302.00	33,754.00	36,852.00	39,637.00
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	45.00	42.53	39.77	40.94	40.95

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त सूचना

चार्ट 2.16 वित्तीय सहायता की प्रवृत्तियां




स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता 2018-19 में ₹ 15,087.22 करोड़ से 7.59 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में ₹ 16,232.97 करोड़ हो गई। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता 2018-19 में 40.94 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर 2019-20 में 40.95 प्रतिशत हो गई।

2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (पू.व्यय) मुख्य रूप से अचल अवसंरचना परिसंपत्तियों जैसे कि सड़कों, भवनों आदि के निर्माण पर व्यय है। पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियां चार्ट 2.17 में प्रस्तुत की गई हैं।

चार्ट 2.17: रा.रा.क्षे. दिल्ली में पूँजीगत व्यय



चार्ट से यह देखा जा सकता है कि वर्षों के अंतराल में पूँजीगत व्यय में ₹ 3,243 करोड़ से ₹ 5,472 करोड़ के बीच उतार-चढ़ाव है।

इसी प्रकार, कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय वर्षों के अंतराल में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है, जो कि 2015-20 की अवधि के दौरान 7.68 प्रतिशत से 14 प्रतिशत के बीच था। पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 में (67.54 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 3,266 करोड़ से ₹ 5,472 करोड़ हो गया।

2.4.3.1 पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

पूँजीगत व्यय के प्रमुख शीर्षों में परिवर्तन तालिका 2.20 में दर्शाए गये हैं।

तालिका 2.20: 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान लेखा के प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

लेखा के प्रमुख शीर्ष	2018-19	2019-20	वृद्धि (+)/ कमी (-)
5054-सड़कों और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	923.84	771.92	(-) 151.92
5055-सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	152.20	282.89	130.69
4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	-	0.09	0.09
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	68.52	116.20	47.68
4059-लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	135.83	192.62	56.79
4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	306.47	357.37	50.90
4801-ऊर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	7.96	2.69	(-) 5.27
4202- शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	601.64	1298.99	697.35
4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	685.78	1823.10	1137.32

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

अनिवार्य मंजूरी प्राप्त होने में प्रारंभिक देरी के बाद प्रमुख कार्यों के शुरू होने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय में 16.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में '5054- सड़कों और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय' शीर्ष पर पूँजीगत व्यय में 16.44 प्रतिशत (₹ 151.92 करोड़) की कमी नई परियोजनाओं के गैर-अनुमोदन के कारण हुई। हालांकि इसी अवधि में '5055-सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय' में 85.87 प्रतिशत (₹ 130.69 करोड़) की वृद्धि हुई। शिक्षा विभाग द्वारा नई परियोजनाओं जैसे स्कूल के निर्माण तथा अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण के अनुमोदन के कारण शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय में वृद्धि हुई। इसके अलावा मुख्य शीर्ष- 4217⁶ के अंतर्गत दो विकास योजनाओं⁵ पर निधियों के आवंटन तथा एक अन्य विकास योजना⁷ में निधि के आवंटन में वृद्धि के कारण शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 165.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.4.3.2 निवेश तथा प्रतिफल

31 मार्च 2020 तक, सरकार ने सरकारी कंपनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 19,411 करोड़ का निवेश किया था। 2019-20 में किए गए निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 150 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में किए गए निवेश के कारण थी। 2019-20 में निवेश पर प्रतिफल 0.08 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2019-20 के दौरान अपने ऋण पर 8.14 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया था। विस्तृत विवरण तालिका 2.21 में दिया गया है।

5 विधानसभा क्षेत्र में अवसंरचना का सुदृढीकरण तथा विस्तार एवं 'मुख्यमंत्री सड़क पुनरुत्थान योजना'

6 पिछले वर्ष में बुक किए गए मुख्य शीर्ष 2217 के बदले में

7 अनाधिकृत कालोनियों का विकास

तालिका 2.21: निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिफल/उधारियों की लागत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वर्ष की समाप्ति पर निवेश (₹ करोड़ में)	18,492	18,933	19,173	19,261	19,411
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	12.32	11.28	15.91	14.31	15.84
प्रतिफल (प्रतिशत में)	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08
सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	8.54	8.65	8.58	8.64	8.14
ब्याज दर तथा प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत)	8.47	8.59	8.50	8.57	8.06
निवेश पर सरकारी उधारियों के ब्याज एवं प्रतिफल के बीच अंतर (₹ करोड़ में)#	1,566	1,626	1,630	1,651	1,565

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

#वर्ष के अंत तक निवेश

सरकारी निवेश 2015-16 से 2019-20 तक पाँच वर्षों की अवधि में 4.97 प्रतिशत तक बढ़ गया। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने 2015-16 से 2019-20 के दौरान अपने ऋणों पर 8.14 प्रतिशत से 8.65 प्रतिशत की दर पर ब्याज का भुगतान किया जबकि उसी अवधि के दौरान निवेशों पर प्रतिफल की प्रतिशतता 0.06 तथा 0.08 (ऐतिहासिक लागत पर) के बीच की श्रेणी की थी।

तालिका 2.22: पाँच वर्षों के दौरान वितरित और वसूले गए ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

वितरित एवं वसूले गए ऋणों की मात्रा	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बकाया ऋणों का आरंभिक शेष	57,190	59,915 ⁸	62,255	63,812	64,570
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	2,684	2,553	2,248	2,402	3,266
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	83	213	691	1,644	823
बकाये ऋण का अंतिम शेष	59,791	62,255	63,812	64,570	67,014
कुल योग	2,601	2,340	1,557	758	2,443
ब्याज प्राप्ति	83	81	396	113	404
बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्ति	0.14	0.13	0.62	0.18	0.60
सरकार की बकाया उधारियों में भुगतान की गई ब्याज दर (प्रतिशत)	8.44	8.64	8.55	8.74	7.92
भुगतान की गई ब्याज दर और प्राप्त ब्याज दर के बीच अंतर (प्रतिशत)	8.30	8.51	7.93	8.56	7.31

2.4.4 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता


तालिका 2.23 और चार्ट 2.18 वर्ष 2015-16 और 2019-20 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय, पूँजीगत व्यय, शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय के संबंध में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की वित्तीय प्राथमिकता को दर्शाता है।

तालिका 2.23: रा.रा.क्षे.दि.स. की 2015-16 एवं 2019-20 में राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	कु.व्य./स.रा.घ.उ.	पू.व्य./कु.व्य.	शिक्षा/कु.व्य.	स्वास्थ्य/कु.व्य.
रा.रा.क्षे. दिल्ली का (अनुपात) 2015-16	6.13	12.88	22.98	10.77
रा.रा.क्षे. दिल्ली का (अनुपात) 2019-20	5.65	10.51	24.45	11.87
कु.व्य.: कुल व्यय, पू.व्य.: पूँजीगत व्यय				

⁸ ₹ 124 करोड़ का अंतर गलत वर्गीकरण के कारण पूर्व अवधि के समायोजन की वजह से है।



सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कुल व्यय 2015-16 में 6.13 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 5.65 प्रतिशत हो गया। कुल व्यय में स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर व्यय के हिस्से में भी इस, अवधि के दौरान बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। हालांकि इस अवधि में पूँजीगत व्यय का अंश 12.88 प्रतिशत से घटकर 10.51 प्रतिशत रह गया।

2.5 ऋण प्रबंधन

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को खुले बाजार से ऋण जुटाने का अधिकार नहीं है। इसके लिए आवश्यक सभी ऋण भारत की संचित निधि से दिये गये हैं। भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ऋण प्राप्तियाँ शामिल हैं।

2.5.1 ऋण रूपरेखा: घटक

तालिका 2.24 विगत पाँच वर्षों के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋणों की रूपरेखा का एक समय श्रृंखला का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.24: भारत सरकार से ऋणों की रूपरेखा एवं रा.रा.क्षे.दि.स. के ऋण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	ऋण प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता
2015-16	32,497.91	2,241.13	1,435.17	33,303.87	805.96	2.48
2016-17	33,303.87	1,695.53	1,654.62	33,344.78	40.91	0.12
2017-18	33,344.78	1,906.34	1,682.43	33,568.69	223.91	0.67
2018-19	33,568.69	2,880.00	3,636.35	32,812.34	(-) 756.35	(-) 2.25
2019-20	32,812.34	4,765.60	2,811.10	34,766.84	1,954.50	5.96

सरकार का ऋण 2015-16 के आरंभ में ₹ 32,497.91 करोड़ से ₹ 2,268.93 करोड़ (6.98 प्रतिशत) बढ़कर 2019-20 के अंत में ₹ 34,766.84 करोड़ हो गया।

2.6 ऋण धारणीयता

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋण के आकार के अतिरिक्त, विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं। ऋण धारणीयता भविष्य में अपने ऋण को चुकाने के लिए राज्य की क्षमता को दर्शाता है। यह खंड विकास दर, बकाया ऋण, ब्याज भुगतान एवं राजस्व प्राप्तियों के अनुपात, ऋण भुगतान एवं ऋण प्राप्तियों और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को उपलब्ध शुद्ध ऋण के संदर्भ में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋण की स्थिरता का आकलन करता है। तालिका 2.25 2015-16 से 2019-20 तक पाँच वर्ष की अवधि का इन संकेतकों के अनुसार रा.रा.क्षे. दिल्ली की ऋण स्थिरता का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.25: ऋण धारणीयता: संकेतक एवं प्रवृत्तियाँ


ऋण धारणीयता संकेतक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल बकाया ऋण* (₹ करोड़ में)	33,304	33,345	33,569	32,812	34,767
कुल बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	2.48	0.12	0.67	-2.25	5.96
स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	5,50,804	6,16,085	6,86,824	7,74,870	8,56,112
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.32	11.85	11.48	12.82	10.48
कुल ऋण/ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	6.05	5.41	4.89	4.23	4.06
ब्याज भुगतान (₹ करोड़ में)	2,810	2,883	2,871	2,867	2,752
बकाया सार्वजनिक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.54	8.65	8.58	8.64	8.14
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	34,999	34,346	38,667	43,113	47,136
राजस्व प्राप्तियों के ब्याज भुगतान का प्रतिशत	8.03	8.39	7.42	6.65	5.84
ऋण पुनर्भुगतान (₹ करोड़ में)	1,435	1,655	1,682	3,636	2,811
ऋण प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	2,241	1,696	1,906	2,880	4,765
ऋण प्राप्तियों के ऋण पुनर्भुगतान का प्रतिशत	64.04	97.59	88.25	126.25	58.99
रा.रा.क्षे. दिल्ली#का उपलब्ध निवल ऋण	(-)2,005	(-)2,842	(-)2,647	(-)3,623	(-)798
ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल ऋण	-	-	-	-	-

स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे

*बकाया सार्वजनिक ऋण शीर्ष '6003- आंतरिक ऋण' एवं '6004- केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम' के अंतर्गत बकाया शेष का योग है।

#रा.रा.क्षे.दि.स. के लिए उपलब्ध निवल ऋण की गणना सार्वजनिक ऋण पुनर्भुगतान एवं सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान के उपर सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों की अधिकता के रूप में की जाती है।

चार्ट 2.19: ऋण धारणीयता: संकेतक एवं प्रवृत्तियाँ



रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का सार्वजनिक ऋण 2015-16 में ₹ 33,304 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 34,767 करोड़ हो गया, जिसमें 4.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। गत वर्ष की तुलना में 2019-20 में सार्वजनिक ऋण में 5.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान (₹ 2,811 करोड़) सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों (₹ 4,765 करोड़) से कम था।

2.7 निष्कर्ष

कुछ सकारात्मक संकेतकों और उन पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता का एक आशुचित्र तालिका 2.26 में दिया गया है।

तालिका 2.26: मुख्य मापदंड

सकारात्मक संकेतक	कड़ी निगरानी रखने वाले मापदंड
रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजस्व प्राप्तियाँ 9.33 प्रतिशत तक बढ़ गईं।	राजस्व व्यय 7.56 प्रतिशत तक बढ़ गया।
गैर-कर प्राप्तियाँ 70.34 प्रतिशत तक बढ़ गईं।	लोक ऋण प्राप्तियाँ 65.45 प्रतिशत तक बढ़ गईं।
भारत सरकार से सहायता अनुदान 62.10 प्रतिशत तक बढ़ गया।	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ 49.94 प्रतिशत तक घट गईं।
पूँजीगत व्यय 67.54 प्रतिशत तक बढ़ गया।	
सहायता अनुदान पर व्यय 64.02 प्रतिशत तक बढ़ गया।	

अध्याय - 3

बजटीय प्रबंधन

अध्याय-3


बजटीय प्रबंधन

3.1 बजटीय प्रक्रिया

रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 27 के अनुसार, उपराज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में रा.रा.क्षे.दि.स. के अनुमानित प्राप्त एवं व्यय का विवरण प्रत्येक वर्ष विधानमंडल में रखेगा। व्यय का अनुमान व्यय के प्रभारित एवं दत्तमत मदों को अलग-अलग दिखाता है तथा राजस्व खातों पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करता है। कोई व्यय करने से पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) से विधायी प्राधिकार आवश्यक है।

बजट की वार्षिक कवायद सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए रोडमैप का विवरण देने का एक साधन है। बजट परिपत्र जारी करने के साथ बजट प्रक्रिया शुरू होती है, आमतौर पर प्रत्येक वर्ष अगस्त में, यह विभागों को अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने अनुमानों को तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली में एक विशिष्ट बजट तैयार करने की प्रक्रिया चार्ट 3.1 में दी गई है:


चार्ट 3.1: बजट तैयार करने की प्रक्रिया का फ्लो चार्ट



सीएसएस: केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ; सीएस: केन्द्रीय योजनाएँ

विनियोग लेखे बजट निर्माण एवं कार्यान्वयन की पूरी प्रक्रिया के साथ आँकड़े अधिकृत करता है (चार्ट 3.2)।

चार्ट 3.2: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट कार्यान्वयन का फ्लो चार्ट



स्रोत: वर्ष 2019-20 के लिए विनियोग लेखे

3.1.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों एवं बचतों का संक्षिप्त विवरण

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कुल बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य की एक संक्षिप्त स्थिति इसके आगे दत्तमत/प्रभारित में विभाजन के साथ तालिका 3.1 में दी गई है।

तालिका 3.1: 2019-20 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
राजस्व	43,850.31	3,540.90	36,872.80	3,063.65	6,977.51	477.25
पूँजी	10,186.50	2.94	5,493.81	2.37	4,692.69	0.57
लोक ऋण	0.00	3331.10	0.00	2811.10	0.00	520.00
ऋण एवं अग्रिम	3,268.93	0.00	3,266.30	0.00	2.63	0.00
कुल	57,305.74	6,874.94	45,632.91	5,877.12	11,672.83	997.82

3.1.2 प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण

वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए प्रभारित तथा दत्तमत में विभाजित कुल संवितरण का ब्यौरा तालिका 3.2 में दिया गया है:

तालिका 3.2: 2015-16 से 2019-20 के दौरान संवितरण तथा बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संवितरण		बचत/आधिक्य	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2015-16	30,997.42	4,427.44	6,598.43	776.10
2016-17	32,884.90	4,735.87	8,868.78	939.72
2017-18	36,369.86	4,789.56	7,789.57	253.09
2018-19	39,460.58	6,793.98	11,679.85	152.73
2019-20	45,632.91	5,877.12	11,672.83	997.82

3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियम से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दिए गए अनुदानों तथा विनियोगों की राशि की तुलना के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदानों, समर्पण तथा पुनर्विनियोग को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं तथा विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजी एवं राजस्व व्यय को इंगित करते हैं, जो कि विनियोग अधिनियम द्वारा बजट की प्रभारित एवं दत्तमत दोनों मदों के संबंध में अधिकृत है। इस प्रकार विनियोग लेखे निधियों के उपयोग, वित्त के प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी की समझ को सुविधाजनक बनाते हैं, और इसलिए वित्त लेखे का अनुपूरक है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के तहत किए गए व्यय विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकार के भीतर है। यह भी सुनिश्चित करती है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय कानून, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है। इस अध्याय में वर्ष 2019-20 के लिए लेखा नियंत्रक, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा तैयार किए गए विनियोग लेखे के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं।

3.3 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर टिप्पणियाँ

3.3.1 अनावश्यक या आधिक्य अनुपूरक अनुदान

अनुपूरक माँग का सहारा केवल असाधारण और आवश्यक मामलों में ही लिया जाना चाहिए। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय विभाग को वर्ष के दौरान उपलब्ध अथवा उपलब्ध होने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना होगा और धन की अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता में पूर्वानुमान करते समय उचित सावधानी बरतनी होगी।

वर्ष 2019-20 के विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 11 मामलों में ₹ 810.86 करोड़, जैसा कि तालिका 3.3 में वर्णित है, के अनुपूरक अनुदान उच्चतर/अतिरिक्त व्यय की पूर्वानुमान में प्राप्त किए गए थे। हालांकि, अंतिम व्यय मूल अनुदान से भी कम था, जिससे अनुपूरक अनुदान का इच्छित उद्देश्य निष्फल हो गया।

तालिका 3.3: उन मामलों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक साबित हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं सं.	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान	वास्तविक प्रावधान	प्रावधान में से बचत
	राजस्व (दत्तमत)				
1	अनुदान सं. 3 न्याय का प्रशासन	1,300.78	91.50	1,392.28	306.01
2	अनुदान सं. 4 वित्त	362.30	1.79	364.09	118.72
3	अनुदान सं. 5 गृह	755.32	20.31	775.63	64.84
4	अनुदान सं. 10 विकास	3,105.42	132.77	3,238.19	610.59
	कुल	5,523.82	246.37	5,770.19	1,100.16
	राजस्व (प्रभारित)				
5	अनुदान सं. 3 न्याय का प्रशासन	308.15	23.49	331.64	37.32
6	अनुदान सं. 7 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	9.59	2.55	12.14	9.65
	कुल	317.74	26.04	343.78	46.97
	पूँजी (दत्तमत)				
7	अनुदान सं. 4 वित्त	8.00	94.78	102.78	99.80
8	अनुदान सं. 6 शिक्षा	362.78	19.30	382.08	264.03
9	अनुदान सं. 7 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	276.28	25.95	302.23	192.82
10	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण	716.03	47.05	763.08	418.99
11	अनुदान सं. 11 शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	7,491.46	351.37	7,842.83	3,383.39
	कुल	8,854.55	538.45	9,393.00	4,359.03
	कुल योग	14,696.11	810.86	15,506.97	5,506.16

3.3.2 अनावश्यक या आधिक्य पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग, विनियोग की एक इकाई से अनुदान के भीतर निधियों का हस्तांतरण है, जहाँ बचत पूर्वानुमानित है, दूसरी इकाई को जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है।

वर्ष 2019-20 के लिए विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि चार अनुदानों में फैले 13 उप-शीर्षों के तहत, ₹ पाँच करोड़ से अधिक की अंतिम बचत थी जैसा कि तालिका 3.4 में वर्णित है, पुनर्विनियोग अनावश्यक रूप से किया गया था, क्योंकि विभाग अपने मौजूदा अनुदानों का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम नहीं थे और ₹ 326.19 करोड़ के पुनर्विनियोग की तुलना में ₹ 455.77 करोड़ का संचयी गैर-उपयोग (बचत) हुआ।

तालिका 3.4: निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोग जहाँ अंतिम बचत ₹ पाँच करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखे के शीर्ष (उप-शीर्ष-वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	अधिक निस्तारण के लिए कारण
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल			
राजस्व - दत्तमत									
1	06-शिक्षा	2202.01.112.99 बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन (सीएसएस)	35.38	0.01	16.15	51.54	34.30	17.24	भारत सरकार से अधिक बिलों एवं अधिक अनुदान की प्राप्ति
2		2202.01.112.95 उत्तरी दिल्ली नगर निगम को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए स.अ. (सीएसएस)	13.00	0.01	8.06	21.07	13.00	8.07	अधिक सहायता अनुदान का निस्तारण
3		2202.01.112.94 दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए स.अ. (सीएसएस)	12.00	0.01	5.51	17.52	12.00	5.52	अधिक सहायता अनुदान का निस्तारण
4		2203.00.105.86 निर्देश एवं प्रशासन	146.36	0.00	8.28	154.64	105.11	49.53	रिक्त पदों की पूर्ति, अधिक बिलों की प्राप्ति तथा अधिक प्राप्य
5	08-समाज कल्याण	2235.03.101.98 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) (एनएसएपी) (सीसीएस) (उप-शीर्ष)	34.00	0.00	10.00	44.00	30.68	13.32	भारत सरकार से अधिक अनुदान की प्राप्ति
6		3055.00.190.94 दि.प.नि. को महिला यात्रियों के लिए सब्सिडी	0.00	90.01	39.99	130.00	70.17	59.83	अधिक सब्सिडी का निस्तारण
7	10-विकास विभाग	2030.02.102.99 सचिव राजस्व	25.00	0.00	6.00	31.00	24.13	6.87	अधिक बिलों की प्राप्ति
8		3604.00.102.98.96 दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को करों में हिस्सेदारी के बदले स.अ.	800.00	0.01	114.99	915.00	751.57	163.43	अधिक अनुदान का निस्तारण
9		3604.00.102.98.95 पूर्वी दिल्ली नगर निगम को करों में हिस्सेदारी के बदले स.अ.	175.00	0.01	17.99	193.00	167.55	25.45	अधिक अनुदान का निस्तारण
10	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	2059.80.053.93 अदालत भवन	32.00	18.00	10.00	60.00	49.10	10.90	अधिक मरम्मत के कारण
कुल			1,272.74	108.06	236.97	1617.77	1,257.61	360.16	
पूँजी-दत्तमत									
11	06-शिक्षा	4202.04.800.85 एसीएल भवन का निर्माण/नवीकरण	1.00	0.01	18.99	20.00	0.05	19.95	कार्य की अधिक प्रगति
12		4202.01.203.96 भूमि का आवंटन एवं इन्द्रपस्थ विश्व विद्यालय के भवन का निर्माण	14.00	0.01	10.24	24.25	13.21	11.04	कार्य की अधिक प्रगति
13	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	4059.60.051.80.90 न्याय-पालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएँ (सीएसएस)	40.00	0.01	59.99	100.00	35.38	64.62	कार्य की अच्छी प्रगति के कारण
कुल			55.00	0.03	89.22	144.25	48.64	95.610	
कुल योग			1,327.74	108.09	326.19	1,762.02	1,306.25	455.77	

निधियों का उपरोक्त अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग त्रुटिपूर्ण बजट अभ्यास का सूचक था।

3.3.3 अव्ययित राशि एवं समर्पित विनियोग और/या बड़ी बचत/समर्पण

कुल मिलाकर ₹ 12,670.65 करोड़ की बचत हुई। इसमें से, 13 मामलों में प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत हुई (तालिका 3.5)। ₹ 46,452.81 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 36,265.80 करोड़ था तथा बचत ₹ 10,187.01 करोड़ थी।

तालिका 3.5: वर्ष 2019-20 के दौरान बड़ी बचत (बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक) वाली अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ पुनर्विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण को छोड़कर बचत
राजस्व-दत्तमत								
1	2-सामान्य प्रशासन	612.43	374.64	987.07	735.74	251.33	167.98	83.35
2	3-न्याय का प्रशासन	1,300.78	91.50	1,392.28	1,086.27	306.01	129.73	176.28
3	4-वित्त	362.30	1.79	364.09	245.37	118.72	66.79	51.93
4	6-शिक्षा	13,491.65	0.87	13,492.52	10,626.98	2,865.54	2,293.88	571.66
5	8-समाज कल्याण	6,548.55	740.80	7,289.35	6,612.91	676.44	326.89	349.55
6	9-उद्योग	452.30	0.11	452.41	204.48	247.93	236.16	11.77
7	10-विकास	3,105.42	132.77	3,238.19	2,627.60	610.59	66.98	543.61
8	11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	8,187.35	1,219.91	9,407.26	8,759.35	647.91	418.12	229.79
9	13-पेंशन	125.00	0.00	125.00	2.53	122.47	122.25	0.22
कुल		34,185.78	2,562.39	36,748.17	30,901.23	5,846.94	3,828.78	2,018.16
पूँजीगत-दत्तमत								
10	6- शिक्षा	362.78	19.30	382.08	118.05	264.03	167.94	96.09
11	8- समाज कल्याण	716.03	47.04	763.07	344.08	418.99	338.88	80.11
12	10- विकास	716.63	0.03	716.66	443.00	273.66	205.83	67.83
13	11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	7,491.46	351.37	7,842.83	4,459.44	3,383.39	2,704.66	678.73
कुल		9,286.90	417.74	9,704.64	5,364.57	4,340.07	3,417.31	922.76
कुल योग		43,472.68	2,980.13	46,452.81	36,265.80	10,187.01	7,246.09	2940.92


मूल बजट प्रावधान में ₹ 100 करोड़ और उससे अधिक के महत्वपूर्ण बचत के नौ¹ दृष्टांत थे और फिर भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए।

बचत की प्रतिशतता (चार्ट 3.3) द्वारा समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या के वितरण से पता चलता है कि पाँच अनुदानों में बचत 20 से

¹ राजस्व-दत्तमत खण्ड की अनुदान संख्या 3,4,9,10 और 13 तथा पूँजीगत-दत्तमत खण्ड की अनुदान संख्या 6,8,10 और 11

30 प्रतिशत ₹ 8,602.46 करोड़ थी। हालांकि, एक अनुदान (अनुदान सं. 13 - पेंशन) में ₹ 122.47 करोड़ (97.98 प्रतिशत) की बचत थी।

चार्ट 3.3: प्रत्येक समूह में कुल बचत के साथ बचत की प्रतिशतता द्वारा समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या



लेखापरीक्षा में सूचित किया गया कि 11 अनुदानों में ₹ 10,414.90 करोड़ की कुल बचत थी, जिसमें से ₹ 7,402.22 करोड़ (₹ 10 करोड़ से अधिक) की राशि समर्पित कर दी गई जैसा कि तालिका 3.6 में विस्तृत है:

तालिका 3.6: मार्च के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की धनराशि के समर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ पुनर्विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	समर्पण
1	1-विधान सभा	56.92	0.00	56.92	28.82	28.10	26.52
2	2-सामान्य प्रशासन	612.43	374.64	987.07	735.74	251.33	167.98
3	3-न्याय का प्रशासन	1,300.78	91.50	1,392.28	1,086.27	306.01	129.73
4	4-वित्त	362.30	1.79	364.09	245.37	118.72	66.79
5	5-गृह	755.32	20.31	775.63	710.79	64.84	28.03
6	6-शिक्षा	13,491.65	0.87	13,492.52	10,626.98	2,865.54	2,293.88
7	8-समाज कल्याण	6,548.55	740.80	7,289.35	6,612.91	676.44	326.89
8	9-उद्योग	452.30	0.11	452.41	204.48	247.93	236.16
9	10-विकास	3,105.42	132.77	3,238.19	2,627.60	610.59	66.98
10	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	8,187.35	1,219.91	9,407.26	8,759.35	647.91	418.12
11	13-पेंशन	125.00	0.00	125.00	2.53	122.47	122.25
कुल		34,998.02	2,582.70	37,580.72	31,640.84	5,939.88	3,883.33
पूँजीगत-दत्तमत							
12	4-वित्त	8.00	94.78	102.78	2.98	99.80	91.28
13	5-गृह	43.50	0.30	43.80	8.65	35.15	10.30
14	6-शिक्षा	362.78	19.30	382.08	118.05	264.03	167.94
15	8-समाज कल्याण	716.03	47.04	763.07	344.08	418.99	338.88
16	10-विकास	716.63	0.03	716.66	443.00	273.66	205.83
17	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	7,491.46	351.37	7,842.83	4,459.44	3,383.39	2,704.66
कुल		9,338.40	512.82	9,851.22	5,376.20	4,475.02	3,518.89
कुल योग		44,336.42	3,095.52	47,431.94	37,017.04	10,414.90	7,402.22

जिन अनुदानों में बजट का 50 प्रतिशत से कम उपयोग हुआ, उन्हें तालिका 3.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7: मूल अनुदानों/विनियोगों (₹ 200 करोड़ से अधिक) जिसमें बजट उपयोगिता 50 प्रतिशत से कम थी

(प्रतिशत में)

क्र.स.	अनुदान सं. एवं नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	वर्षों की संख्या	बजट 2019-20	5 वर्षों के लिए कुल बजट
1.	2-सामान्य प्रशासन विभाग	25.50	54.70	67.51	38.85	74.74	2	1,002.84	3,109.92
2.	4-वित्त	59.02	70.81	39.81	24.00	53.19	2	467.01	3,918.47
3.	9-उद्योग	84.59	63.09	54.18	35.69	45.01	2	454.76	1,864.27


पिछले पाँच वर्षों के दौरान अर्थात् 2015-16 से 2019-20 तक, तीन अनुदान (2-सामान्य प्रशासन विभाग, 4-वित्त एवं 9-उद्योग) थे जिसमें दो वर्षों की बजट उपयोगिता 50 प्रतिशत से कम थी।

विनियोग लेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि ₹ 12,670.65 करोड़ (₹ 64,180.68 करोड़ के कुल बजट का 19.74 प्रतिशत) की कुल बचत थी तथा ₹ 9,380.69 करोड़ (74.03 प्रतिशत) की राशि समर्पित थी। बचत को समय पर समर्पित नहीं करने के कारण कुल बचत का 25.97 प्रतिशत व्यपगत हो गया तथा ₹ 3,289.96 करोड़ 31 मार्च को समर्पित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति से पहले बचत तथा अभ्यर्पण चार्ट 3.4 में दिए गए हैं:


चार्ट 3.4: वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति से पहले बचत तथा अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)



2015-16 से 2019-20 के दौरान कुल बजट के उपयोग को चार्ट 3.5 में दिया गया है।

चार्ट 3.5: 2015-16 से 2019-20 के दौरान बजट उपयोग



3.4 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ

3.4.1 एकमुश्त बजटीय प्रावधान

वित्तीय नियम/बजट नियमावली उन मामलों को छोड़कर अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान को प्रतिबंधित करती है, जहाँ आकस्मिक स्थितियों को पूरा करने के लिए या किसी परियोजना/योजना पर प्रारंभिक खर्चों को पूरा करने के लिए तत्काल उपाय प्रदान किए जाते हैं जिसे वित्तीय वर्ष में शुरू किए जाने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। एकमुश्त अनुमानों के साथ बजट नोट में प्रस्तावित प्रावधान को उचित ठहराने वाले विस्तृत स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है।

यह देखा गया कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने तीन अनुदानों के अंतर्गत कुल ₹ 422.46 करोड़ के एकमुश्त बजटीय प्रावधान में से ₹ 317.82 करोड़ व्यय किए थे। व्यय के सटीक उद्देश्य की पहचान किए बिना एकमुश्त प्रावधान पारदर्शिता को भंग करता है। कुल प्रावधान की तुलना में एकमुश्त प्रावधान की प्रतिशतता 0.08 प्रतिशत से 4.20 प्रतिशत के बीच थी जैसा कि तालिका 3.8 में विस्तृत है। आगे, प्रत्यायोजन वित्तीय शक्ति नियम 1978 के नियम 3 के उप नियम 6 के अनुसार ₹ 10 लाख से कम लागत वाले कार्यों को छोड़कर

आम तौर पर बजट में कोई एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि उन सभी मामलों में जहाँ एकमुश्त प्रावधान किया गया था, ₹ 10 लाख की धनराशि निर्धारित सीमा को पार कर गई थी।

तालिका 3.8: वर्ष 2019-20 के दौरान एकमुश्त प्रावधानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष	एकमुश्त प्रावधान	एकमुश्त प्रावधान से व्यय	
1.	3-न्याय का प्रशासन	2014.00.102.92.00.42 (प्रभारित)	3.26	3.04	
2.		2014.00.105.97.00.42	1.50	0.00	
3.	10-विकास	5425.00.208.84.00.42	0.60	0.10	
4.	11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	4055.00.212.90.00.42	4.00	3.13	
5.		4059.60.051.80.90.42	100.00	35.38	
6.		4070.00.800.89.00.42	168.00	154.57	
7.		4202.01.800.97.00.42	20.00	15.94	
8.		4202.02.105.85.00.42	0.50	0.30	
9.		4202.02.105.87.00.42	0.50	0.35	
10.		4202.02.105.88.00.42	2.00	1.27	
11.		4202.03.800.89.00.42	40.00	32.91	
12.		4202.04.101.99.00.42	1.90	1.31	
13.		4202.04.104.96.00.42	1.50	0.69	
14.		4210.03.102.98.00.42	2.70	2.03	
15.		4235.02.101.87.00.42	1.00	0.51	
16.		4235.02.104.94.00.42	8.00	4.67	
17.		4235.02.800.90.00.42	10.00	4.79	
18.		5054.04.800.99.00.42	57.00	56.83	
19.		कुल अनुदान सं. 11		417.10	314.68
कुल योग			422.46	317.82	

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

3.5 बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ

3.5.1 अपेक्षा तथा वास्तविक के बीच बजट प्रक्षेपण एवं अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों एवं सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की उपलब्धि के लिए संतुलन रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर आंतरिक नियंत्रण विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच उप-इष्टतम आवंटन की ओर ले जाता है। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को उस निधि से वंचित करती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

वर्ष 2019-20 के लिए विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि विभाग ₹ 64,180.68 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 51,510.03 करोड़ का उपयोग कर सके तथा मार्च में ₹ 12,670.65 करोड़ की कुल बचत में से

₹ 3,289.96 करोड़ (25.97 प्रतिशत) की बचत को अभ्यर्पित कर दिया गया था। तालिका 3.9 में विवरण दिए गए हैं।

तालिका 3.9: मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अमुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	निवल बचत (-)	मार्च के दौरान समर्पण	
							राशि	प्रतिशतता
दत्तमत	I. राजस्व	41,267.39	2,582.92	43,850.31	36,872.80	(-)6,977.51	2,235.78	32.04
	II. पूँजी	9,646.68	539.82	10,186.50	5,493.81	(-)4,692.69	1,017.75	21.69
	III. ऋण एवं अग्रिम	2,240.41	1,028.52	3,268.93	3,266.30	(-)2.63	0 ²	0
कुल दत्तमत		53,154.48	4,151.26	57,305.74	45,632.91	(-)11,672.83	3,253.53	27.87
प्रभारित	I. राजस्व	3,513.92	26.98	3,540.90	3,063.65	(-)477.25	35.86	7.51
	II. पूँजी	0.50	2.44	2.94	2.37	(-)0.57	0.57	100.00
	लोक ऋण	3,331.10	0.00	3,331.10	2,811.10	(-)520.00	0	0
	III. ऋण एवं अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0
कुल प्रभारित		6,845.52	29.42	6,874.94	5,877.12	(-)997.82	36.43	3.65
आकस्मिकता निधि का विनियोग (यदि कोई हो)		0	0	0	0	0	0	0
कुल योग		60,000.00	4,180.68	64,180.68	51,510.03	(-)12,670.65	3,289.96	25.97

स्रोत: विनियोग लेखे

वर्ष 2019-20 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा तैयार किए गए ₹ 60,000 करोड़ के मूल बजट को संशोधित करके ₹ 64,180.68 करोड़ कर दिया गया जिसके विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 51,510.03 करोड़ था। 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित बजट अनुमानों तथा वास्तविक व्यय के विवरणों को तालिका 3.10 में दिया गया है।

तालिका 3.10: 2015-2020 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
मूल बजट	41,128.99	46,600.00	48,000.00	53,000.01	60,000.00
अनुपूरक बजट	1,680.40	829.27	1,202.08	5,177.13	4,180.68
संशोधित अनुमान	42,809.39	47,429.27	49,202.08	58,177.14	64,180.68
वास्तविक व्यय	35,434.86	37,620.77	41,159.42	46,344.56	51,510.03
बचत/आधिक्य	7,374.53	9,808.50	8,042.66	11,832.58	12,670.65
बचत की प्रतिशतता	17.23	20.68	16.35	20.34	19.74
मूल प्रावधान के अनुपूरक की प्रतिशतता	4.09	1.78	2.50	9.77	6.97

स्रोत: बजट एक नज़र में तथा संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

² पूँजीगत खण्ड में शामिल ऋण और अग्रिमों का समर्पण

3.5.2 बजट में प्रमुख नीतिगत खरीद एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण

योजना के दिशा-निर्देशों/तौर-तरीकों का अनुमोदन न होने, प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में कार्य प्रारंभ न होने, बजट जारी न करने आदि के कारण सरकार द्वारा दी गई अनेक नीतिगत पहल अशतः अथवा निष्पादित नहीं होती। यह लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ से वंचित करता है। ऐसी योजनाओं में बचत अन्य विभागों को उस निधि से वंचित कर देती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

यह देखा गया कि सात अनुदानों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) के अन्तर्गत 39 उप-शीर्षों में, ₹ 196.76 करोड़ का सम्पूर्ण प्रावधान विभागों द्वारा अनुपयोगी रहा अथवा वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति से पहले सरकार को वापस भेज दिया गया (परिशिष्ट-3.1)।

सम्पूर्ण प्रावधान की बचतें इस तथ्य का द्योतक थीं कि परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त जाँच के बाद अनुमान तैयार नहीं किए गए थे। योजनाएँ जो सम्पूर्ण प्रावधान के गैर-उपयोग होने के कारण शुरू नहीं हुईं वे - मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना (₹ 25.00 करोड़), डीएनए जाँच प्रयोगशाला - निर्भया निधि (सीएसएस) (₹ 3.30 करोड़), अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना (सीएसएस) (₹ 6.50 करोड़), स्वच्छ भारत मिशन (सीएसएस) (₹ 24.00 करोड़), तथा क्षेत्रीय त्वरित पारगमन प्रणाली (आरआरटीएस) कोरिडोर (₹ 47.00 करोड़) थीं।

आगे, यह देखा गया कि सात अनुदानों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) के 44 उप-शीर्षों में मूल बजट (परिशिष्ट-3.2) में ₹ 2,744.61 करोड़ का प्रावधान था परन्तु वित्तीय वर्ष 2019-20 के संशोधित परिव्यय में धनराशि की निकासी की गई थी।

3.5.3 पुनर्विनियोग के संबंध में वित्तीय शक्तियों का हनन

लेखापरीक्षा ने पाया कि पुनर्विनियोग के आदेश निर्धारित प्रारूप में जारी नहीं किए गए। पुनर्विनियोग/समर्पण/अनुपूरक अनुदान के आदेशों की संवीक्षा से निम्नलिखित कमियों का पता चला:

- आदेशों में दिए गए कारण विशिष्ट नहीं थे तथा स्वभाविक रूप में सामान्य थे जैसे- बिलों के गैर-प्रस्तुतीकरण, दावों/बिलों की कम प्राप्ति, कम खरीद, एलटीसी बिलों को अंतिम रूप न देना, पद का न भरना आदि।

- ii) पाँच मामलों में यह देखा गया कि अनुपूरक अनुदानों से निधियों का पुनर्विनियोग किया गया जो निश्चित उद्देश्य से दत्तमत था। परिणामस्वरूप अनुपूरक अनुदान का उद्देश्य निष्फल हो गया (परिशिष्ट 3.3)।

3.5.4 व्यय का द्रुतप्रवाह

i) जीएफआर 2017 का नियम 62(3) उपबंध करता है कि व्यय के द्रुतप्रवाह को विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है और इसे टाला जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय के दिनांक 24 जनवरी 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में भारत सरकार का व्यय बजट के 25 प्रतिशत तथा अंतिम महीने अर्थात् मार्च में 10 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए।

यह देखा गया कि 2019-20 के दौरान ₹ 51,186.26³ करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 16,207.83 करोड़ (31.66 प्रतिशत) का व्यय पिछले तिमाही में किया गया जबकि पिछले तिमाही के ₹ 2,355.21 करोड़ (14.53 प्रतिशत) मार्च 2020 के दौरान पाँच अनुदानों के अंतर्गत 30 उप-शीर्षों में कुल व्यय के 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच व्यय किए गए थे।

पिछले तिमाही के दौरान व्यय का द्रुतप्रवाह, मुख्य रूप से मार्च महीने के दौरान, वित्तीय नियमों का पालन न करने का संकेत देता है।

ii) उप-शीर्ष जहाँ सम्पूर्ण व्यय मार्च 2020 में किया गया था

लेखापरीक्षा ने सूचित किया कि दो अनुदानों के अंतर्गत आठ उप-शीर्षों में ₹ 428.53 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय मार्च 2020 में किया गया जैसा कि तालिका 3.11 में विस्तृत किया गया है:

तालिका 3.11: मार्च के महीने में किया गया सम्पूर्ण व्यय

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष तक)	मार्च के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	मार्च के दौरान व्यय (प्रतिशत में)
1	8 -समाज कल्याण	222501277450050	67.68	100
2		222501789780050	30.00	100
3		305500190930033	44.52	100
4		305500190940033	70.17	100
5		305500190990033	90.68	100
6		545201102920053	25.48	100
7	11 -शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	221502191790033	50.00	100
8		680100190940055	50.00	100
कुल			428.53	

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

³ ₹323.77 करोड़ की वसूली को छोड़कर

iii) एकमात्र मार्च में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय के साथ अनुदान

लेखापरीक्षा ने सूचित किया कि पाँच अनुदानों के अंतर्गत 22 उप-शीर्षों में, कुल व्यय का 50 प्रतिशत से 99.78 प्रतिशत के बीच ₹ 1,926.68 करोड़ का व्यय मार्च 2020 में किया गया था जैसा कि तालिका 3.12 में दर्शाया गया है:


तालिका 3.12: एकमात्र मार्च में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय के साथ अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	विवरण (लेखा शीर्ष)	कुल व्यय					मार्च 2020 में कुल व्यय	
			पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	कुल	राशि	प्रतिशतता
1	अनुदान सं. 6	220400103780005	0.00	0.00	0.03	13.91	13.94	13.91	99.78
2	अनुदान सं. 8	223502789960050	1.84	3.48	2.26	69.42	77.00	66.92	86.91
3	अनुदान सं. 11	407000800890042	7.24	5.00	5.06	137.27	154.57	133.58	86.42
4	अनुदान सं. 11	221780191229831	0.00	9.43	0.00	28.30	37.73	28.30	75.01
5	अनुदान सं. 6	220300112510036	0.00	3.75	0.00	11.25	15.00	11.25	75.00
6	अनुदान सं. 11	221780191229631	0.00	20.55	0.00	61.66	82.21	61.66	75.00
7	अनुदान सं. 11	221780191229735	0.00	7.20	0.00	21.60	28.80	21.60	75.00
8	अनुदान सं. 11	621760800980055	0.00	0.00	3.75	11.25	15.00	11.25	75.00
9	अनुदान सं. 11	221780191229731	0.00	14.80	0.00	44.40	59.20	44.40	75.00
10	अनुदान सं. 11	221780191229635	0.00	5.29	0.00	15.86	21.15	15.86	74.99
11	अनुदान सं. 6	220202109870021	0.16	1.36	1.66	14.09	17.27	12.73	73.71
12	अनुदान सं. 8	705500190960055	0.00	300.00	0.00	823.60	1,123.60	823.60	73.30
13	अनुदान सं. 11	505404101770053	0.00	3.39	1.21	30.03	34.63	24.29	70.14
14	अनुदान सं. 8	505500050920053	2.41	2.31	3.12	14.84	22.68	14.76	65.08
15	अनुदान सं. 10	36040010298983	9.76	34.47	12.58	106.46	163.27	103.77	63.56
16	अनुदान सं. 8	223502789990050	22.08	37.86	0.00	99.75	159.69	99.75	62.46
17	अनुदान सं. 10	224502101979850	0.10	0.20	12.61	20.14	33.05	20.13	60.91
18	अनुदान सं. 10	205200090480036	0.00	9.25	0.00	13.25	22.50	13.25	58.89
19	अनुदान सं. 6	220202113980031	0.00	0.00	0.00	56.42	56.42	29.42	52.14
20	अनुदान सं. 2	222001001990026	16.89	20.33	20.06	142.72	200.00	103.76	51.88
21	अनुदान सं. 11	421001110650053	2.85	10.60	6.05	24.20	43.70	22.49	51.46
22	अनुदान सं. 11	761500200750055	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	250.00	50.00
कुल			63.33	489.27	68.39	2,260.42	2,881.41	1,926.68	


स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

चार्ट 3.6: वि.व. 2019-20 के दौरान मासिक प्राप्तियाँ एवं व्यय



उपरोक्त तालिका/ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-20 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. की माह-वार प्राप्तियाँ ₹ 52,724.05 करोड़ की कुल प्राप्तियों के 0.77 प्रतिशत से 12.60 प्रतिशत के बीच थीं, जबकि रा.रा.क्षे.दि.स. की माह-वार व्यय कुल व्यय ₹ 51,186.26 करोड़ के 3.28 प्रतिशत से 14.63 प्रतिशत के बीच था।

चार्ट 3.7: मार्च 2020 में व्यय की बहुत उच्च प्रतिशतता के साथ अनुदान सं. 08 समाज कल्याण का माह-वार व्यय



लेखापरीक्षा ने देखा कि समाज कल्याण विभाग (अनुदान सं. 08) ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम महीने में कुल व्यय का 26 प्रतिशत व्यय किया। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अंत में व्यय का द्रुतप्रवाह खराब बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है।

3.5.5 अनुदान सं. 7 - 'चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य' का परिणाम

बजटीय प्रक्रियाओं, निधियों की निगरानी तथा अनुदान के भीतर नियंत्रण तंत्र के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बजटीय प्रक्रिया तथा 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए अनुदान सं. 7 - 'चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य' के संबंध में व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई। अनुदान 'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग' को सौंपा गया था जिसमें 'खाद्य सुरक्षा विभाग' औषधि नियंत्रण विभाग' आदि शामिल थे। समीक्षा के दौरान निम्नलिखित मुद्दे देखे गए।

- (i) विगत तीन वर्षों के लिए अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान, व्यय एवं बचतों की संपूर्ण स्थिति तालिका 3.13 में दी गयी है:

तालिका 3.13: बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान		व्यय किया गया		बचत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2017-18	5,033.05	1.68	4,383.98	0.93	649.07	0.75
2018-19	6,048.16	16.25	5,228.23	12.43	819.93	3.82
2019-20	6,571.83	14.08	5,341.36	4.42	1,230.47	9.66

- (ii) 2017-18 से 2019-20 के दौरान अनुदान के अंतर्गत 21 मामलों/उप-शीर्षों में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक की लगातार बचत थीं जो अवास्तविक बजट एवं अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन को दर्शाती हैं। बचत रिक्त पदों को न भरने, कम दावों/बिलों, कम विज्ञापनों, एलटीसी बिलों और आकस्मिक बिलों को अंतिम रूप न देने, कम खरीद, निविदाओं को अंतिम रूप न देने, विक्रेताओं द्वारा बिल जमा न करने के कारण थीं।
- (iii) 39 मामलों में पुनर्विनियोग अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि विभाग अपने मूल अनुदान को पूर्ण रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। परिणामस्वरूप, 2017-18 से 2019-20 के दौरान इन मामलों में उक्त अवधि के ₹ 32.30 करोड़ के संचयी पुनर्विनियोग के मुकाबले ₹ 62.89 करोड़ का संचयी गैर-उपयोग हुआ था।

- (iv) अनुदान के खण्ड-वार विनियोग लेखे की संवीक्षा से राजस्व-दत्तमत खण्ड में 11 से 17 प्रतिशत और राजस्व प्रभारित खण्ड में 24 प्रतिशत से 80 प्रतिशत की लगातार बचत का पता चला जबकि पूँजीगत-दत्तमत खण्ड में बचत कुल अनुदान का 35 प्रतिशत से 64 प्रतिशत थी जो अवास्तविक बजट एवं अपूर्ण वित्तीय प्रावधान को दर्शाती है।
- (v) उप-शीर्षों 48, 51 एवं 41 में क्रमशः वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान योजनाओं के गैर-कार्यान्वयन/आंशिक कार्यान्वयन, प्रशासनिक कारणों, खरीद प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने, सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त न होने आदि के कारण अप्रयुक्त रहा, सम्पूर्ण प्रावधानों की बचत इस तथ्य का द्योतक था कि प्राक्कलन वास्तविक आवश्यकता का पर्याप्त रूप से आकलन किए बिना तथा प्रासंगिक परियोजनाओं/योजनाओं की अनुचित संवीक्षा से तैयार किए गए थे।
- (vi) जीएफआर, 2017 का नियम 62(3) प्रबंध करता है कि व्यय का द्रुतप्रवाह, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में, वित्तीय व्यय का उल्लंघन माना जाता है और इसे टाला जाना चाहिए। इसके विपरीत, वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 की अंतिम तिमाही में विभागों द्वारा 6, 4 एवं 13 उप-शीर्षों में किया गया व्यय कुल व्यय का क्रमशः 50.47 प्रतिशत से 100 प्रतिशत, 53.34 प्रतिशत से 95.28 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच रहा।

3.6 अनुशंसाएँ

- सरकार को विभागों की जरूरतों एवं आवंटित संसाधनों का उपयोग करने की उनकी क्षमता के विश्वसनीय अनुमानों के आधार पर एक यथार्थवादी बजट तैयार करने की आवश्यकता है;
- बजट के उचित कार्यान्वयन और निगरानी को लागू करने के लिए सरकार द्वारा एक उपयुक्त नियंत्रण तंत्र स्थापित करने की जरूरत है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बचत में कटौती की जाती है, अनुदान/विनियोग के भीतर बड़ी बचत नियंत्रित होती है, और अनुमानित बचत की पहचान की जाती है एवं निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर समर्पित कर दिया जाता है।

अध्याय - 4

लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय
रिपोर्टिंग कार्यप्रणाली

लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यप्रणाली

राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना के साथ एक मजबूत आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अतः वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग की समयबद्धता एवं गुणवत्ता सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन एवं नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी और परिचालन में हो तो रणनीतिक योजना एवं निर्णय लेने के साथ-साथ अपने बुनियादी प्रबंधन एवं उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सरकार की सहायता करती है। इस अध्याय में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के साथ रा.रा.क्षे.दि.स. के अनुपालन पर चर्चा की गई है।

लेखों की पूर्णता से संबंधित मुद्दे

4.1 प्राप्तियों को सरकारी खातों में स्थानांतरित करने में देरी के कारण निधि रा.रा.क्षे. दिल्ली की समेकित निधि से बाहर रह गई

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 6(1) के अनुसार सरकार के राजस्व या प्राप्तियों या देय राशि के कारण सरकारी अधिकारियों द्वारा प्राप्त या प्रस्तुत की गई सभी धनराशि बिना किसी अनुचित देरी के सरकारी खातों में शामिल करने के लिए मान्यता प्राप्त बैंक में पूर्ण रूप से भुगतान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, आर.बी.आई. के दिनांक 21 मार्च 2007 के परिपत्र के अनुसार, आर.बी.आई. के साथ सभी लेन-देन का विवरण टी+3 दिन तक पूरा किया जाएगा (जहाँ टी वह दिन है जब बैंक शाखा में धन उपलब्ध रहता है)।

परिवहन विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि प्रवर्तन स्टाफ, लेखा शाखा तथा मोटर लाइसेंस अधिकारी (मुख्यालय) द्वारा एकत्रित नकदी परिवहन विभाग के मान्यता प्राप्त चालू बैंक खाते में जमा की गई थी। एकत्रित धन सरकारी खातों¹ में स्थानांतरित कर दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विभिन्न अवधियों के लेन-देन की नमूना जांच से पता चला कि सरकारी प्राप्तियाँ सरकारी खाते में समय पर जमा नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 1,005.65 करोड़ की राशि 4 से 61 दिनों के बीच की देरी के साथ जमा की गई थी जिसके परिणामस्वरूप

¹ 0041 का प्रमुख शीर्ष और दो लघुशीर्ष 101 (शुल्क) और 102 (कर)

₹ 4.81 करोड़² के ब्याज की हानि हुई। साथ ही, उक्त अवधि के लिए, राशि राज्य की समेकित निधि से बाहर रही। प्रधान लेखा कार्यालय (प्र.ले.का.), रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (23 मार्च 2021) कि उन्होंने मामले पर टिप्पणियों के लिए परिवहन विभाग को भेज दिया है। परिवहन विभाग/प्र.ले.का. से जवाब प्रतीक्षित था (मई 2021)।

4.2 निधियां सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित

केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निधियां सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों/गैर-सरकारी संगठनों को हस्तांतरित करती है। चूँकि ये निधियां रा.रा.क्षे. दिल्ली के बजट के माध्यम से नहीं जाती हैं, ये रा.रा.क्षे.दि.स. के खातों में परिलक्षित नहीं होती है।

तीन अभिकरणों³ से प्राप्त सूचना के आधार पर यह पाया गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान इन तीन अभिकरणों को भारत सरकार द्वारा ₹ 37.46 करोड़⁴ की धनराशि सीधे हस्तांतरित की गई थी। हालांकि, रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखों में राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित धन से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त, रा.रा.क्षे.दि.स. ने भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित धन पर नजर रखने के लिए कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की है। इसके अभाव में कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निधियों के वास्तविक उपयोग को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। प्र.ले.का. एवं वित्त विभाग ने क्रमशः (सितम्बर 2020) और (नवम्बर 2020) की पुष्टि की थी कि उनके द्वारा ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध/अनुरक्षित नहीं की गई थी।

पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे

4.3 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

सा.वि.नि., 2017 का नियम 238 अनुबंध करता है कि विशेष उद्देश्यों हेतु वर्ष के दौरान जारी किए गए अनुदानों के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के अन्दर विभाग द्वारा अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) प्राप्त किए जाने चाहिए।

² वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज की गणना 8.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से की गई है जो केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को दिए गए केन्द्रीय ऋण के संबंध में प्रभारित की जाती है।

³ इंदिरा गाँधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एवं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

⁴ आई.जी.डी.टी.यू. -1.11 करोड़, एम.ए.एम.सी. -0.02 करोड़, एस.डी.एम.सी. -36.33 करोड़


उपयोगिता प्रमाणपत्रों के गैर-प्रस्तुतीकरण का अर्थ है कि प्राधिकारियों द्वारा यह नहीं बताया गया कि धनराशि का खर्च कैसे किया गया। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि इन निधियों को उपलब्ध कराने के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है। यह अधिक महत्व रखता है यदि ऐसे उ.प्र. पूँजीगत व्यय के लिए बने सहायता अनुदान (स.अ.) के विरुद्ध लंबित है। चूँकि उ.प्र. का गैर-प्रस्तुतीकरण दुर्विनियोग के जोखिम से भरा है, यह आवश्यक है कि रा.रा.क्षे.दि.स. को इस पहलू की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए एवं संबंधित विभागों को समय पर उचित प्रकार से उ.प्र. के प्रस्तुतीकरण के लिए उत्तरदायी बनाना चाहिए। उ.प्र. के प्रस्तुतीकरण की समय-वार लंबित स्थिति विस्तृत रूप से तालिका 4.1 एवं चार्ट 4.1 में है।

तालिका 4.1: उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण में समय-वार बकाया

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरम्भिक शेष		जोड़		क्लीयरेंस		प्रस्तुतीकरण के लिए देय	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1993-94 से 2015-16	3821	18,908.72	474	5,990.65	1190	17,629.68	3105	7,269.69
2016-17	3105	7,269.69	527	1,214.93	1085	2,686.74	2547	5,797.88
2017-18	2547	5,797.88	578	7,436.69	1352	8,065.57	1773	5,169.00
2018-19	1773	5,169.00	621	7,186.99	395	5,499.02	1999	6,856.97

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.



उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विचाराधीन अवधि के दौरान लंबित कुल उ.प्र. की संख्या 4295, 3632, 3125 एवं 2394 के विरुद्ध क्रमशः 1190

(27.70 प्रतिशत), 1085 (29.87 प्रतिशत), 1352 (43.26 प्रतिशत) तथा 395 (16.50 प्रतिशत) बकाया उ.प्र. का समाशोधन किया गया। बकाया उ.प्र. का वर्ष-वार विवरण तालिका 4.2 में दिया गया है।

तालिका 4.2: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)


वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाण पत्र		प्राप्त किये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1993 से 2010-11	1281	947.95	155	813.43	1126	134.52
2011-12	40	546.79	15	361.06	25	185.73
2012-13	172	980.59	27	592.97	145	387.62
2013-14	67	539.37	19	531.83	48	7.54
2014-15	194	306.30	96	296.50	98	9.80
2015-16	308	3,926.04	244	3,605.89	64	320.15
2016-17	314	4,762.85	187	3,324.81	127	1,438.04
2017-18	339	6,212.81	210	5,859.66	129	353.15
2018-19	621	7,186.99	384	3,166.57	237	4,020.42
कुल	3336	25,409.69	1337	18,552.72	1999	6,856.97

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2011-12 से पूर्व ₹ 134.52 करोड़ की राशि के 1126 उ.प्र. (56.33 प्रतिशत) बकाया थे जबकि ₹ 6,722.45 करोड़ की राशि के 873 उ.प्र. (43.67 प्रतिशत) आठ वर्षों से अधिक समय से बकाया थे।

वर्ष 2018-19 तक भुगतान किए गए अनुदानों के लिए 10 प्रमुख विभागों के बकाया उ.प्र. का विवरण चार्ट 4.2 में दिया गया है।

चार्ट 4.2: वर्ष 2018-19 तक भुगतान किए गए अनुदानों के लिए 10 प्रमुख विभागों के बकाया उ.प्र.



स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

परिवहन विभाग (दि.प.नि.), दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (दि.श.आ.स.बो.) क्रमशः ₹ 1,825.00 करोड़ (26.62 प्रतिशत), ₹ 939.24 करोड़ (13.70 प्रतिशत) एवं ₹ 782.33 करोड़ (11.41 प्रतिशत) के बकाया के लिए जिम्मेवार थे। यह प्रशासनिक विभागों के आन्तरिक नियंत्रण की कमी एवं रा.रा.क्षे.दि.स. की ओर से पूर्व के अनुदानों के सही उपयोग का पता लगाए बिना ही नए अनुदानों के वितरण की प्रवृत्ति को दर्शाता है। उ.प्र. के लंबित रहने से निधियों के दुर्विनियोग एवं धोखाधड़ी के जोखिम से भरे हुए थे।

इसके अतिरिक्त उ.प्र. के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि प्राप्तकर्ताओं द्वारा अनुदानों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिनके लिए ये स्वीकृत किए गए थे।

4.3.1 अनुदानग्राही संस्था को 'अन्य' के रूप में दर्ज करना

चूँकि सहायता अनुदान राज्य के कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह आवश्यक है कि सरकार उन अनुदानग्राही संस्थानों के विवरण एवं प्रकृति को अभिलेखबद्ध करे जिन्हें लेखों की पारदर्शिता के लिए निधियां प्रदान की गई थी।

लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि वर्ष 2019-20 की अवधि में जारी किए गए ₹ 10,733.73 करोड़ की सहायता अनुदान में से ₹ 1,886.03 करोड़ (17.57 प्रतिशत) को 'अन्य' के रूप में वर्गीकृत करके अनुदानग्राही संस्थानों को संवितरण के रूप में दिखाया गया था जोकि कुल सहायता अनुदान का 17.57 प्रतिशत था। 2019-20 के दौरान 'अन्य' के रूप में अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों को वितरित सहायता अनुदान में पिछले वर्षों की तुलना में ₹ 654.69 करोड़ (53.16 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

4.4 सार आकस्मिक बिल

राज्य सरकार द्वारा व्यय की मदों पर आकस्मिक प्रभारों का आहरण, जिसके लिए आहरण के समय अंतिम वर्गीकरण एवं समर्थित वाउचर उपलब्ध नहीं हैं सांविधिक आहरण (सा.आ.) बिलों पर किया जाता है। आरंभ में अग्रिम के रूप में लिए गए, इसे बाद के समायोजन बिलों के आहरण की एक निर्धारित अवधि के अन्दर विस्तृत आकस्मिक (वि.आ.) बिल जमा कर के सुनिश्चित किया जाता है। वि.आ. बिलों में सा.आ. बिलों के माध्यम से आहरित राशि के लिए उप-वाउचर के साथ-साथ सार व्यय शामिल होता है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी को इन सभी मामलों में नियंत्रक अधिकारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत

प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (वि.प्र.आ.) बिल निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

प्राप्ति तथा भुगतान नियमावली का नियम 118 प्रावधान करता है कि प्रत्येक सार आकस्मिक बिल के साथ इस आश्रय का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि भुगतान के लिए प्रस्तुत बिल के पहले के माह में आहरित किए गए सा.आ. बिलों के संदर्भ में विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (वि.प्र.आ.) बिलों को नियंत्रक अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया है। बिना प्रमाण-पत्र के किसी भी सा.आ. बिल का नकदीकरण नहीं किया जा सकता।

सा.आ. बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल प्रस्तुत करने में वर्ष-वार प्रगति का विवरण तालिका 4.3 एवं चार्ट 4.3 में दिया गया है।

तालिका 4.3: सा.आ. बिलों के प्रति वि.प्र.आ. बिल प्रस्तुत करने में वर्ष-वार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आंशिक शेष		जोड़		क्लीयरेंस		अंतिम शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2016-17 तक	2,402	598.20	7,977	530.98	6,408	697.60	3,971	431.58
2017-18	3,971	431.58	1,404	179.32	1,180	208.47	4,195	402.43
2018-19	4,195	402.43	1,244	280.55	776	118.54	4,663	564.44
2019-20	4,663	564.44	1,407	356.53	845	146.50	5,225	774.47


स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

49 सरकारी विभागों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के खाते बंद होने से पहले ₹ 266.27 करोड़ की राशि के 730 वि.आ. बिल जमा नहीं किए और इसलिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तव में ₹ 266.27 करोड़ का व्यय उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिस उद्देश्य के लिए इसे विधानमण्डल द्वारा अधिकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, तालिका से यह भी देखा जा सकता है कि मार्च 2020 तक ₹ 774.47 करोड़ के कुल 5225 सा.आ. बिल बकाया थे।

2019-20 के दौरान ₹ 356.53 करोड़ के सा.आ. बिलों के प्रति ₹ 39.35 करोड़ (11.04 प्रतिशत) की राशि मार्च 2020 से संबंधित है।

आहरित अग्रिमों को लेखाबद्ध नहीं किये जाने से अपव्यय/दुर्विनियोजन/दुराचार आदि में वृद्धि की संभावना है। इसलिए, इसकी बारीकी से निगरानी किए जाने की आवश्यकता है।


सा.आ. बिलों की क्लीयरेंस की प्रवृत्तियाँ चार्ट 4.3 में दी गई हैं।



उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि 2017-20 की अवधि के दौरान बकाया सा.आ. बिलों की क्लीयरेंस 2017-18 में 21.95 प्रतिशत से गिरकर 2019-20 में 13.92 प्रतिशत हो गई।

प्रमुख विभागों के लंबित वि.प्र.आ. बिलों का विवरण चार्ट 4.4 में दिया गया है।

चार्ट 4.4: प्रमुख विभागों के लंबित वि.प्र.आ. बिल



स्रोत: वर्ष 2019-20 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे

पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए तैयार किए गए सा.आ. बिल

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 की धारा III, नियम 96 के अनुसार “आकस्मिक प्रभार” या “आकस्मिकता” शब्द का अर्थ है कि इसमें सभी आकस्मिक एवं अन्य खर्च (भण्डारण सहित) शामिल है जो एक कार्यालय के प्रबंधन के लिए किए जाते हैं या तकनीकी स्थापना जैसे-प्रयोगशाला, कार्यशाला, औद्योगिक स्थापना, स्टोर डिपो तथा इसी तरह के कार्य हेतु किए जाते हैं परन्तु उन व्यय के अतिरिक्त जिसे विशेष रूप से व्यय के किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत आने वाले रूप में वर्गीकृत किया गया है जैसे-‘कार्य’, ‘उपकरण’ एवं ‘संयंत्र’।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सा.आ. बिल पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आहरित किए गये थे जैसा कि तालिका 4.4 में दिया गया है:

तालिका 4.4: पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आहरित सा.आ. बिल

वर्ष	सा.आ. बिलों की कुल संख्या	पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आहरित सा.आ. बिलों की संख्या	पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आहरित सा.आ. बिलों की धनराशि (₹ करोड़ में)
2017-18	1404	3	37.97
2018-19	1244	23	40.21
2019-20	1407	22	149.85
कुल	4055	48	228.03

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

परिवहन विभाग के अभिलेखों की नमूना जाँच में निम्नलिखित बिन्दुओं का पता चला:

(क) पूँजीगत व्यय के लिए सार आकस्मिक (सा.आ.) बिलों का आहरण

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2019-20 के लिए कुल ₹ 119.66 करोड़ में से ₹ 106.75 करोड़ के 17 लंबित सा.आ. बिलों में से 14 विस्तृत लेखाशीर्ष 505500050920053 (सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय) के अंतर्गत विभिन्न अभिकरणों जैसे डी.टी.आई.डी.सी., डी.एस.आई.आई.डी.सी., बी.एस.ई.एस. आदि में अग्रिम के रूप में खर्च किए गए थे।

यह देखा गया कि दि.प.नि. डिपो, इलैक्ट्रिक बस चार्जिंग डिपो एवं संबंधित बुनियादी ढाँचे, प्रशासनिक खण्ड आदि के निर्माण जैसे पूँजीगत प्रकृति के कार्यों पर व्यय से संबंधित 14 सा.आ. बिलों की ₹ 106.75 करोड़ की राशि लंबित है। नियमानुसार किए गए कार्यों की प्रकृति आकस्मिक प्रभारों की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। सा.आ. बिलों के माध्यम से

पूँजीगत प्रकृति पर व्यय, मुख्य शीर्ष 5055 (सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय) के अंतर्गत समायोजित करना नियम का उल्लंघन था।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि ₹ 7.41 करोड़ की राशि के आठ आकस्मिक बिल 30 मार्च 2020 को आहरित किए गए थे जिससे पता चलता है कि इसका उद्देश्य वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले बजटीय अनुदानों को समाप्त करना था।

(ख) विस्तृत आकस्मिक (वि.आ.) बिलों के संबंध में उप-वाउचरों को प्रस्तुत न करना:

प्राप्ति एवं भुगतान नियम 1983 के नियम 119(2) (प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिकताओं से संबंधित विस्तृत बिल का प्रारूप एवं तैयारी) के अनुसार विस्तृत बिल पर कार्यालय प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे एवं ₹ 50 से ऊपर के सभी उप-वाउचरों के साथ, पृष्ठांकित प्रमाणपत्र पर बिल के छोटे वाले स्थान पर अपने हस्ताक्षर के साथ नियंत्रण अधिकारी (या यदि कोई नियंत्रक अधिकारी नहीं है, तो सीधे लेखा अधिकारी को) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

वर्ष 2019-20 के दौरान निपटाए गए ₹ 94.03 लाख के 23 विस्तृत आकस्मिक बिलों में से ₹ 38.81 लाख के तीन विस्तृत आकस्मिक बिलों की नमूना जाँच से पता चला कि उप-वाउचर संलग्न नहीं किए गए थे, जिसके अभाव में वास्तव में किए गए व्यय की प्रामाणिकता सुनिश्चित/सत्यापित नहीं की जा सकती थी। प्र.ले.का., रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (23 मार्च 2021) कि उन्होंने मामले को परिवहन विभाग की टिप्पणियों के लिए भेज दिया है। परिवहन विभाग/प्र.ले.का. से जवाब प्रतिक्षित था (मई 2021)।

4.5 व्यक्तिगत जमा खाते

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 191 के साथ पठित नियम 191(3) में प्रावधान है कि व्यक्तिगत जमा खातों (व्य.ज.खा.) को सामान्य तौर से निम्नलिखित प्रकार के मामलों में विशेष आदेश के अंतर्गत संबंधित मंत्रालय/विभाग को लेखा महानियंत्रक (ले.म.नि.) के परामर्श से खोलने के लिए अधिकृत किया जाता है:

क) सरकारी प्रबंधन के अंतर्गत वार्ड एवं संलग्न सम्पदाओं एवं सम्पदाओं के आधार पर या उनकी ओर से दिए गए धन के प्रबंधन के उद्देश्य से नियुक्त

- प्रशासक के पक्ष में नियम 192(1) के अनुसार व्य.ज.खा. सरकार को व्यपगत नहीं होते, भले ही तीन से अधिक पूर्ण वर्षों के लिए बकाया हो;
- ख) मुख्य न्यायिक प्राधिकरण के पक्ष में तथा नियम 192(2) के अनुसार सिविल एवं आपराधिक न्यायालयों की जमा से सम्बंधित व्य.ज.खा. व्यपगत नहीं होंगे;
- ग) जहाँ, सरकार की कुछ नियामक गतिविधियों के अंतर्गत, प्राप्तियां वसूली जाती है एवं अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी निधि या खाते में जमा की जाती है, जिसका उपयोग उसके अंतर्गत व्यय के लिए किया जाता है एवं इसमें समेकित निधि से कोई व्यय शामिल नहीं होता है। ये व्य.ज.खा. सरकार को तब तक व्यपगत नहीं होंगे जब तक संबंधित अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जाएगा।

31 मार्च 2020 को रा.रा.क्षे.दि.स. के व्य.ज.खा. का विवरण तालिका 4.5 में दिया गया है:

तालिका 4.5: 31 मार्च 2020 को व्य.ज.खा. का विवरण

01.04.2019 को व्य.ज.खा.		वर्ष 2019-20 के दौरान खोले गये व्य.ज.खा.		वर्ष 2019-20 के दौरान बंद किये गये व्य. ज.खा.		अंतिम शेष	
संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
12	72.84	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	12	54.65

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. नियंत्रक लेखा परीक्षक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से 12 व्य.ज.खा. का संचालन कर रहा है। इन व्यक्तिगत जमा खातों को खोलने का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण प्राधिकारियों (दि.वि.प्रा. आदि) से प्राप्त मुआवजे की प्राप्तियों को भूमि अधिग्रहण क्लेक्टरों के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि मालिकों को भुगतान, सुरक्षा शुल्क, चुनाव याचिकाओं की फीस, सिविल जमा, फौजदारी जमा एवं अदालत के आदेश के अनुसार वादकारियों का किराया आदि जमा करना और इसमें समेकित निधि से कोई व्यय शामिल नहीं है।

31 मार्च 2020 को इन 12 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 54.65 करोड़ का अंतिम शेष था जो व्यपगत नहीं है।

व्यक्तिगत खातों का विश्लेषण

आवास आयुक्त, दिल्ली प्रशासन के पक्ष में एक व्यक्तिगत जमा खाता खोला गया (1961) जो कि दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण, विकास एवं निपटान के लिये योजनाओं के संबंध में प्राप्तियों एवं भुगतान करने के लिये था।


लेखापरीक्षा ने पाया कि अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष ₹ 68.32 करोड़ में से ₹ 18.14 करोड़ की राशि मुआवजा देने के लिए विभिन्न भूमि अधिग्रहण प्रकोष्ठों (भू.अ.प्र.) को वितरित की गई थी, 31 मार्च 2020 तक ₹ 50.18 करोड़ की राशि शेष बची।

भूमि एवं भवन विभाग ने कहा कि भूमि अधिग्रहण शाखा एवं भुगतान अभिकरणों अर्थात् दि.वि.प्रा., दि.न.नि., दि.श.आ.सु.बो., लो.नि.वि. आदि से बार-बार पत्र/अनुस्मारक जारी किये जाने के बावजूद लंबित स्पष्टीकरण के कारण संबंधित भूमि अधिग्रहण प्रकोष्ठ को राशि जारी नहीं की जा सकी थी। यह भी कहा गया कि स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर संबंधित भू.अ.प्र. को राशि जारी की जाएगी।

4.6 लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

अन्य प्राप्तियों एवं अन्य व्यय से संबंधित लघुशीर्ष-800 को केवल तभी संचालित किया जाएगा जब खातों में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो। बहु प्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत बड़ी राशि का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है एवं आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है। लघु शीर्ष-800 के नियमित संचालन को निरूत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे लेखे अपारदर्शी हो जाते हैं। लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज की गई राशियों की प्रवृत्तियां चार्ट 4.5 में दिखाई गई हैं:

चार्ट 4.5: 2015-2020 के दौरान लघु शीर्ष-अन्य व्यय का संचालन



स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

लेखाचित्र से यह देखा जा सकता है कि लघु शीर्ष-अन्य व्यय के संचालन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि 2017-2020 की अवधि के दौरान कुल व्यय पर इस शीर्ष के अंतर्गत दर्ज व्यय लगभग 14 प्रतिशत था।

2019-20 के दौरान ₹ 45,108.86 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 6,019.29 करोड़ के व्यय को लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जो कुल व्यय का 13.34 प्रतिशत था। 2019-20 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज महत्वपूर्ण व्यय को तालिका 4.6 में दिया गया है।

तालिका 4.6: लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज किये गये महत्वपूर्ण व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किये गये कुल व्यय	मुख्य शीर्ष के तहत कुल व्यय	कुल व्यय की तुलना में लघुशीर्ष-800 में व्यय की प्रतिशतता
1	2040-बिक्री कर	19.60	41.38	47.37
2	2041-वाहनों पर कर	270.07	355.61	75.95
3	2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	1,114.83	5,298.33	21.04
4	2211-परिवार कल्याण	70.00	88.84	78.79
5	2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	470.50	1,415.35	33.24
6	2404-डेयरी विकास	11.67	11.67	100.00
7	2801-ऊर्जा	2,423.29	2,423.29	100.00
8	3054-सड़क एवं पुल	569.22	599.10	95.01
9	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	190.66	190.66	100.00
10	4711-बाढ़ नियंत्रक परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	112.13	116.19	96.51
11	5054-सड़क एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय	222.93	771.92	28.88
	कुल	5,474.90	11,312.34	48.40

2019-20 के दौरान ₹ 37,662.76 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से ₹ 677.07 करोड़ की प्राप्तियाँ को लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जो कुल प्राप्तियों का 1.80 प्रतिशत था। 2019-20 के दौरान लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत दर्ज की गई महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ तालिका 4.7 में दी गई हैं:

तालिका 4.7: लघु शीर्ष- '800-अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत दर्ज की गई महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	ल.शी. 800 के अंतर्गत दर्ज की जा रही	कुल प्राप्तियाँ	प्राप्तियों की प्रतिशतता
1	0059-लोक कार्य	12.17	13.28	91.64
2	0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	285.11	342.67	83.20
3	0210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	86.13	112.38	76.64
4	0217-शहरी विकास	31.63	31.63	100.00
5	0701-मध्यम सिंचाई	13.55	13.55	100.00
6	0801-ऊर्जा	87.00	87.00	100.00
	कुल	515.59	600.51	85.86

इस मुद्दे को राज्य वित्त पर पहले के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इंगित किया गया था। हालांकि, अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत वर्तमान में प्रदर्शित होने वाली सभी मदों की व्यापक समीक्षा कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि ऐसी सभी प्राप्तियाँ एवं व्यय को लेखा के सही शीर्ष के तहत उचित रूप से दर्ज किया जाए ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके। वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (मार्च 2021) कि लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत वर्गीकरण की समीक्षा के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है तथा परिणाम अगले लेखापरीक्षा के समय सूचित किया जाएगा।

मापन से संबंधित मुद्दे

4.7 नकद शेषों का मिलान

रा.रा.क्षे.दि.स. का अपना स्वयं का सार्वजनिक खाता नहीं है और इसलिए रा.रा.क्षे.दि.स. के नकद शेष का कोई प्रकरण नहीं है। मौजूदा व्यवस्थाओं के अनुसार रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि का शेष खाता नियमित रूप से एम.एच.-8450-00-106-केन्द्र शासित प्रदेशों के शेष खाते के अंतर्गत परिलक्षित होता है और इसका खाता मासिक रूप से लोक लेखा के अन्य लेखा शीर्षों के लेखों के साथ नियंत्रक लेखापरीक्षक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय में जमा किया जाता है।

प्रकटन से संबंधित मुद्दे

4.8 लेखा मानकों का अनुपालन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सलाह पर संघ और राज्यों के खातों के रूप को निर्धारित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने के लिए सरकारी लेखांकन एवं वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मानक तैयार करने के लिए 2002 में एक सरकारी लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (स.ले.मा.स.बो.) की स्थापना की। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों (भा.स.ले.मा.) को अधिसूचित किया है। राज्य सरकार द्वारा मौजूदा लेखांकन मानकों के अनुपालन का विवरण तालिका 4.8 में दिया गया है:

तालिका 4.8: लेखाकरण मानकों का अनुपालन

क्रम सं.	भा.स.ले.मा.	भा.स.ले.मा. का सार	रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अनुपालन	लेखापरीक्षा द्वारा पायी गयी कमी
1.	भा.स.ले.मा.-1 : (सरकारी प्रकटीकरण आवश्यकताओं द्वारा दी गयी गारंटियां)	इस मानक के लिए सरकार को वर्ष के दौरान दी गई अधिकतम राशि की गारंटियों को प्रकट करने के साथ ही वर्ष के अन्त में इसमें जोड़ने, मिटाने, लागू करने, खारिज एवं बकाया बताने की आवश्यकता है।	अनुपालन किया गया (विवरण सं.5)	विवरण सं. 5 निर्धारित प्रपत्र में नहीं थी।
2.	भा.स.ले.मा.-2: (सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण)	सहायता अनुदान को अनुदानकर्ता के खातों में राजस्व व्यय के रूप में एवं अनुदान प्राप्तकर्ता के खातों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाना है, चाहे अंतिम उपयोग कुछ भी हो।	अनुपालन किया गया (वित्त लेखे के विवरण 10 का परिशिष्ट)	-
3.	भा.स.ले.मा. -3: (सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम)	यह मानक पूर्ण, सटीक एवं एक समान लेखांकन कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अपने वित्तीय विवरणियों में दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में मान्यता, माप, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग से संबंधित है।	अनुपालन किया गया (वित्त लेखे विवरण 4 संक्षेप के लिए एवं विवरण 16 विस्तृत विवरण के लिए)	-

4.9 स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और 20 के अंतर्गत 12 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. को सौंपी गयी थी।

2019-20 तक देय 12 निकायों/प्राधिकरणों के वार्षिक लेखे कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली में सितम्बर 2020 तक प्राप्त नहीं हुए थे। इन बकाया लेखों का विवरण तालिका 4.9 में दिया गया है।

तालिका 4.9: 30 सितम्बर 2020 को बकाया लेखों का विवरण

क्र. सं.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	पूर्व से लंबित लेखे	30.09.2020 को बकाया लेखों की संख्या
1	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (दि.श.आ.सु.बो.)	2010-11	10
2	दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.)	2015-16	5
3	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (दि.वि.वि.आ.)	2019-20	1
4	दिल्ली कल्याण समिति	2019-20	1
5	दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण	2018-19	2
6	नेताजी सुभाष तकनीकी विश्वविद्यालय	2018-19	2
7	अम्बेडकर विश्वविद्यालय	2019-20	1
8	गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय	2019-20	1
9	दिल्ली प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय	2019-20	1
10	इंदिरा गाँधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय	2018-19	2
11	इन्द्रप्रस्थ सूचना एवं तकनीकी संस्थान दिल्ली	2019-20	1
12	दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	2017-18	3

उपरोक्त से, यह पाया गया कि वर्ष 2019-20 तक 12 निकायों/प्राधिकरणों के 30 वार्षिक लेखे 30 सितम्बर 2020 तक लंबित थे।

वार्षिक लेखों को समय पर अंतिम रूप न दिए जाने के कारण सरकार का निवेश लेखापरीक्षा/राज्य विधानमंडल की जांच से बाहर रहा। परिणामस्वरूप

उत्तरदायित्व एवं दक्षता बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपाय, यदि आवश्यक थे, समय पर नहीं लिए जा सके थे। इसके अतिरिक्त लेखों को अंतिम रूप दिए जाने में देरी से धोखाधड़ी एवं सार्वजनिक धन के क्षरण का जोखिम बढ़ा।

सरकार निगमों/प्राधिकरणों द्वारा वार्षिक लेखों के संकलन और जमा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक प्रणाली विकसित करने पर विचार कर सकती है।

4.10 अनुशंसाएँ

- (i) सरकारी प्राप्तियों को निर्धारित समय के अंदर सरकारी खातों में जमा कराना सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक व्यवस्था स्थापित कर सकती है।
- (ii) सरकार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी अनुदानों के संबंध में विभागों द्वारा समय पर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर सकती है।
- (iii) सरकार सा.आ. बिलों का समायोजन निर्धारित अवधि के भीतर जैसा कि नियमों के तहत आवश्यक है, करने पर विचार कर सकती है।
- (iv) वित्त विभाग को वर्तमान में लघुशीर्ष-800 के अंतर्गत आने वाली सभी मदों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी सभी प्राप्तियाँ और व्यय उपयुक्त लेखाशीर्षों के अंतर्गत पूर्व में दर्ज हैं।

अध्याय - 5

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

अध्याय-5

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

इस अध्याय में सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के वित्तीय निष्पादन पर चर्चा की गई है जैसा कि उनके लेखों से पता चलता है। वर्ष 2019-20 (अथवा पूर्व वर्षों के जिनको चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया) के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) द्वारा संचालित इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (रा.सा.क्षे.उ.) की वित्तीय विवरणियों की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामों के रूप में जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव की भी चर्चा की गई है।

5.1 सरकारी कंपनियों की परिभाषा

एक सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त शेयर पूंजी केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के पास होता है तथा इसमें वह कंपनी शामिल होती है जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी होती है।

5.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा, भारत के नि.म.ले.प. द्वारा नि.म.ले.प. (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाए विनियमों के अंतर्गत की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नि.म.ले.प. कंपनियों के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को बतौर सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त करता है तथा उन्हें निर्देश देता है कि किस प्रकार लेखों को लेखापरीक्षित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, नि.म.ले.प. को पूरक लेखापरीक्षा के संचालन का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाले विधानों के अनुसार उनके लेखे केवल नि.म.ले.प.¹ द्वारा लेखापरीक्षित कराया जाना आवश्यक होता है।

5.3 रा.सा.क्षे.उ. तथा राज्य के स.रा.घ.उ. में उनका योगदान

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (रा.सा.क्षे.उ.) में राज्य सरकार की कंपनियां तथा सांविधिक निगम शामिल होते हैं। रा.सा.क्षे.उ. जनकल्याण को ध्यान में

¹ दिल्ली परिवहन निगम का एकमात्र लेखापरीक्षक नि.म.ले.प. है।

रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को करने के लिए स्थापित किए जाते हैं तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 31 मार्च 2020 को, दिल्ली में नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दो² सांविधिक निगमों तथा 16 सरकारी कंपनियों सहित 18 रा.सा.क्षे.उ. थे। इन रा.सा.क्षे.उ. के नाम तालिका 5.1 में दिए गए हैं:

तालिका 5.1: रा.सा.क्षे.उ.³ की सूची

क्र. सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का क्षेत्र तथा नाम
सरकारी कंपनियां	
वित्त	
1.	दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग वित्त विकास निगम लिमिटेड (दि.अ.जा.वि.वि.नि.लि.,)
अवसंरचना	
2.	शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम (शा.पू.वि.नि.)
3.	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि.)
पॉवर	
4.	इन्द्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (इं.पॉ.ज.कं.लि.)
5.	प्रगति पॉवर निगम लिमिटेड (प्र.पॉ.नि.लि.)
6.	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (दि.ट्रां.लि.)
7.	दिल्ली पॉवर कंपनी लिमिटेड (दि.पॉ.कं.लि.)
8.	दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि. एनर्जी लिमिटेड (दि.ए.लि. - दि.रा.औ.अ.वि.नि. की सहायक कंपनी)
सेवाएं	
9.	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड (दि.प.प.वि.नि.)
10.	दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स डेवलपमेन्ट लिमिटेड (दि.क्रि.आ.डें.लि. - दि.रा.औ.अ.वि.नि. की सहायक कंपनी)
11.	दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि. लीकर लिमिटेड (दि.लि.लि. - दि.रा.औ.अ.वि.नि. की सहायक कंपनी)
12.	दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि. अनुरक्षण सेवाएं लिमिटेड (दि.अ.से.लि. - दि.रा.औ.अ.वि.नि. की सहायक कंपनी)
13.	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (दि.रा.ना.आ.नि.लि.)
14.	इंटेलीजेंट कम्यूनिकेशन सिस्टमस इंडिया लिमिटेड (इं.क.सि.इं.लि. - दि.रा.औ.अ.वि.नि. की सहायक कंपनी)
15.	जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड (जि.दि.लि.)
परिवहन	
16.	दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (दि.प.अ.वि.नि.लि.)
सांविधिक निगम	
वित्त	
17.	दिल्ली वित्तीय निगम (दि.वि.नि.)
परिवहन	
18.	दिल्ली परिवहन निगम (दि.प.नि.)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) में रा.सा.क्षे.उ. की टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में रा.सा.क्षे.उ. की गतिविधियों का विस्तार दर्शाता है। 31 मार्च 2020 को समाप्त तीन वर्षों की अवधि के लिए रा.सा.क्षे.उ. तथा स.रा.घ.उ. की टर्नओवर के विवरण तालिका 5.2 में दिए गए हैं।

² दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली वित्तीय निगम

³ एक कंपनी (एन.डी.एम.सी. स्मार्ट सिटी लिमिटेड) को 2019-20 के लेखों से का.प्र.म.ले. (ले.प.) दिल्ली के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र से स्थानांतरित कर दिया गया है।

तालिका 5.2: रा.रा.क्षे.दि.स. के स.रा.घ.उ. की तुलना में रा.सा.क्षे.उ. के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
टर्नओवर	8,119.06	9,318.69	9,573.56
दिल्ली का स.रा.घ.उ.	6,86,824.00	7,74,870.00	8,56,112.00
दिल्ली के स.रा.घ.उ. में टर्नओवर की प्रतिशतता	1.18	1.20	1.12

स्रोत: टर्नओवर को रा.सा.क्षे.उ. की नवीनतम वित्तीय विवरणियों के अनुसार लिया गया है तथा स.रा.घ.उ. को अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय से लिया गया है

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों के दौरान इन रा.सा.क्षे.उ. के टर्नओवर में उनके नवीनतम लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार 17.91 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। हालांकि स.रा.घ.उ. में रा.सा.क्षे.उ. का अंशदान नाम मात्र ही रहा।

5.4 रा.सा.क्षे.उ. में निवेश तथा बजटीय सहायता

5.4.1 इक्विटी होल्डिंग तथा रा.सा.क्षे.उ. में ऋण

राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र-वार कुल इक्विटी, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा इक्विटी अंशदान तथा रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा 31 मार्च 2020 को दिए गए ऋणों सहित दीर्घावधि ऋणों को तालिका 5.3 में दिया गया है।

तालिका 5.3: 31 मार्च 2020 को रा.सा.क्षे.उ. में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	निवेश ⁴ (₹ करोड़ में)				
	इक्विटी		दीर्घावधि ऋण		कुल इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋण
	कुल	राज्य सरकार	कुल	राज्य सरकार	
ऊर्जा	7,506.79	7,106.78	3,322.09	1,943.78	10,828.88
वित्त	71.68	51.38	99.63	86.48	171.31
सेवा	25.07	24.04	2.24	2.14	27.31
अवसंरचना	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00
परिवहन	1,994.50	1,994.50	11,676.14	11,676.14	13,670.64
कुल	9,619.04	9,197.70	15,100.10	13,708.54	24,719.14

स्रोत: रा.सा.क्षे.उ. की नवीनतम वित्तीय विवरणियाँ

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि रा.सा.क्षे.उ. में निवेश का जोर मुख्यतः परिवहन तथा ऊर्जा क्षेत्र पर था, जिससे ₹ 24,719.14 करोड़ के कुल निवेश का क्रमशः 55.30 प्रतिशत तथा 43.81 प्रतिशत प्राप्त हुआ।

⁴ निवेश में इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋण शामिल हैं।

5.4.2 विनिवेश, पुनर्गठन तथा निजीकरण

वर्ष 2019-20 के दौरान, रा.सा.क्षे.उ. के निजीकरण का कोई मामला नहीं था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने रा.सा.क्षे.उ. में निवेशित राज्य सरकार इक्विटी के विनिवेश पर कोई नीति नहीं बनाई है।

5.5 रा.सा.क्षे.उ. से रिटर्न

5.5.1 रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित लाभ

2019-20 में, 10 लाभ अर्जन करने वाले रा.सा.क्षे.उ.⁵ की तुलना में 2018-19 में आठ लाभ अर्जन रा.सा.क्षे.उ. थे। लाभ कमाने वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित लाभ 2018-19 में ₹ 894.74 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 1,123.10 करोड़ हो गया।

2019-20 में लाभ अर्जित करने वाले शीर्ष पांच रा.सा.क्षे.उ. का विवरण तालिका 5.4 में दिया गया है।

तालिका 5.4: शीर्ष पांच रा.सा.क्षे.उ. जिसने अधिकतम लाभ का अंशदान दिया

रा.सा.क्षे.उ. का नाम	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में)	रा.सा.क्षे.उ. के कुल लाभ में लाभ की प्रतिशतता
दि.रा.औ.अ.वि.नि.	312.75	27.85
प्र.पॉ.का.लि.	264.38	23.54
इं.पॉ.ज.कं.लि.	190.93	17.00
दि.ट्रां.लि.	171.36	15.26
दि.पॉ.कं.लि.	126.87	11.29
कुल	1,066.29	94.94

स्रोत: रा.सा.क्षे.उ. की नवीनतम वित्तीय विवरणियाँ

2019-20 के दौरान, ₹ 1,066.29 करोड़ के निवल लाभ जो 10 रा.सा.क्षे.उ. के कुल लाभ का 94.94 प्रतिशत था, जो इन पांच रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अंशदान किया गया था।

5.5.2 रा.सा.क्षे.उ. द्वारा प्रदत्त लाभांश

रा.रा.क्षे.दि.स. ने कोई लाभांश नीति नहीं बनाई थी, जिसके अंतर्गत रा.सा.क्षे.उ. के लिए राज्य सरकार द्वारा अंशदान किये गये प्रदत्त शेयर पूंजी पर न्यूनतम रिटर्न का भुगतान करना आवश्यक होता। 13 में से किसी भी रा.सा.क्षे.उ.⁶ ने जिसमें राज्य सरकार ने निवेश किया था, लाभांश की घोषणा/भुगतान नहीं किया था।

⁵ दि.रा.औ.अ.वि.नि., प्र.पॉ.का.लि., इं.पा.ज.कं.लि., दि.ट्रां.लि., दि.पॉ.का.लि., इं.क.सि.इं.लि., दि.रा.ना.आ.नि., दि.प.प.वि.नि., जि.दि.लि., दि.प.अ.वि.नि. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अन्तर्गत पंजीकृत एक रा.सा.क्षे.उ. (शा.पु.वि.नि.) गैर-लाभकारी कंपनी है।

⁶ दि.अ.जा.वि.वि.नि., शा.पु.वि.नि., दि.रा.औ.अ.वि.नि., इं.पॉ.ज.कं.लि., प्र.पॉ.कं.लि. दि.ट्रां.लि., दि.पॉ.कं.लि., दि.प.प.वि.नि., दि.रा.ना.आ.नि., जि.दि.लि., दि.प.अ.वि.नि., दि.वि.नि., दि.प.नि.

5.6 ऋण सेवाएँ

5.6.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग बकाया ऋण पर देय ब्याज के लिए कंपनी की योग्यता निश्चित करने हेतु किया जाता है तथा इसकी गणना कंपनी के अर्जन को उसी अवधि के ब्याज व्ययों द्वारा ब्याज और करों (ई.बी.आई.टी.) से पहले विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होता है, कंपनी की ऋण पर ब्याज के भुगतान की क्षमता उतनी ही कम होती है। एक से कम का ब्याज कवरेज अनुपात दर्शाता है कि कंपनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी।

ऐसे रा.सा.क्षे.उ., जिनमें ब्याज का भार था, के ब्याज कवरेज अनुपात के विवरण तालिका 5.5 में दिए गए हैं।

तालिका 5.5: रा.सा.क्षे.उ. का ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज देयता (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर (ईबीआईटी) से पहले अर्जन (₹ करोड़ में)	उन रा.सा.क्षे.उ. की संख्या जिनके ऊपर सरकार तथा अन्य वित्त संस्थानों से ब्याज देयता है	1 से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या	1 से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या
2017-18	4,452.87	1,853.94	8	6	2
2018-19	5,005.46	1,645.16	6	3	3
2019-20	5,701.94	1,382.53	6	3	3

स्रोत: रा.सा.क्षे.उ. की नवीनतम वित्तीय विवरणी

यह पाया गया कि तीन रा.सा.क्षे.उ.⁷ में 2019-20 के दौरान, ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था। तीन⁸ रा.सा.क्षे.उ. में 2019-20 के दौरान, ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था। इस प्रकार, ये रा.सा.क्षे.उ. ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहे थे।

5.7 रा.सा.क्षे.उ. का निष्पादन

5.7.1 नियोजित पूंजी पर रिटर्न

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (नि.पू.प.रि.) एक अनुपात है, जो कंपनी की लाभदायिकता तथा दक्षता को मापता है जिससे इसकी पूंजी नियोजित की

⁷ दि.ट्रां.लि., इ.पॉ.ज.कं.लि., प्र.पॉ.का.लि.

⁸ दि.अ.जा.वि.वि.नि., दि.वि.नि., दि.प.नि.

जाती है। नि.पू.प.रि. की गणना नियोजित पूंजी⁹ द्वारा ब्याज तथा करों (ई.बी.आई.टी.) से पहले कंपनी के अर्जन को विभाजित करके की जाती है। 13 रा.सा.क्षे.उ., जिनमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान निवेश किया था, के नि.पू.प.रि. के विवरण तालिका 5.6 में दिए गए हैं।

तालिका 5.6: नियोजित पूंजी पर रिटर्न

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	नि.पू.रि. (प्रतिशत में)
2017-18	1,969.95	-1,605.81	-122.68
2018-19	2,036.61	-6,198.10	-32.86
2019-20	2,022.62	-11,192.35	-18.07

स्रोत: रा.सा.क्षे.उ. की नवीनतम वित्तीय विवरणी

यह पाया गया था कि नि.पू.प.रि. सभी वर्षों में नकारात्मक था।

5.7.2 रा.सा.क्षे.उ. द्वारा इक्विटी पर रिटर्न

इक्विटी पर रिटर्न (इ.प.रि.) यह निर्धारण करने हेतु वित्तीय निष्पादन का एक उपाय है कि कंपनी की परिसंपत्तियों का कितना प्रभावी उपयोग लाभ सृजन के लिए किया जा रहा है। इ.प.रि. की गणना, शेयरधारकों की निधि से निवल आय (अर्थात् करों के पश्चात निवल लाभ) को विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और किसी भी कंपनी के लिए गणना की जा सकती है। यदि निवल आय तथा शेयरधारकों की निधि दोनों घनात्मक संख्याएं हैं।

शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूंजी तथा निःशुल्क आरक्षणों को जमा करके उसमें से निवल संचित हानियाँ तथा आस्थगित राजस्व व्यय को घटाकर की जाती है और इससे पता चलता है कि कंपनी के शेयरधारकों के लिए कितनी निधि बच जाएगी, यदि सभी परिसंपत्तियों की बिक्री हो जाए तथा सभी ऋणों का भुगतान कर दिया जाए। एक घनात्मक शेयरधारक निधि से पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी देयताओं को चुकाने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां हैं जबकि ऋणात्मक शेयरधारक इक्विटी का तात्पर्य देयताओं का परिसंपत्तियों से अधिक होना है।

⁹ नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + फ्री रिजर्व व अधिशेष+ दीर्घावधि ऋण - संचित हानियां - स्थगित राजस्व व्यय

रा.रा.क्षे.दि.स. निवेश के साथ, 13 रा.सा.क्षे.उ. से संबंधित शेयरधारकों की निधि के विवरण तालिका 5.7 में दिये गये हैं।

तालिका 5.7: रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा रा.सा.क्षे.उ. में लगाई गई, निधियों से संबंधित इक्विटी पर रिटर्न

वर्ष	निवल आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	इ.प.रि. (प्रतिशत)
2017-18	-2,895.56	-18,616.67	-
2018-19	-3,489.59	-22,120.85	-
2019-20	-4,175.27	-26,292.35	-

जैसा कि, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान रा.सा.क्षे.उ. की निवल आय ऋणात्मक थी, इसलिए ई.प.रि. की गणना नहीं की जा सकती थी। 2017-18 से 2019-20 के सभी वर्षों के लिए निवल आय दि.प.नि. द्वारा अपने नवीनतम अंतिम खाते के अनुसार भारी हानियों के कारण नकारात्मक थी, जिसने अन्य रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित लाभों को ही मिटा दिया। शेयरधारकों की निधि मुख्यतः दि.प.नि. की संचित हानियों के कारण नकारात्मक थी जिसने अपने नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार इसे ₹ 38,753.47 करोड़ तक बढ़ा दिया था।

5.7.3 निवेश पर रिटर्न

निवेश पर रिटर्न कुल निवेश में लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता है। राज्य के 18 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से रा.रा.क्षे.दि.स. ने केवल 13 रा.सा.क्षे.उ. में निधियों को इक्विटी, ऋणों व अनुदानों/सब्सिडी के रूप में लगाया था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने बचे हुए पांच¹⁰ रा.सा.क्षे.उ. में कोई प्रत्यक्ष निधि नहीं लगाई थी।

रा.सा.क्षे.उ. से निवेश पर रिटर्न की गणना, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा रा.सा.क्षे.उ. में इक्विटी तथा ऋणों के रूप में किए गए निवेश से की गई है। ऋणों के मामले में केवल ब्याज मुक्त ऋणों को निवेश माना जाता है क्योंकि सरकार को ऐसे ऋणों पर कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता है और इसलिए सरकार द्वारा ये इक्विटी निवेश की प्रकृति के होते हैं उस सीमा को छोड़कर कि ऋणों को पुनर्भुगतान के नियमों तथा शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन तथा परिचालन व्ययों के अलावा अन्य

¹⁰ दि.ए.लि., दि.क्रि.आ.डे. ई.डी.सी.ए.डी., दि.अ.से.लि. तथा दि.लि.लि., दि.रा.औ.अ.वि.नि. की सहायक कंपनियां हैं, जिसने उनकी पूंजी में अंशदान किया था। इसके अतिरिक्त, इ.क.सि.इं.लि.के मामले में दि.रा.औ.अ.वि.नि., टी.सी.आई.एल.तथा अन्य दो कम्पनियों ने पूंजी लगाई थी।

के लिए अनुदानों/सबसिडी के रूप में उपलब्ध निधियों को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि वे निवेश की तरह विचार किए जाने योग्य नहीं है।

5.7.4 सरकारी निवेशों पर रेट ऑफ रियल रिटर्न (आर.ओ.आर.आर.)

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा 13 रा.सा.क्षे.उ. में महत्वपूर्ण निवेश की दृष्टि से ऐसे निवेश पर रिटर्न राज्य सरकार के परिप्रेक्ष्य से आवश्यक है जिसकी गणना धन के वर्तमान मूल्य (व.मू.) को ध्यान में रखकर की गई है। सरकारी निवेशों के व.मू. की गणना निवेशों के ऐतिहासिक मूल्य की तुलना में राज्य के रा.सा.क्षे.उ. में रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेशों के व.मू. पर रिटर्न के रेट के आकलन हेतु की गई है। 31 मार्च 2020 तक, प्रत्येक वर्ष के अंत में निवेश की ऐतिहासिक लागत को उसके व.मू. पर लाने के लिए रा.सा.क्षे.उ. में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा किये गये पिछले निवेश/वर्ष-वार निधियों को सरकारी उधारियों पर ब्याज की वर्षवार औसत दर पर संयुक्त किया गया है, जिसे संबंधित वर्ष के लिए सरकार की निधियों की न्यूनतम लागत माना जाता है। इसलिए रा.रा.क्षे.दि.स. निवेश के व.मू. की गणना की गई है, जहां निधियों को रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा 2002-03¹¹ से 31 मार्च 2020 तक परिचालन एवं प्रबंधन व्ययों के लिए इक्विटी, ब्याज मुक्त ऋणों व अनुदानों तथा सब्सिडी के रूप में निवेशित किया गया है।

रा.सा.क्षे.उ. में रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश के व.मू. की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई:

- प्रबंधन तथा परिचालन व्ययों के अलावा अन्य के लिए अनुदानों/सबसिडी के रूप में उपलब्ध निधियों को निवेश के रूप में नहीं माना गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष¹² के लिए सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर का व.मू. निकालने के लिए चक्रवृद्धि दर के रूप में लिया गया क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश में सरकार द्वारा किए गए खर्च का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा इसलिए सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर रिटर्न के न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना गया था।

2002-03 से 31 मार्च 2020 तक, 13 रा.सा.क्षे.उ. से संबंधित रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश के व.मू. की समेकित स्थिति तालिका 5.8 में इंगित है।

¹¹ रा.सा.क्षे.उ. से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार

¹² सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर को, संबंधित वर्ष के राज्य वित्त (रा.रा.क्षे.दि.स.) पर भारत के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदनों से लिया गया था।

तालिका 5.8: 2002-03 से 2019-20 तक रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निवेश के वर्ष-वार विवरण तथा सरकारी निधियों का वर्तमान मूल्य (व.मू.)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा संचारित इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त ऋण	परिचालन व प्रबंधन व्ययों के लिए अनुदान तथा सबसिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर (% में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों के खर्च की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष के लिए कुल अर्जन
i	ii	iii	iv	v	vi=iii+iv+v	vii=ii+vi	viii	ix=(vii*(1+viii)/100}	x=(viii*vii)/100}	xi
2002-03	183.06 ¹³	324.41	0.00	0.20	324.61	507.67	11.17	564.38	56.71	-1,872.94
2003-04	564.38	0.00	0.00	0.20	0.20	564.58	10.65	624.70	60.13	-534.27
2004-05	624.70	0.00	0.00	0.20	0.20	624.90	10.34	689.52	64.62	-1,375.28
2005-06	689.52	0.00	0.00	130.87	130.87	820.39	8.87	893.16	72.77	-1,859.78
2006-07	893.16	3.11	0.00	42.07	45.18	938.34	9.35	1,026.07	87.73	-864.09
2007-08	1,026.07	4,471.80	0.00	33.56	4,505.36	5,531.43	9.84	6,075.73	544.29	-1,749.46
2008-09	6,075.73	715.19	0.00	19.25	734.44	6,810.17	9.90	7,484.37	674.21	-1,672.67
2009-10	7,484.37	1,128.25	0.00	96.25	1,224.50	8,708.87	9.52	9,537.96	829.08	-1,788.68
2010-11	9,537.96	464.00	0.00	402.98	866.98	10,404.94	9.10	11,351.79	946.85	-1,557.81
2011-12	11,351.79	665.48	40.00	764.59	1,470.07	12,821.86	9.77	14,074.55	1,252.70	-1,969.18
2012-13	14,074.55	498.55	50.00	1,310.54	1,859.09	15,933.64	9.73	17,483.98	1,550.34	-1,775.75
2013-14	17,483.98	745.00	1.00	1,409.70	2,155.70	19,639.68	9.21	21,448.50	1,808.81	-2,034.69
2014-15	21,448.50	-1.15	7.00	1,438.75	1,444.60	22,893.10	8.59	24,859.62	1,966.52	-942.51
2015-16	24,859.62	0.00	0.00	1,416.93	1,416.93	26,276.55	8.54	28,520.56	2,244.02	-2,049.81
2016-17	28,520.56	0.00	0.00	1,792.66	1,792.66	30,313.22	8.65	32,935.32	2,622.09	-2,867.88
2017-18	32,935.32	0.00	0.00	2,079.72	2,079.72	35,015.04	8.58	38,019.33	3,004.29	-2,895.56
2018-19	38,019.33	0.00	0.00	1,894.52	1,894.52	39,913.85	8.64	43,362.40	3,448.56	-3,489.59
2019-20	43,362.40	0.00	0.00	2,036.00	2,036.00	45,398.40	8.14	49,093.83	3,695.43	-4,175.27
कुल		9,014.64	98.00	14,868.99	23,981.63					

स्रोत: रा.सा.क्षे.उ. तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के संबंधित वर्षों के वित्त लेखों से प्राप्त जानकारी

इन 13 रा.सा.क्षे.उ. में वर्ष के अंत में रा.रा.क्षे.दि.स. का इक्विटी निवेश 2002-03 में ₹ 507.67 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 9,197.70 करोड़ हो गया। 31 मार्च 2020 तक, रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेशों का व.मू.

¹³ वर्ष 2001-02 तक 13 रा.सा.क्षे.उ. में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा किए गए निवेश का अंतिम शेष

₹ 49,093.83 करोड़ परिकल्पित किया गया। तालिका से यह देखा जा सकता है कि कंपनियों का कुल अर्जन 2002-03 से 2019-20 तक की पूरी अवधि के दौरान न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न की अपेक्षा कम रह गया है।

5.8 रा.सा.क्षे.उ. में हानियों का होना

5.8.1 हानियाँ हुईं

सात¹⁴ रा.सा.क्षे.उ. ऐसे थे जिसमें उनके नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार मार्च 2020 के अंत में हानियाँ हुई थी। उनके नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार इन हानि वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा होने वाली हानियाँ 2017-18 में ₹ 3,859.78 करोड़ तथा 2018-19 में ₹ 4,386.79 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 5,294.16 करोड़ हो गईं जैसाकि तालिका 5.9 में दिया गया है।

तालिका 5.9: रा.सा.क्षे.उ. की संख्या जिनमें हानियाँ हुईं

(₹ करोड़ में)

वर्ष	हानि वाले रा.सा.क्षे.उ. की संख्या	वर्ष के लिए निवल हानि	संचित हानि	निवल मूल्य ¹⁵
2017-18	9 ¹⁶	3,859.78	-29,103.14	-26,836.33
2018-19	11 ¹⁷	4,386.79	-32,499.28	-29,436.93
2019-20	7 ¹⁸	5,294.16	-38,741.28	-36,685.71

2019-20 के दौरान, इन सात हानि-वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा की गई ₹ 5,294.16 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 5,280.55 करोड़ (99.74 प्रतिशत) की हानि अकेले दिल्ली परिवहन निगम को हुई थी।

दि.प.नि. द्वारा उठाई गई हानियाँ मुख्य रूप से नवम्बर 2009 से किराए में संशोधन न करने, ए.एम.सी. लागत में वृद्धि तथा दि.प.नि. के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के कारण थी। परिणामस्वरूप, दि.प.नि. न तो रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त ऋण चुकाने की स्थिति में है न ही उस पर ब्याज चुकाने की स्थिति में है। 2011-12 से रा.रा.क्षे.दि.स., दि.प.नि. को वित्तीय सहायता के रूप में सहायता

¹⁴ शा.पु.वि.नि. ने 2019-20 में कोई लाभ/हानि अर्जित नहीं की अतः, इसे हानि वाले रा.सा.क्षे.उ. में नहीं माना गया।

¹⁵ निवल मूल्य का अर्थ है कुल प्रदत्त शेयर पूंजी तथा फ्री रिजर्व व अधिशेष का जोड़, घटा संचित हानि तथा स्थगित राजस्व व्यय। फ्री रिजर्व का अर्थ है लाभ तथा शेयर प्रीमियम खाता से बने सभी रिजर्वस, परन्तु इसमें परिसंपत्तियों के पुनः मूल्यांकन में से उत्पन्न रिजर्वस तथा मूल्यहास प्रावधान, का राईट बैक शामिल नहीं है।

¹⁶ दि.रा.औ.अ.वि.नि. की चार सहायक कंपनियां, शा.पु.वि.नि., दि.प.नि., दि.रा.ना.आ.नि., एन.डी.एम.सी. स्मार्ट सिटी तथा दि.अ.जा.वि.वि.नि. ।

¹⁷ दि.रा.औ.अ.वि.नि. की चार सहायक कंपनियां, शा.पु.वि.नि., दि.प.नि., एन.डी.एम.सी. स्टार्म सिटी, इं.पॉ.ज.कं.लि., दि.वि.नि., दि.रा.औ.अ.वि.नि. तथा दि.अ.जा.वि.वि.नि. ।

¹⁸ दि.रा.औ.अ.वि.नि. की चार सहायक कंपनियां, दि.प.नि., दि.वि.नि. तथा दि.अ.जा.वि.वि.नि. ।

अनुदान (स.अ.) जारी कर रहा है। दि.प.नि. ने 2011-20 के दौरान ₹ 11,766 करोड़ की राशि का स.अ. प्राप्त किया था। 2011 से पहले, दि.प.नि. ने रा.रा.क्षे.दि.स. से ₹ 11,676 करोड़ का ब्याज सहित ऋण प्राप्त किया था। मार्च 2019 तक, संचित ब्याज राशि ₹ 26,070 करोड़ थी। इस प्रकार ₹ 38,753 करोड़ की कुल संचित हानियों (मार्च 2019 तक) का 67 प्रतिशत अर्थात् ₹ 26,070 करोड़ संचित ब्याज के कारण था।

दि.प.नि. ने अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु दिल्ली सरकार को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया (2016) जो अभी भी (जून 2021) लंबित था।

क. ₹ 511 करोड़ के बकाया योजना ऋण को इक्विटी में बदलना।

ख. ₹ 11,165 करोड़ के बकाया गैर योजना ऋण को स.अ. में बदलना तथा ₹ 16,330.59 करोड़ के संचित ब्याज (31 मार्च 2017 तक) को स.अ. में बदलना।

ग. किरायों का संशोधन क्योंकि 1.11.2009 से कोई संशोधन नहीं हुआ था।

5.8.2 रा.सा.क्षे.उ. में पूंजी का क्षरण

31 मार्च 2020 तक ₹ 40,483.26 करोड़ की संचित हानियों वाले तीन रा.सा.क्षे.उ. थे, जिनमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने इक्विटी तथा ऋणों का निवेश किया था। इन तीन रा.सा.क्षे.उ. में एक रा.सा.क्षे.उ. की हानियाँ ₹ 5,280.55 करोड़ थी तथा दो¹⁹ रा.सा.क्षे.उ. में हानि नहीं हुई थीं, हालांकि उनके नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार उनकी संचित हानि ₹ 1,729.79 करोड़ थी।

इन तीन रा.सा.क्षे.उ. में से दो²⁰ का निवल मूल्य संचित हानि से पूरी तरह समाप्त हो गया था तथा उनका निवल मूल्य नकारात्मक था। इन दो सा.क्षे.उ. का निवल मूल्य 31 मार्च 2020 को ₹ 2,728.90 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति (-) ₹ 37,124.89 करोड़ था। दो रा.सा.क्षे.उ., जिसकी पूंजी का क्षरण हो चुका था (शून्य या नकारात्मक निवल मूल्य होने के कारण), में से एक²¹ रा.सा.क्षे.उ. ने वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 126.87 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। तीन रा.सा.क्षे.उ. में से दो जिनकी पूंजी का क्षरण हो चुका था, का 31 मार्च 2020 के ₹ 12,341.42 करोड़ की राशि के सरकारी ऋण बकाया थे।

5.9 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) तथा (7) के अंतर्गत नि.म.ले.प., सरकारी कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त करता है। नि.म.ले.प. को

¹⁹ दि.पॉ.कं.लि. तथा दि.ट्रां.लि.

²⁰ दि.पॉ.कं.लि. तथा दि.प.नि.

²¹ दि.पॉ.कं.लि.

पूरक लेखापरीक्षा संचालित करने तथा उस पर टिप्पणियां अथवा सांविधिक लेखापरीक्षक के पूरक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने का अधिकार है। विधि शासित कुछ निगमों के लिए आवश्यक है कि उनके लेखे नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षित किए जाए तथा इसका प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत किया जाए।

5.10 नि.म.ले.प. द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) में प्रावधान है कि एक सरकारी कंपनी के मामले में नि.म.ले.प. द्वारा वित्तीय वर्ष के आरंभ से 180 दिनों की अवधि के भीतर सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया जाता है।

वर्ष 2019-20 के लिए उपरोक्त कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों को 2019 के दौरान नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त किया गया था।

5.11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

5.11.1 सामयिक प्रस्तुति की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार सरकारी कंपनी की कार्यप्रणाली एवं कार्य पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उसके वार्षिक आम बैठक²² (वा.आ.बै.) के तीन महीनों के भीतर तैयार किए जाने होते हैं। इस तरह की तैयारी के बाद जितनी जल्दी हो सके वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रतिलिपि तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अथवा उसके पूरक के रूप में नि.म.ले.प. की टिप्पणियों सहित विधान सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद है। यह तंत्र राज्य की संचित निधि से कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक निधि के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की वा.आ.बै. आयोजित करने की आवश्यकता होती है। यह भी कहा गया है कि एक वा.आ.बै. और अगली बैठक की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में निर्धारित है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को कथित वा.आ.बै. में उनके विचारार्थ रखा जाना होता है।

²² पहली वा.आ.बै. के मामले में, यह कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष के अंत की तारीख से नौ महीनों की अवधि के भीतर तथा अन्य किसी मामले में वित्तीय वर्ष के अंत की तारीख से छः महीने के भीतर अर्थात् 30 सितम्बर तक की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7) में भी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए उत्तरदायी कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर दण्ड तथा कारावास जैसे जुर्माने के उद्ग्रहण का प्रावधान है।

31 दिसम्बर 2020 को विभिन्न रा.सा.क्षे.उ. के वार्षिक लेखे लम्बित थे, जिनका विवरण निम्नलिखित पैराग्राफ में है।

5.11.2 रा.सा.क्षे.उ. द्वारा लेखे तैयार करने की सामयिकता

31 मार्च 2020 तक नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा की परिधि के अंतर्गत 16 सरकारी कंपनियां थीं। इनमें से, वर्ष 2019-20 के लिए 16 सरकारी कंपनियों के लेखे बकाया थे। हालांकि, केवल 11 सरकारी कंपनियों ने अपने लेखे 31 दिसम्बर 2020²³ तक नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए। पांच सरकारी कंपनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। सरकारी कंपनियों के लेखों की प्रस्तुति में बकायों के विवरण तालिका 5.10 में दिये गये हैं।

तालिका 5.10: सरकारी कंपनियों के लेखों की प्रस्तुति में बकाया के विवरण

विवरण	सरकारी कम्पनियाँ	
31.03.2020 तक नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा परिधि के अंतर्गत कंपनियों की कुल संख्या	16	
घटा: नई कंपनियां जिनके 2019-20 के लेखे बकाया नहीं थे	0	
कंपनियों की संख्या जिनके 2019-20 के लेखे बकाया थे	16	
कंपनियों की संख्या जिन्होंने 31 दिसम्बर 2020 तक नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा के लिए लेखे प्रस्तुत किए	11	
बकाया लेखों की संख्या (05 ²⁴ सरकारी कंपनियां)	11	
बकायों का ब्रेक अप	(i) परिसमापन के अंतर्गत	-
	(ii) निष्क्रिय	-
	(iii) अन्य	11
'अन्य' श्रेणी के प्रति बकायों का आयु-वार विश्लेषण	एक वर्ष (2019-20)	4
	दो वर्ष (2018-19 तथा 2019-20)	-
	तीन वर्ष तथा अधिक	1 ²⁵

5.11.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखों की तैयारी में सामयिकता

दो सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा की जाती है। वर्ष 2019-20 के लिए दो सांविधिक निगमों में से दि.वि.नि. के लेखे लेखापरीक्षा के लिए 31 दिसम्बर 2020 से पहले प्रस्तुत किए गए जबकि दि.प.नि. के लेखे वर्ष 2019-20 के लिए बकाया थे।

²³ भारत सरकार के निगमित कार्य मंत्रालय के दिनांक 17 अगस्त 2020 के आदेश के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनियों की वा.आ.बै. रखने की तारीख 31 दिसम्बर 2020 तक बढ़ाई गई।

²⁴ प्र.पा.कं.लि., दि.रा.ना.आ.नि., इं.क.सि.इं.लि., दि.प.अ.वि.नि., दि.अ.जा.वि.वि.नि. ।

²⁵ 2013-14 से दि.अ.जा.वि.वि.नि. के सात लेखे बकाया थे।

5.12 नि.म.ले.प. की निरीक्षण-लेखों की लेखापरीक्षा तथा पूरक लेखापरीक्षा

5.12.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से वित्तीय विवरणी तैयार करने तथा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों का पालन करने की आवश्यकता है। सांविधिक निगमों के लिए आवश्यक है कि वे अपने लेखे नि.म.ले.प. के परामर्श से बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखों से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत तैयार करें।

5.12.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा संचालित करते हैं तथा अपनी रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार प्रस्तुत करते हैं।

नि.म.ले.प. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी करके निरीक्षक की भूमिका अदा करता है जिसका समग्र उद्देश्य है कि सांविधिक लेखापरीक्षक अपने निर्धारित कार्यों को ठीक से और प्रभावी ढंग से करें। इस कार्य का निर्वहन, शक्ति के प्रयोग द्वारा किया जाता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना तथा
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर पूरक अथवा टिप्पणी

5.12.3 सरकारी कंपनियों के लेखों की पूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य संबंधित अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में मुख्य उत्तरदायित्व, निकाय के प्रबंधन का है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया की मानक लेखापरीक्षा पद्धतियों तथा नि.म.ले.प. द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर

आधारित है। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नि.म.ले.प. को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखों की समीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा करके की जाती है। ऐसी समीक्षा पर आधारित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ, यदि कोई हैं, को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत वा.आ.बै. में रखने के लिए सूचित किया जाता है।

5.13 नि.म.ले.प. की निरीक्षण भूमिका का परिणाम

5.13.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

31 दिसम्बर 2020 तक 16 सरकारी कंपनियों²⁶ से वर्ष 2019-20 तथा पूर्व वर्षों के लिए 19 वित्तीय विवरणियाँ प्राप्त की गईं। नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा में रा.सा.क्षे.उ. की 13 वित्तीय विवरणियों की समीक्षा की गई तथा छः रा.सा.क्षे.उ. को गैर समीक्षा प्रमाणपत्र जारी किया गया। समीक्षा के परिणामों को नीचे वर्णित किया गया है:

5.13.2 वित्तीय विवरणियों का संशोधन

2019-20 के दौरान, वा.आ.बै. में रखने से पहले किसी सरकारी कंपनी का उनके वित्तीय विवरणों में संशोधन का कोई मामला नहीं था।

5.13.3 लेखापरीक्षक रिपोर्ट का परिशोधन

2019-20 के दौरान, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, नि.म.ले.प. द्वारा संचालित सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के परिशोधन का कोई मामला नहीं था।

5.13.4 सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक के रूप में जारी नि.म.ले.प. की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2019-20 और पूर्व वर्षों के वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के बाद नि.म.ले.प. ने 13 सरकारी कंपनियों की वित्तीय विवरणियों की पूरक लेखापरीक्षा को संचालित किया। सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणियों पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ जारी की गयीं

²⁶ 2018-19 के लिए एन.डी.एम.सी. स्मार्ट सिटी लिमिटेड का एक लेखा प्राप्त हुआ तथा 2020 के दौरान लेखापरीक्षित किया गया। यह कंपनी इस कार्यालय के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र से स्थानांतरित हो चुकी है।

जिसका वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 10.67 करोड़ तथा परिसंपत्तियाँ/ देयताओं पर ₹ 103.16 करोड़ था, का विवरण तालिका 5.11 तथा तालिका 5.12 में दिया गया है।

तालिका 5.11: सरकारी कंपनियों की लाभप्रदता पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्रम सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1	प्र.पॉ.कॉ.लि. (2018-19)	<ul style="list-style-type: none"> प्र.पॉ.कॉ.लि. ने न तो लेखांकन नीति 11.1 का पालन किया है न ही आईएनडी एस-10 का पालन किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.30 करोड़ तक एनर्जी की बिक्री को कम बताया गया तथा उसके फलस्वरूप ₹ 5.73 करोड़ तक लाभ तथा अन्य इक्विटी व ₹ 1.57 करोड़ तक कर व्ययों को कम बताया गया।
2	इं.पॉ.ज.कं.लि. (2018-19)	<ul style="list-style-type: none"> इं.पॉ.ज.कं.लि. ने अपनी लेखांकन नीति 12.1 का पालन नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 12.86 करोड़ तक परिचालनों से राजस्व को अधिक बताया गया तथा इसके फलस्वरूप, वर्ष के लिए उतनी ही राशि की हानि को कम बताया गया।
3	दि.प.अ.वि.नि. (2016-17)	<ul style="list-style-type: none"> दि.प.अ.वि.नि. ने आई.एस.बी.टी. कश्मीरी गेट के नवीकरण के लिए परिवहन विभाग से ₹ 70.00 करोड़ का ऋण प्राप्त किया, जिसका पुनर्भुगतान मार्च 2017 में किया गया। पुनर्भुगतान में विलम्ब के कारण ₹ 5.68 करोड़ का दण्डात्मक ब्याज देय था, परन्तु कंपनी ने केवल ₹ 0.85 करोड़ बुक किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.83 करोड़ का लाभ अधिक बताया गया। यह टिप्पणी 2017-18 के लेखों में दोहराई गयी थी।
4	दि.प.अ.वि.नि. (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> दि.प.अ.वि.नि. ने ₹ 3.23 करोड़ की वित्तीय लागत (आयकर से संबंधित ब्याज ₹ 2.75 करोड़ तथा जी.पी.एफ. से संबंधित ब्याज-₹ 0.48 करोड़) को गलत तरीके से शामिल किया। इसके परिणामस्वरूप, वित्त लागत को ₹ 3.73 करोड़ अधिक तथा ₹ 2.75 करोड़ के अन्य व्ययों तथा ₹ 0.48 करोड़ के कर्मचारी लाभ को कम बताया गया।
5	दि.प.अ.वि.नि. (2018-19)	<ul style="list-style-type: none"> विज्ञापन एजेंसियों से वसूली योग्य लाइसेंस शुल्क के गैर-सम्मिलन के कारण लाभ को ₹ 1.48 करोड़ कम बताया गया।
6	दि.रा.औ.अ.वि.नि. (2019-20)	<ul style="list-style-type: none"> 2013-14 में, डी.एम.आर.सी. को 6.253 वर्ग मीटर की पार्सल भूमि के हस्तांतरण/बिक्री से होने वाले ₹ 4.64 करोड़ के राजस्व को दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने बुक नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप, 'परिचालनों से राजस्व' तथा 'लाभ' को कम और 'अन्य देयताओं' को ₹ 4.64 करोड़ अधिक बताया गया।

तालिका 5.12: सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्रम सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1	इं.पॉ.ज.कं.लि. (2018-19)	<ul style="list-style-type: none"> इं.पॉ.ज.कं.लि. ने अपने गैस टरबाइन पावर स्टेशन प्लांट के संबंध में वर्ष 2017-18 के लिए डी.ई.आर.सी. द्वारा जारी डू-अप आर्डर के प्रभाव को मान्यता नहीं दी है, परिणामस्वरूप परिचालनों से राजस्व, अन्य इक्विटी और व्यापार प्राप्तियों को अधिक तथा वर्ष की हानि को ₹ 12.86 करोड़ कम बताया गया।
2	दि.रा.औ.अ.वि.नि. (2019-20)	<ul style="list-style-type: none"> दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने ₹ 1.28 करोड़ की देयता, जो फरवरी 2019 में घोषित उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार नरेला औद्योगिक क्षेत्र के रियायतग्राही को देय थी, के लिए प्रावधान नहीं किया था। देयता के गैर-प्रावधान के परिणामस्वरूप वर्तमान देयता व व्यय को कम बताने के साथ-साथ लाभ को ₹ 1.28 करोड़ अधिक बताया गया।

3	दि.अ.जा.वि.वि.नि. (2009-10)	<ul style="list-style-type: none"> • दि.अ.जा.वि.वि.नि. ने रोहिणी में अपने कॉरपोरेट कार्यालय में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु एपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन केन्द्र (ए.ट्रे.डि.के.) को आगे संचरण हेतु रा.रा.क्षे.दि.स. से ₹ 30.00 लाख का सहायता अनुदान प्राप्त किया। दि.अ.जा.वि.वि.नि.ने दिसम्बर 2007 में यह राशि ए.ट्रे.डि.के. को संवितरित की तथा इसे व्यय के प्रति अग्रिम के रूप में बुक किया। हालांकि, ए.ट्रे.डि.के. ने किए गए व्यय के समर्थन में कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया और न उसे समायोजित किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 30.00 लाख व्यय के प्रति सहायता अनुदान तथा अग्रिम को अधिक बताया गया। इस टिप्पणी को 2010-11 तथा 2011-12 के वर्षों में भी जारी किया गया था।
4	दि.अ.जा.वि.वि.नि. (2010-11)	<ul style="list-style-type: none"> • दि.अ.जा.वि.वि.नि. ने अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यकों से संबंधित युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कराने हेतु अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./दिव्य./ अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभाग से अनुदान प्राप्त किए। परन्तु कंपनी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसके लिए ₹ 13.42 लाख की राशि के बिल प्राप्त हुए थे, के संबंध में प्राप्त अनुदानों के प्रति किसी देयता का निर्वहन नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप, सहायता अनुदान को अधिक तथा वर्तमान देयताओं व प्रावधानों को ₹ 13.42 लाख कम बताया गया।
5	दि.अ.जा.वि.वि.नि. (2011-12)	<ul style="list-style-type: none"> • दिल्ली वित्तीय निगम से किराया, ब्याज इत्यादि के कारण वसूलने योग्य ₹ 2.28 करोड़ की राशि को वर्तमान परिसंपत्तियों के बजाय दीर्घावधि ऋणों तथा अग्रिमों के अंतर्गत बुक किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 2.28 करोड़ से दीर्घावधि ऋणों को अधिक तथा वर्तमान परिसंपत्तियों को कम बताया गया। • दि.अ.जा.वि.वि.नि. ने उन लाभकारियों, जिनकी या तो मृत्यु हो गई थी या उनके ठिकाने उपलब्ध नहीं थे, को देय ₹ 2.73 करोड़ के संबंध में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों का प्रावधान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 2.73 करोड़ से दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों को अधिक तथा संदिग्ध ऋणों के प्रावधान को कम बताया गया।
6	दि.ट्रां.लि. (2018-19)	<ul style="list-style-type: none"> • दि.ट्रां.लि. ने तुंगलकाबाद में 220/66 के.वी./जी.आई.एस. सब-स्टेशन पर काम के लिए अग्रिम रूप में, ₹ 119.78 करोड़ का भुगतान किया। जिसे 5 नवम्बर 2018 को चालू किया गया, परन्तु कंपनी ने केवल 2018-19 में ₹ 54.25 करोड़ के कार्य को पूंजीकृत किया परिणामस्वरूप प्लॉट एवं मशीनरी को ₹ 65.53 करोड़ कम तथा अग्रिमों को अधिक बताया गया। फलस्वरूप मूल्यहास को ₹ 1.59 करोड़ कम तथा लाभ को उतनी राशि से अधिक बताया गया।

		<ul style="list-style-type: none"> • दि.ट्रां.लि.ने रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त ऋण पर ब्याज लागत होने के कारण ₹ 44.25 करोड़ को पूंजीकृत किया तथा ₹ 20.64 करोड़ की राशि का मूल्यहास प्रभारित किया जो आईएनडी एस-23 के अनुरूप नहीं था क्योंकि इस ब्याज राशि का कोई भुगतान 31-3-2019 तक नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, मूल्यहास को ₹ 20.64 करोड़ तथा संपत्ति, प्लांट एवं उपस्कर को ₹ 23.61 करोड़ अधिक तथा वित्त लागत को ₹ 44.25 करोड़ कम बताया गया। • जुलाई 2010 में, रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त ₹ 412.38 करोड़ के बकाया ऋण के ब्याज का हिस्सा होने के कारण ₹ 44.25 करोड़ की अन्य वित्तीय देयताएं शामिल है। इसमें से ₹ 239 करोड़ को जुलाई 2010 में इक्विटी में बदल दिया गया तथा ₹ 173.38 करोड़ के ऋण की शेष राशि का दिसम्बर 2010 में पुनर्भुगतान किया गया था। कंपनी ने वर्ष 2010-11 के लिए, लेखों में इस ऋण पर रा.रा.क्षे.दि.स. को देय ₹ 44.25 करोड़ के ब्याज की गणना की, हालांकि, दि.ट्रां.लि. ने न तो 31-3-2019 तक ₹ 44.25 करोड़ के बकाया ब्याज का भुगतान किया न ही ₹ 44.25 करोड़ के ब्याज पर 2.75% प्र.व. की दर से ₹ 10.72 करोड़ की दण्डात्मक ब्याज देयता का भुगतान/निर्वहन किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 10.72 करोड़ के दण्डात्मक ब्याज देयता तथा वित्त लागत को कम बताया गया।
7	दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि. (2018-19)	<ul style="list-style-type: none"> • दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि. ने ₹ 15,566 प्रति वर्ग मी. की अधिसूचित दरों पर भोरगढ़ में प्लॉट बेचें जबकि प्लॉटों की सूची को ₹ 42,164 प्रति वर्ग मी. की दर से लेखाबद्ध किया गया था। आईएनडी एस-2 के अनुसार स्टॉक को कम से कम लागत पर तथा निवल वसूली मूल्य पर मापा जाता है। अधिसूचित दरों पर स्टॉक के गैर-मूल्यांकन के परिणामस्वरूप स्टॉक को ₹ 111.68 करोड़ अधिक बताया गया। • रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में तुलन पत्र की तारीख से अगले तीन महीने से अधिक की परिपक्वता तिथि वाले ₹ 2,410 करोड़ की सावधिक जमा राशि शामिल है। यह कंपनी अधिनियम, 2013 के आईएनडी एस 7 तथा डिविजन-II-आईएनडी एस अनुसूची III के मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुरूप नहीं है जो निर्दिष्ट करता है कि ऐसी जमाओं को अन्य बैंक शेषों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 2,410 करोड़ रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में अधिक बताया गया तथा अन्य बैंक शेषों में कम बताया गया। • ऋण में ₹ 292.51 करोड़ जिसमें अग्रिम आय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के शेष, वसूली योग्य सेवा कर, बिक्री कर/वसूली योग्य वैट इत्यादि शामिल है। आईएनडी एस 32 के परिशिष्ट ए के पैरा एजी 12 के अनुसार, देयताएं अथवा परिसंपत्तियां जो संविदात्मक नहीं हैं, वित्तीय देयताएं अथवा

		<p>वित्तीय परिसंपत्तियां नहीं हैं जबकि ये अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों की प्रकृति के हैं। इस प्रकार, गैर-संविदात्मक, परिसंपत्तियों को वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाने के परिणामस्वरूप ₹ 292.51 करोड़ की वर्तमान परिसंपत्तियों-वित्तीय परिसंपत्तियों (ऋण एवं अग्रिम) को अधिक बताया गया तथा अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों को कम बताया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> व्यापार देय में विभिन्न मंडलों से संबंधित ₹ 1.80 करोड़ शामिल है जो पांच वर्ष से अधिक समय से लेखा पुस्तकों में पड़े थे, जिसके लिए कोई वैधानिक दायित्व लंबित नहीं था। इसलिए इन देयताओं को वापिस लिखा जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 1.80 करोड़ के वर्तमान देयताओं को अधिक तथा कुछ सीमा तक आय को कम बताया गया। इस टिप्पणी को 2019-20 में भी जारी किया गया था।
8	दि.प.अ.वि.नि. (2018-19)	<ul style="list-style-type: none"> रियायतग्राही के संदर्भ में संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान न करने के कारण व्यापार प्राप्तियों को ₹ 25.63 करोड़ अधिक बताया गया।

5.13.5 सांविधिक निगम जहां नि.म.ले.प. एकमात्र/पूरक लेखापरीक्षक है

सांविधिक निगम, जहां नि.म.ले.प. एकमात्र/पूरक लेखापरीक्षक है, के लेखों पर नि.म.ले.प. द्वारा जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां, जिसका वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 1,297.24 करोड़ तथा परिसंपत्तियों/देयताओं पर ₹ 925.57 करोड़ था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

वैधानिक निगमों के वित्तीय विवरण पर टिप्पणियों का प्रभाव दिल्ली परिवहन निगम (2017-18)

- 31 मार्च 2018 को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, ग्रेच्युटी देयता के लिए ₹ 906.98 करोड़ का प्रावधान था लेकिन दि.प.नि. ने केवल ₹ 58.63 करोड़ बुक किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 848.35 करोड़ की सीमा तक की ग्रेच्युटी के प्रावधान को कम बताया गया।
- दि.प.नि. ने इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (इं.गै.लि.) को ₹ 16.51 करोड़ के देय ब्याज के लिए देयता प्रदान नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं को ₹ 16.51 करोड़, पूर्व अवधि समायोजन लेखा को ₹ 16.01 करोड़ तथा परिचालन व्ययों को ₹ 0.50 करोड़ कम बताया गया।

- दि.प.नि. ने बतौर बस स्टैण्ड फीस, दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को देय ₹ 1.28 करोड़ की देयता प्रदान नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं, परिचालन व्यय और निवल हानि को ₹ 1.28 करोड़ कम बताया गया।
- दि.प.नि. ने सेवा कर विभाग द्वारा उत्थित ₹ 7.19 करोड़ की मांग के लिए देयता प्रदान नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप निवल हानि, अन्य देयताओं एवं व्यय को ₹ 7.19 करोड़ कम बताया गया।
- दि.प.नि. ने जुलाई 2017 से ₹ 13.16 करोड़ की सी.एन.जी. की पुनरीक्षित/संशोधित दरों में अंतर के लिए देयता प्रदान नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं तथा परिचालन व्ययों को ₹ 13.16 करोड़ कम बताया गया।
- दि.प.नि. ने दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (दि.प.प.वि.नि.) से हॉप-ऑन-हॉप-ऑफ बसों की पार्किंग के लिए बतौर किराए/बिजली/पानी शुल्क के ₹ 2.40 करोड़ के प्राप्य को दिखाया था। हालांकि, दि.प.प.वि.नि. ने लिखित अनुबंध के अभाव का हवाला देते हुए केवल ₹ 0.44 करोड़ का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। इसके परिणामस्वरूप, विविध देनदारों और अन्य प्राप्य तथा आय को ₹ 1.96 करोड़ अधिक बताया गया।
- दि.प.नि. ने विविध देनदारों तथा अन्य प्राप्यों के अंतर्गत क्लस्टर बसों के संचालन के लिए परिवहन विभाग को दिए गए स्थान/क्षेत्र के कारण 31 मार्च 2018 तक परिवहन विभाग से प्राप्य के रूप में ₹ 118.68 करोड़ को शामिल किया था। हालांकि, दि.प.नि. के संपदा विभाग के अभिलेखों के अनुसार ₹ 118.68 करोड़ के बजाय ₹ 124.11 करोड़ वसूली योग्य थे, जिसके परिणामस्वरूप विविध देनदार एवं अन्य प्राप्य तथा आय को ₹ 5.43 करोड़ कम बताया गया।

दिल्ली वित्तीय निगम (2018-19)

- दि.वि.नि. ने बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार ₹ 42.55 करोड़ की दि.वि.नि. कर्मचारी पेंशन निधि के प्रति देयता प्रदान नहीं की थी।

वैधानिक निगमों की लाभप्रदता पर टिप्पणियों का प्रभाव

दिल्ली परिवहन निगम (2017-18)

- दि.प.नि. कर्मचारी सेवानिवृत्ति पेंशन ट्रस्ट ने, एसबीआई जीवन बीमा कंपनी द्वारा मूल्यांकन किए गए ₹ 1,203.58 करोड़ की पेंशन देयता को न्यूनतम बीमांकिक मूल्यांकन के मुकाबले कोरपस फण्ड में ₹ 16.60 करोड़ की शेष राशि को दर्शाया है। इस प्रकार इसमें ₹ 1,186.98 करोड़ की कमी है जिसे दि.प.नि. द्वारा पेंशन योजना के नियमन के अनुसार पूरा किया जाना है। ₹ 1,186.98 करोड़ का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप, कर्मचारी पेंशन योजना में नियोक्ता के अंशदान के साथ-साथ निवल हानि को ₹ 1,186.98 करोड़ कम बताया गया।
- दि.प.नि. ने उसके द्वारा अल्पावधि जमा पर अर्जित ब्याज को दो बार बुक किया जिसके परिणामस्वरूप आय को ₹ 3.90 करोड़ अधिक तथा उसी सीमा तक निवल हानि को कम बताया गया।
- दि.प.नि. ने लेखांकन मानक 12 की आवश्यकता का उल्लंघन करते हुए विशिष्ट अचल संपत्तियों के लिए सहायता अनुदान को आय के रूप में माना तथा अनुदान से सृजित अचल संपत्तियों को अपनी अचल संपत्तियों के रूप में पूंजीकृत किया। इसके परिणामस्वरूप अचल परिसंपत्ति सकल ब्लॉक तथा आय को ₹ 139.46 करोड़ अधिक बताया गया। इसके अतिरिक्त मूल्यहास निधि को ₹ 33.10 करोड़ अधिक बताया गया था तथा वर्ष के लिए निवल हानि को ₹ 106.36 करोड़ कम बताया गया था।

दिल्ली वित्त निगम (2018-19)

- दि.वि.नि. ने रा.रा.क्षे.दि.स. से पूर्व अवधि के ऋण पर ₹ 3.18 करोड़ के दण्डात्मक ब्याज को ए.एस-5 के उल्लंघन में वर्तमान वर्ष व्यय के रूप में बुक किया।

5.14 प्रबंधन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक, लेखापरीक्षक तथा कॉर्पोरेट इकाई के शासन की जिम्मेदारी के साथ प्रभारित लोगों के बीच वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले लेखापरीक्षा मामलों पर संपर्क स्थापित करना है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्घमों के वित्तीय विवरणियों पर सामग्री अवलोकन को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत नि.म.ले.प. द्वारा टिप्पणियों के रूप में रिपोर्ट किया गया था। इन टिप्पणियों के अलावा, वित्तीय रिपोर्टों में या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में नि.म.ले.प. द्वारा देखी गयी अनियमितताओं या कमियों में सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए “प्रबंधन पत्र” के माध्यम से भी प्रबंधन को सूचित किया गया था। वर्ष के दौरान, नि.म.ले.प. ने 14 कंपनियों/ निगमों को प्रबंधन पत्र जारी किये। इन प्रबंधन पत्रों में प्रबंधन को ध्यान देने की आवश्यकता वाली कमियों को उजागर किया गया था।

5.15 निष्कर्ष

- 31 मार्च 2020 तक, दो सांविधिक निगमों सहित 18 रा.सा.क्षे.उ. थे।
- 2019-20 में लाभ कमाने वाले 10 रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित ₹ 1,123.10 करोड़ के कुल लाभ में से, 94.94 प्रतिशत का अंशदान केवल पांच²⁷ रा.सा.क्षे.उ. द्वारा किया गया था। हानि में चल रहे सात रा.सा.क्षे.उ. को हुई ₹ 5,294.16 करोड़ कुल हानि में से ₹ 5,280.55 करोड़ की हानि दिल्ली परिवहन निगम को हुई थी। एक रा.सा.क्षे.उ. (शा.पु.वि.नि.) ने कोई लाभ/हानि अर्जित नहीं किया।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार रा.सा.क्षे.उ. अपनी वित्तीय विवरणियों को प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर रहे थे। जिसके परिणामस्वरूप, पांच सरकारी कंपनियों के 11 लेखे तथा एक सांविधिक निगम का एक लेखा 31 दिसम्बर 2020 तक बकाया थे।
- 2019-20 के दौरान, रा.सा.क्षे.उ. के वित्तीय विवरणियों पर नि.म.ले.प. की टिप्पणियों का प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 1,307.91 करोड़ तथा वित्तीय स्थिति पर ₹ 1,028.73 करोड़ रहा।


²⁷ दि.रा.औ.अ.वि.नि., प्र.पॉ.कं.लि., इं.पॉ.ज.कं.लि., दि.ट्रां.लि. तथा दि.पॉ.कं.लि.

5.16 अनुशंसाएँ

राज्य सरकार:

- रा.सा.क्षे.उ. की वित्तीय विवरणियों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे क्योंकि लेखों को अंतिम रूप देने के अभाव में, ऐसे रा.सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश राज्य विधायिका की निगरानी से बाहर रहता है।
- लाभ कमाने वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अंशदान की जाने वाली लाभांश की न्यूनतम दर को निरूपित करते हुए एक लाभांश नीति तैयार करे।

नई दिल्ली
दिनांक: 20 सितम्बर 2021




(समर कांत ठाकुर)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 21 सितम्बर 2021



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त पर समय क्रमांक आंकड़े
(पैरा 1.4.1 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
भाग क. प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	34,999	34,346	38,667	43,113	47,136
(i) राजस्व कर	30,226	31,140	35,717	36,625	36,566
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (रा.व.से.क.)	-	-	13,621	19,187	19,465
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	20,246	21,144	11,149	5,886	5,475
राज्य उत्पाद शुल्क	4,238	4,251	4,453	5,028	5,068
वाहनों पर कर	1,607	1,809	2,116	2,055	1,948
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	3,433	3,144	4,117	4,459	4,606
भू राजस्व	1	2	2	0	3
माल तथा यात्रियों पर कर	-	-	-	-	-
अन्य कर	701	790	259	10	1
(ii) गैर कर राजस्व	515	381	766	644	1,097
(iii) केन्द्रीय करों तथा ड्यूटी में राज्य का अंश	-	-	-	-	-
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	4,258	2,825	2,184	5,844	9,473
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	-	-	-	-
3. ऋण व अग्रिमों की वसूली	83	212	691	1,644	823
4. कुल राजस्व तथा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	35,082	34,558	39,358	44,757	47,959
5. लोक ऋण प्राप्तियां	2,241	1,696	1,906	2,880	4,765
आंतरिक ऋण (अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट अर्थोपाय को छोड़कर)	-	-	-	-	-
अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट अर्थोपाय के अंतर्गत सकल लेन देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	2,241	1,696	1,906	2,880	4,765
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	37,323	36,254	41,264	47,637	52,724
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	10	-	2	95	143
8. लोक लेखा प्राप्तियां	-	-	-	-	-
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	37,333	36,254	41,266	47,732	52,867
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	26,343	29,302	33,754	36,852	39,637
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	6,427	6,590	7,196	7,605	7,083
सामाजिक सेवाएं	14,818	16,579	19,602	21,663	22,145
आर्थिक सेवाएं	4,139	5,111	5,862	5,219	6,530
सहायता अनुदान तथा अंशदान	959	1,021	1,094	2,365	3,879
11. पूंजीगत व्यय	4,723	3,754	3,243	3,266	5,472
सामान्य सेवाएं	378	350	228	180	389
सामाजिक सेवाएं	1,699	2,130	1,575	1,755	3,572
आर्थिक सेवाएं	2,647	1,274	1,440	1,331	1,511
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	2,684	2,553	2,248	2,402	3,266
13. कुल व्यय (10+11+12)	33,750	35,609	39,245	42,520	48,375
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1,435	1,655	1,682	3,636	2,811
आंतरिक ऋण (अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट अर्थोपाय को छोड़कर)	-	-	-	-	-
अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट अर्थोपाय के अंतर्गत सकल लेन देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,435	1,655	1,682	3,636	2,811

मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

15. आकस्मिक निधि में विनियोजन	10	-	-	90	0
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	35,195	37,264	40,927	46,246	51,186
17. आकस्मिक निधि संवितरण	-	-	2	5	143
18. लोक लेखा संवितरण	-	-	-	-	-
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	35,195	37,264	40,929	46,251	51,329
भाग ग. घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+)(1-10)	(+)8,656	(+)5,044	(+)4,913	(+)6,261	(+)7,499
21. राजकोषीय घाटा (-)/ राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(+)1,332	(-)1,051	(+)113	(+)2,237	(-)416
22. प्राथमिक घाटा (-)/प्राथमिक अधिशेष(+) (21+23)	(+)4,142	(+)1,832	(+)2,984	(+)5,104	(+)2,336
भाग घ. अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,810	2,883	2,871	2,867	2,752
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	-	-	-	-	-
25. अग्रिम/ओवरड्राफ्ट अर्थोपाय का लाभ उठाया (दिवस)	-	-	-	-	-
अग्रिम अर्थोपाय का लाभ उठाया (दिवस)	-	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाया (दिवस)	-	-	-	-	-
26. अग्रिम/ओवरड्राफ्ट अर्थोपाय पर ब्याज	-	-	-	-	-
27. सकल राज्य घरेलु उत्पाद (स.रा.घ.उ.) @	5,50,804	6,16,085	6,86,824	7,74,870	8,56,112
28. बकाया राजकोषीय देयताएं	33,304	33,345	33,569	32,812	34,767
29. बकाया गारंटी (समाप्त वर्ष) (ब्याज सहित)	-	-	-	-	-
30. अधिकतम राशि की गारंटी	-	-	-	-	-
भाग च. राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
I संसाधन संग्रहण					
स्व कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	5.49	5.05	5.20	4.73	4.27
स्व गैर-कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.09	0.06	0.11	0.08	0.13
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	6.13	5.78	5.71	5.49	5.65
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	96.43	103.68	101.49	98.62	102.63
राजस्व व्यय/कुल व्यय	78.05	82.29	86.01	86.67	81.94
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	51.92	54.68	56.49	59.05	53.16
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	23.33	21.25	20.89	17.07	16.62
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	13.99	10.54	8.26	7.68	11.31
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	12.88	9.56	7.68	7.26	10.51
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	(+)1.57	(+)0.82	(+)0.72	(+)0.81	(+)0.88
राजकोषीय घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	(+)0.24	(-)0.17	(+)0.02	(+)0.29	(-)0.05
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	(+)0.75	(+)0.30	(+)0.43	(+)0.66	(+)0.27
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ.	6.05	5.41	4.89	4.23	4.06
राजकोषीय देयताएं/रा.प्रा.	95.16	97.09	86.82	76.11	73.76
प्राथमिक घाटा की तुलना में क्वांटम स्प्रेड	323.36	388.33	188.26	217.46	628.60
ऋण मुक्ति (मुलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां	-	-	-	-	-
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
निवेश पर प्रतिफल	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08

@ सरकार द्वारा लिए गए स.रा.घ.उ. आंकड़े प्रस्तुत किए गए।

नोट-आंकड़ों को निकटतम पूर्णांक में लिया गया है

परिशिष्ट 3.1

योजनाओं का विवरण जिसके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किए गए थे लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया था
(पैरा 3.5.2 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	शीर्ष/योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय (वास्तविक बजट)	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय	
राजस्व-दत्तमत						
1	03 - न्याय का शासन	2014.00.103.98 एम.पी. व एम.एल.ए. से संबंधित आपराधिक मामलों की जाँच के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना	1.19	1.19	शून्य	
2		2235.02.200.77 मुख्यमंत्री समर्थित कल्याण योजना	50.00	25.00	शून्य	
3	04 - वित्त	2043.00.101.96 डीजीएसटी की राशि की प्रतिपूर्ति	0.00	1.00	शून्य	
4	05 - गृह	2055.00.116.97 महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की रोकथाम (सीएसएस)	1.87	2.30	शून्य	
5		2055.00.116.96 डीएनए जाँच प्रयोगशाला-निर्भया फंड (सीएसएस) पेज सं. 43/45	0.00	3.30	शून्य	
6	06 - शिक्षा	2203.00.004.92 छात्रों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (तकनीकी)	5.00	1.00	शून्य	
7		2203.00.112.44 विश्वविद्यालय/कॉलेजों में उष्मायन केन्द्र स्थापित करना	4.00	3.50	शून्य	
8		2203.00.112.41 अनुसंधान अनुदान योजना	10.00	10.00	शून्य	
9		2205.00.102.56.96 राज्यस्तरीय नृत्य एवं गायन प्रतिभा खोज की वार्षिक श्रृंखला के लिए वार्षिक योजना	5.00	5.00	शून्य	
10		2205.00.102.55 युवा महोत्सव	5.00	2.00	शून्य	
11		2202.03.102.87 पूर्व बाल्यावस्था देखभाल केन्द्र के लिए अम्बेडकर विश्वविद्यालय को सहा.अनु.	2.00	2.30	शून्य	
12		08-समाज कल्याण	2235.02.104.61 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास एवं संबद्ध सेवाओं के लिए संस्थान	1.00	1.01	शून्य
13			2235.02.102.36 आंगनबाड़ी उन्नयन योजना प्रोत्साहन	25.00	7.00	शून्य
14	2235.02.102.20 अम्ब्रेला आईसीडीएस योजना (सीएसएस) के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवा योजना के तहत आधार नामांकन कीट की खरीद		2.57	2.56	शून्य	
15	2235.02.200.89 सामाजिक विकास में भागीदारी-नई पहल		0.25	3.65	शून्य	
16	2225.01.190.97 अनु.जा/अनु.ज.जा के लिए डीएससीएफडीसी को वित्तीय मदद		3.00	3.00	शून्य	
17	2225.01.277.46 अनु.जा. के छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति		5.00	1.00	शून्य	
18	2225.03.277.75 अल्पसंख्यक/अ.पि.व/आ.क.व. के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना		0.00	4.00	शून्य	

मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

19		2225.80.789.96 अनु.जा./अनु.ज.जा. (एससीएसपी) के लिए डीएससीएफडीसी को वित्तीय सहायता	1.00	1.00	शून्य
20	10 - विकास	2401.00.104.94 परम्परागत कृषि विकास योजना (सीएसएस)	10.00	5.00	शून्य
21		2403.00.789.99 अस्पतालों/औषधालयों में पशु चिकित्सा सेवाएं और संक्रामक रोगों का नियंत्रण एससीएसपी	1.00	1.00	शून्य
22		2225.03.277.77 अल्पसंख्यक छात्रों (सीसीएस) के लिए प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना	6.00	6.50	शून्य
23		2406.02.110.73 वन्य जीव आवास (सीसीएस) का विकास	6.00	1.00	शून्य
24	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	2070.00.800.90 जुर्माने की प्रतिपूर्ति, दि.न.नि. को जब्ती	4.50	2.50	शून्य
25		2215.01.101.99 न.दि.न.प. के द्वारा उपभोक्ताओं को सब्सिडी	2.75	2.75	शून्य
26		2217.04.191.57 स्मार्ट सिटी के लिए न.दि.न.प. को स.अनु.	50.00	1.00	शून्य
27		2217.80.191.04.00 स्वच्छ भारत मिशन (सीएसएस)	95.00	24.00	शून्य
28		2217.80.191.04.95 क्षमता निर्माण एवं ए एण्ड ओई (सीएसएस) के लिए शहरी विकास विभाग	1.50	3.00	शून्य
29		2217.80.191.03 स्वच्छ भारत मिशन (राज्य अंश)	30.00	10.00	शून्य
30		2210.01.110.10.73 दीप चंद बंधु अस्पताल	0.00	2.00	शून्य
31		2810.02.800.90 सौर उर्जा के लिए उत्पादन निर्माण आधारित प्रोत्साहन	5.00	1.20	शून्य
पूँजीगत					
32	04 वित्त	4059.01.051.86 व्यापार एवं कर एनेक्सी बिल्डिंग	1.50	1.50	शून्य
33	अनुदान सं. 08-समाज कल्याण	4235.02.104.95 हाफ वे होम/लांग स्टे होम	5.00	1.00	शून्य
34		6225.80.800.95 अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यकों एवं दिव्यांग की शिक्षा ऋण के लिए डीएसएफडीसी को ऋण	0.00	1.50	शून्य
35		5055.00.800.87 आरआरटीएस कॉरिडोर	0.00	47.00	शून्य
36	11 शहरी विकास एवं	4059.01.051.76 उत्पाद शुल्क विभाग	0.00	2.00	शून्य
37	लोक निर्माण विभाग	5054.04.800.79 वाई-फाई दिल्ली	150.00	2.00	शून्य
प्रभारित					
38	03- न्याय का शासन	2014.00.102.93 उच्च न्यायालय का कम्प्यूटीकरण	1.00	1.00	शून्य
39		2015.00.102.00 निर्वाचन अधिकारीगण	2.00	1.00	शून्य
कुल			493.13	196.76	

परिशिष्ट 3.2

उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया था
लेकिन संशोधित परिव्यय में वापस ले लिया गया था
(पैरा 3.5.2 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. तथा नाम	शीर्ष/योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय
राजस्व-दत्तमत				
1	06 - शिक्षा	2202.01.111.99 सर्व शिक्षा अभियान	500.00	शून्य
2		2202.01.111.98 सर्व शिक्षा अभियान (सीएसएस)	1,500.00	शून्य
3		2202.02.109.78 छात्रों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (स्कूली छात्र)	30.00	शून्य
4		2202.80.001.89 माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए स्वीकृत शिक्षा आईईडीएसएस-(सीएसएस)(केंद्रीय अंश)	12.00	शून्य
5		2204.00.104.48 विधानसभा क्षेत्रों में खेल गतिविधियां	15.00	शून्य
6		2203.00.112.48 तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए डीटीयू को सहायता अनुदान (टीईक्यूआईपी) (सीएसएस)	1.00	शून्य
7		2205.00.102.57 नई भाषा अकादमियों की स्थापना	25.00	शून्य
8	08 - समाज कल्याण	2235.02.102.19 अम्ब्रेला आईसीडीएस योजना(राज्य अंश) के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवा योजना के तहत आधार नामांकन कीट की खरीद	1.71	शून्य
9		3055.00.190.95 राज्य इलेक्ट्रिक वाहन निधि	100.00	शून्य
10	09 - उद्योग	3456.00.800.74 राज्य खाद्य आयोग	1.00	शून्य
11	10 - विकास	2401.00.104.95 स्मार्ट कृषि योजना	2.50	शून्य
12		2405.00.101.86 नीली क्रांति मत्स्य पालन का एकीकृत विकास और प्रबंधन (राज्य अंश)	1.80	शून्य
13		2030.01.001.99 राजस्व सचिव	2.10	शून्य
14		2053.00.800.92.94 दिल्ली ई-डिस्ट्रिक्ट क्रियान्वयन समाज ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजन को सहायता अनुदान	1.50	शून्य
15		2225.01.800.65 अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (सीएसएस)	11.00	शून्य
16		2235.02.200.80 अल्पसंख्यक कल्याण के लिए वित्तीय सहायताय/छात्रवृत्ति और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना	10.00	शून्य
17		2245.80.102.92 आपदा आकस्मिक योजना/आपदा प्रतिक्रिया निधि	5.00	शून्य
पूँजीगत-दत्तमत				
18	04 - वित्त	7615.00.200.76 स्थानीय निकायों के स्वायत्तशासी को अर्थोपाय ऋण	89.28	शून्य
19	06 - शिक्षा	4202.02.104.87 नए पॉलिटेक्निक की स्थापना (सीएसएस)	4.00	शून्य

मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

20		4250.00.201.86 सरकारी आईटीआई का मॉडल आईटीआई में उन्नयन (सीएसएस)	2.95	शून्य
21		4250.00.201.85 सरकारी आईटीआई का मॉडल आईटीआई में उन्नयन (राज्य अंश)	1.27	शून्य
22	08 - समाज कल्याण	4235.02.104.98 वृद्ध, अशक्त और निराश्रित वृद्धाश्रम का कल्याण	5.00	शून्य
23		4235.02.102.98 प्रत्येक आंगनबाड़ी में सीसीटीवी	20.00	शून्य
24		4235.02.103.98 कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण	3.00	शून्य
25		5055.00.050.86 बस क्यू शेल्टर का निर्माण	50.00	शून्य
26		10 - विकास	4401.00.104.97 स्मार्ट कृषि योजना	5.50
27		4250.00.101.99 आपदा आकस्मिक योजना/आपदा प्रतिक्रिया निधि	5.00	शून्य
28	11 - शहरी विकास एवं	4235.02.101.86 सेवाकुटीर कॉम्प्लेक्स, किंग्सवे कैंप, फेज-II में कॉलेज जाने वाले नेत्रहीन छात्रों (लड़कों) के लिए छात्रावास का निर्माण	5.00	शून्य
29	लोक निर्माण विभाग	4235.02.104.93 लामपुर सेवा कॉम्प्लेक्स में भवन का निर्माण	5.00	शून्य
30		5054.04.101.95 मजनु का टीला पर फ्लाईओवर और आउटर रिंग रोज पर मेटकाफ हाउस	40.00	शून्य
31		5054.04.101.93 नार्थ साउथ कॉरिडोर	2.00	शून्य
32		5054.04.101.91 हॉफ फ्लाईओवर का निर्माण	5.00	शून्य
33		5054.04.101.84 खजूरी चौक में अंडरपास का निर्माण	20.00	शून्य
34		5054.04.101.82 आश्रम फ्लाईओवर से डीएनडी फ्लाईओवर तक फ्लाईओवर का विस्तार	30.00	शून्य
35		5054.04.101.80 वजीराबाद दिल्ली में मौजूदा पुल के डाउनस्ट्रीम यमुना नदी पर पुल और उसके पहुंच का निर्माण	3.00	शून्य
36		5054.04.101.79 आनंद विहार आर.ओ.आर. अप्सरा बॉर्डर आर.ओ.सी. दिल्ली से रोड नं. 56 पर ग्रेड सेपरेटर/फ्लाईओवर का निर्माण	5.00	शून्य
37		5054.04.337.91 बवाना से इंद्रलोक तक हरियाणा नहर के साथ नई कनेक्टिविटी	1.00	शून्य
38		5054.04.337.89 सब-वे का निर्माण	1.00	शून्य
39		5054.04.337.88 पीडब्ल्यूडी सड़कों का भूनिर्माण	10.00	शून्य
40		5054.04.800.89 सीआरएफ योजनाएं	5.00	शून्य
41		5054.04.800.82 एलईडी स्क्रीन का प्रावधान	10.00	शून्य
42		4801.05.800.87 एचटी/एलटी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी का स्थानांतरण	10.00	शून्य
43	6801.00.203.91 प्रगति पॉवर परियोजना-III, बवाना को ऋण	65.00	शून्य	
44	13 - पेंशन	2071.01.117.99 अंशदान पेंशन योजना: सरकारी अंशदान	122.00	शून्य
कुल			2,744.61	

परिशिष्ट 3.3
अनुपूरक अनुदानों से पुनर्विनियोजन
(पैरा 3.5.3 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	मूल अनुदान	पूरक	पुनर्विनि योजन	अभ्यर्पण	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	पूरक आंवटित	पूरक पुनर्विनियोजित
1	2	3	4	5	6	7 (3+4-5-6)	8	9 (7-8)	10	11
राजस्व (दत्तमत) अनुदान सं.-08 समाज कल्याण										
1	2236.02.101.73 पोषण अभियान (सीएसएस)	12.25	16.50	2.48	3.82	22.45	16.38	6.07	महिला एवं बाल विकास निदेशालय के पोषण अभियान के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 6.50 करोड़ की नकद अनुपूरक और ₹ 10.00 करोड़ की तकनीकी अनुपूरक मांग की गई (सीएसएस) आपूर्ति एवं सामग्री	2.48
2	2041.00.800.96 सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ एवं एन.जी.ओ. को सहायता अनुदान	60.15	142.00	8.90	13.25	180.00	180	0	सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ तथा गैर सरकारी संगठनों को स.अनु. पर परिवहन विभाग के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 142.00 करोड़ की नकद अनुपूरक मांग की गई है: सहायता अनुदान सामान्य	8.90
3	3075.60.800.79 महिला यात्रियों के लिए डी.एम.आर.सी. की सब्सिडी	0	150.00	149.99	0	0.01	0	0.01	महिला यात्रियों के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम को सब्सिडी पर परिवहन विभाग के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 150.00 करोड़ की नकद अनुपूरक की मांग की गई है: सब्सिडी	149.99
	कुल	72.40	308.50	161.37	17.07	202.46	196.38	6.08		

मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पूँजीगत (दत्तमत) अनुदान सं.- 06 शिक्षा										
4	4202.01.203.91 खेल विश्वविद्यालय की स्थापना	1.00	4.00	4.90	0.00	0.10	0	0.10	खेल विश्व विद्यालय की स्थापना के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 4.00 करोड़ की तकनीकी अनुपूरक मांग की गई है: मुख्य कार्य	4.90
अनुदान सं. 08 समाज कल्याण										
5	7055.00.190.94 केंद्रीय करों की प्रतिपूर्ति के लिए एमआरटीएस को ऋण	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0	परिवहन विभाग के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 50.00 करोड़ की नकद अनुपूरक मांग की गई है: केन्द्रीय करों की प्रतिपूर्ति के लिए एमआरटीएस को ऋण	5.00
	कुल	51.00	54.00	54.90	0.00	50.10	50.00	0.10		
	कुल योग	123.40	362.50	216.27	17.07	252.56	246.38	6.18		

पारिभाषिक शब्दावली

1. **एक वर्ष का 'लेखा' अथवा 'वास्तविक'** - 1 अप्रैल से शुरू होने वाले और 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरणों की राशि होती है, जैसा कि लेखा प्राधिकरण की पुस्तकों में अंतिम रूप से दर्ज किया गया है (जैसा कि नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षित है)। अनंतिम लेखा का तात्पर्य अनअंकेक्षित लेखा से है।
2. **किसी योजना, प्रस्ताव या कार्य का 'प्रशासनिक अनुमोदन'** - व्यय करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी औपचारिक स्वीकृति है। बजट में निधियों के प्रावधान के अंतर्गत यह उस विशेष वर्ष के दौरान, जिसमें प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया जाता है, प्रचालन हेतु वित्तीय मंजूरी के रूप में कार्य करता है।
3. **वार्षिक वित्तीय विवरण** - इसे बजट के रूप में भी देखा जाता है जिसका मतलब है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद/विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला केन्द्र/राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियाँ एवं व्यय का विवरण।
4. **'विनियोजन'** - इसका तात्पर्य विनियोजन के विविध मूल इकाई अथवा उसके किसी भाग के अंतर्गत व्यय के लिए संसद/राज्य विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत राशि को किसी संवितरण अधिकारी के समक्ष निपटान हेतु रखी गई राशि से है।
5. **'प्रभारित व्यय'** - इसका तात्पर्य ऐसे व्यय से है जिसे संविधान के प्रावधानों के तहत विधानमण्डल के मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है।
6. **भारत/राज्य की समेकित निधि** - संघ/राज्य सरकार की समस्त राजस्व, उसके द्वारा लिए गए ऋण तथा भारत/राज्य की समेकित निधि से ऋणों के पुनः भुगतान से प्राप्त समस्त राशि से है। इस निधि में से कोई भी धनराशि कानून के अनुसार और संविधान में निहित तरीकों और किसी उद्देश्य के अलावा विनियोजित नहीं की जा सकती है।
7. **'आकस्मिक निधि'** अग्रदाय प्रकृति की होती है। आकस्मिक निधि का उद्देश्य कार्यकारी/सरकार को किसी वर्ष के दौरान होने वाले अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए संसद/राज्य विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत किए जाने तक अग्रिम राशि प्रदान करता है। आकस्मिक निधि से आहरित राशि की प्रतिपूर्ति संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अनुपूरक मांगों के जरिए अनुमोदित करने के बाद की जाती है।

8. 'नियंत्रक अधिकारी (बजट)' - इसका तात्पर्य एक ऐसे अधिकारी से है जिसे विभाग द्वारा किए गए व्यय और/अथवा राजस्व के संग्रह को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे पद में विभाग के प्रमुख और प्रशासक भी शामिल हैं।
9. 'आहरण और संवितरण अधिकारी' (डीडीओ) - इसका तात्पर्य कार्यालय के प्रमुख और राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा पदनामित किसी ऐसे अधिकारी से है जो राज्य सरकार की ओर से बिल का आहरण और भुगतान करता हो। इस पद में विभाग के प्रमुख भी शामिल होंगे जहां वे स्वयं ऐसे कार्य का निर्वहन करते हैं।
10. 'अतिरिक्त अनुदान' - अतिरिक्त अनुदान का मतलब है मूल/अनुपूरक अनुदान के माध्यम से स्वीकृत प्रावधान से अधिक व्यय की राशि, जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 के अंतर्गत संसद/राज्य विधानमण्डल से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करके नियमितीकरण करने की आवश्यकता है।
11. 'नई सेवा' - जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 115/1(क)/205/(1)(क) में उल्लेख किया गया है, नई सेवा का अर्थ है एक नई नीति निर्णय के अंतर्गत होने वाला व्यय जिसे पहले संसद/राज्य विधानमण्डल के ध्यान में नहीं लाया गया जिसमें एक नई गतिविधि या निवेश का एक नया रूप शामिल है।
12. 'सेवा का नया साधन' - का अर्थ है किसी मौजूदा गतिविधि के महत्त्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न होने वाला अपेक्षाकृत अधिक व्यय।
13. 'लोक लेखा' - का अभिप्राय संविधान के अनुच्छेद 266/(2) में संदर्भित लोक लेखा से है। जमा, आरक्षित निधि, प्रेषण इत्यादि जैसे प्राप्तियाँ और संवितरण जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं है, को लोक लेखा में शामिल किया जाता है। लोक लेखा से संवितरण संसद/राज्य विधानमण्डल के मत के अधीन नहीं होता है क्योंकि वे भारत/राज्य के समेकित निधि से जारी किया गया धन (राशि) नहीं है।
14. पुनर्विनियोजन - का अर्थ है किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी अनुदान या प्रभारित विनियोजन के अंतर्गत किसी अन्य इकाई से अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए विनियोजन के एक इकाई में बचत का स्थानांतरण करना।
15. 'संशोधित मूल्य का अनुमान' - वित्तीय वर्ष के लिए संभावित प्राप्तियों या व्यय का एक अनुमान है जिसे पहले से ही जारी आदेशों के अंतर्गत वर्ष में पहले से ही दर्ज किए गए लेन-देन और शेष के लिए अनुमान के संदर्भ में उस वर्ष तैयार किया गया है।

16. 'अनुदान की अनुपूरक मांगों' - का अर्थ है उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय के अतिरिक्त किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में और आवश्यक व्यय की अनुमानित राशि का उल्लेख करना जिसे विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अनुपूरक की मांग सांकेतिक, तकनीकी या वास्तविक/नकद हो सकती है।
- (क) पूरक नगद मूल बजट प्रावधानों से अधिक होता है तथा इसके परिणामस्वरूप मांग/अनुदान के लिए आवंटन में वृद्धि होती है। इसे अंतिम उपाय के रूप में और उचित परिश्रम के बाद प्राप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में इस पद्धति का पालन राज्य द्वारा किया जाता है।
- (ख) प्रत्येक मांग में चार खण्ड होते हैं, अर्थात् राजस्व दत्तमत, राजस्व प्रभारित, पूंजीगत दत्तमत, पूंजीगत प्रभारित। तकनीकी पूरक, राज्य विधानमण्डल का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, किसी एक अनुभाग की बचत को किसी अन्य अनुभाग के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है।
- (ग) टोकन पूरक अनुदान के एक ही अनुमान के भीतर बचत का उपयोग करने की अनुमति देता है।
17. 'प्रमुख शीर्ष' - का अर्थ राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को रिकॉर्ड करने तथा वर्गीकृत करने के उद्देश्य से एक प्रमुख लेखा शीर्ष है। एक प्रमुख शीर्ष, विशेष रूप से समेकित निधि के अंतर्गत आने वाला, आमतौर पर कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य आदि जैसे सरकार के 'कार्य' के अनुरूप होता है।
18. 'उप-प्रमुख शीर्ष' - का अर्थ है एक प्रमुख शीर्ष तथा इसके तहत लघु शीर्षों के बीच प्रस्तुत किए गए मध्यवर्ती लेखा शीर्ष, जब लघु शीर्ष असंख्य होते हैं तो ऐसे मध्यवर्ती शीर्ष के अंतर्गत आसानी से एक साथ समूहीकृत किए जा सकते हैं।
19. 'लघु शीर्ष' - का अर्थ है प्रमुख शीर्ष या उप-प्रमुख शीर्ष का अधीनस्थ शीर्ष। प्रमुख शीर्ष का एक लघु अधीनस्थ प्रमुख शीर्ष द्वारा प्रतिनिधित्व कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शुरू किए गए 'कार्यक्रम' को चिन्हित करता है।
20. 'उप-शीर्ष' - का अर्थ है एक लघु शीर्ष के अधीनस्थ लेखा की एक इकाई जो समान्यतः लघु शीर्ष या कार्यक्रम के अंतर्गत योजना या संगठन को दर्शाती है।
21. 'प्रमुख कार्य' - का अर्थ है एक मूल कार्य, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय प्रभारों को छोड़कर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक हो।

22. 'लघु कार्य' - का अर्थ है एक मूल कार्य, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय प्रभागों को छोड़कर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होता है।
23. 'संशोधित अनुदान या विनियोजन' - का अर्थ है विनियोजन के किसी उप-शीर्ष को आवंटित राशि, जैसा कि यह पुनर्विनियोजन या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त या पूरक अनुदान की मंजूरी के बाद हो।
24. 'पूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन' - का अर्थ एक वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोजन अधिनियम में शामिल प्रावधान है, जो उस वर्ष हेतु विनियोजन अधिनियम में पूर्व में शामिल राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए अभिप्रेत हो।
25. 'नए व्यय की अनुसूची' - का अर्थ है आगामी वर्ष के लिए बजट में शामिल करने हेतु प्रस्तावित नए व्यय की मदों का विवरण।
26. 'टोकन मांग' - का अर्थ है एक मामूली या सांकेतिक राशि के लिए विधानमंडल में की गई मांग। उदाहरण के लिए, स्वीकृत बजट अनुदान के बचत से नई सेवा पर पूरे खर्च को पूरा करने का प्रस्ताव।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agaudelhi.cag.gov.in